

(xii) अनुसूचित जनजाति

"अनुसूचित जनजाति" का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद-342 के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारत के राष्ट्रपति द्वारा उत्तर प्रदेश के लिए जारी अनुसूचित जनजातियों की अधिसूचना में अंकित जातियों से है।

(xiii) शैक्षणिक सत्र

"शैक्षणिक सत्र" का तात्पर्य कक्षा 11-12 में प्रत्येक वर्ष 01 अप्रैल से अगले वर्ष 31 मार्च तक तथा अन्य उच्चतर कक्षाओं हेतु 01 जुलाई से प्रारम्भ होकर अगले वर्ष 30 जून तक के शिक्षण सत्र से है।

(xiv) छात्रवृत्ति का मूल्य

सम्पूर्ण पाठ्यक्रम अवधि में छात्रवृत्ति के अन्तर्गत निम्नलिखित देय धनराशियों सम्मिलित होगी:-

(क) शैक्षणिक भत्ता

(ख) अनिवार्य वापस न होने वाला शुल्क जिसका निर्धारण केन्द्र/राज्य सरकार अथवा प्रदेश की शुल्क नियमन समिति द्वारा तय किया गया हो

(ग) दिव्यांग छात्रों के लिए निर्धारित शैक्षणिक भत्ते का 10 प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता।

(xv) शुल्क

(क) "शुल्क" का तात्पर्य ऐसी अनिवार्य धनराशि से है, जो अभ्यर्थियों द्वारा संस्थान या विश्वविद्यालय अथवा बोर्ड को भुगतान किया जाता है, तथापि जमानती जमा राशि जैसी वापस की जाने वाली धनराशि इसमें शामिल नहीं होगी। शुल्क के अन्तर्गत प्रवेश/पंजीकरण, परीक्षा, शिक्षा, खेल, यूनियन, लाइब्रेरी, पत्रिका, विकित्सा जांच और ऐसे अन्य अनिवार्य व वापस न की जाने वाली शुल्क आदि, जो सक्षम स्तर से अनुमन्य हों, शामिल होगी। छात्रावास/ मेस शुल्क जैसे शुल्क इसमें सम्मिलित नहीं होंगे।

नोट:-1- राजकीय व निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में एक पाठ्यक्रम में एक ही बार में सम्पूर्ण शुल्क की अनुमानित समस्त धनराशि भुगतान किये जाने पर छात्र/ छात्रायें इस योजना में अपात्र होंगे।

नोट:-2- किसी विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थान में प्रबन्धकीय कोटा सीट, स्पाट (Spot) प्रवेश सीट के सापेक्ष प्रवेशित छात्र/छात्राओं द्वारा दावा किये गये शैक्षणिक भत्ता/शुल्क की प्रतिपूर्ति अनुमन्य नहीं होगी। शिक्षण संस्थानों/पाठ्यक्रमों में एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा निर्धारित प्रबन्धकीय कोटा (मैनेजमेंट कोटा) के साथ-साथ जिन निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में व्यवसायिक/ तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है, ऐसी प्रवेश परीक्षा में आवेदन करने वाले छात्रों को शैक्षणिक भत्ता व शुल्क प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी। प्रवेश परीक्षा में आवेदन न करने वाले छात्र/छात्रायें मैनेजमेंट कोटा से आच्छादित होंगे, ऐसे छात्रों को शैक्षणिक भत्ता/शुल्क की प्रतिपूर्ति अनुमन्य नहीं होगी।

(ख) जिन मान्यता प्राप्त संस्थानों में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में शुल्क संरचना निर्धारित करने की शक्ति केन्द्र या राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी को है, उन मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में संचालित मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की अनुमोदित सीट के सापेक्ष राज्य अथवा केन्द्र सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित शुल्क संरचना के अनुसार ली जाने वाली अनिवार्य व वापस न की जाने वाली शुल्क की राशि, छात्र द्वारा भरी गयी शुल्क, विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा मास्टर डाटा में लाक की गयी शुल्क, शिक्षण संस्था द्वारा लाक की गयी शुल्क तथा जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा लाक की गयी शुल्क में से जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

(ग) जिन निजी क्षेत्र के संस्थानों में सक्षम प्राधिकारी स्तर से मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में छात्रों से ली जाने वाली शुल्क के निर्धारण की शक्ति स्वयं शिक्षण संस्थान को प्राप्त है, उन पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों को प्रदेश में स्थित राज्य विश्वविद्यालयों में संचालित इसी प्रकार के स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम में निर्धारित अधिकतम शुल्क अथवा संस्था द्वारा छात्रों से ली जाने वाली शुल्क जो भी न्यूनतम हो, की प्रतिपूर्ति की जायेगी। निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों में ऐसे पाठ्यक्रम जो राज्य विश्वविद्यालयों में संचालित नहीं हैं के अन्तर्गत प्रदेश के निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों में निर्धारित न्यूनतम शुल्क अथवा छात्र द्वारा भरी गयी शुल्क की प्रतिपूर्ति जो कम हो, की जायेगी।

(घ) प्रदेश के विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध जिन निजी क्षेत्र के मान्यता प्राप्त संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रमों के शुल्क सक्षम प्राधिकारी स्तर से निर्धारित नहीं हैं उन संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु प्रदेश के किसी भी राज्य विश्वविद्यालयों में संचालित उसी पाठ्यक्रम (स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों को छोड़ते हुए) में निर्धारित न्यूनतम शुल्क अथवा संस्था द्वारा छात्रों से जमा करायी गयी वास्तविक फीस में से जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

6- अर्हता

छात्रवृत्ति हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन पात्र होंगे:-

(i) केवल वे ही अभ्यर्थी इसके पात्र होंगे, जो उत्तर प्रदेश राज्य से सम्बन्धित हों अर्थात् उत्तर प्रदेश राज्य के स्थाई निवासी हों एवं जो उत्तर प्रदेश राज्य क्षेत्र के सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित हों और जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मैट्रिकुलेशन या हायर सेकेण्ट्री या इससे कोई उच्चतर परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो तथापि:-

(अ) आनलाइन आवेदन पत्र में कोई डाटा/ विवरण, त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण/संदिग्ध अंकित करने पर छात्र/ छात्रा को दशमोत्तर शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति अनुमन्य नहीं होगी।

(ii) यह छात्रवृत्तियां निम्नलिखित अपावदों को छोड़कर मान्यता प्राप्त संस्थानों में पढ़ाये जाने वाले सभी मान्यता प्राप्त दशमोत्तर या सेकेण्ट्री के बाद के पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिये दी जायेगी।

क- विमान अनुरक्षण इंजीनियर पाठ्यक्रम।

ख- निजी विमान चालक लाइसेंस पाठ्यक्रम।

ग- ट्रैनिंगशीप डफरिन (अब राजेन्द्र) के पाठ्यक्रम।

घ- सेनिक महाविद्यालय, देहरादून के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम।

च- अखिल भारतीय तथा राज्य स्तरीय पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों के पाठ्यक्रम।

छ- पत्राचार पाठ्यक्रम एवं सुदूर व अनुवर्ती शिक्षा के पाठ्यक्रम। (केन्द्रीय/ राज्य विश्वविद्यालयों में सुविधा अनुमन्य रहेगी)

- ज- निजी सेवा के शिक्षण संस्थानों में संचालित ऐसे पाठ्यक्रम जिनको किसी विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग बाड़ी/सक्षम विभाग स्तर से सर्टिफिकेट/अंकपत्र प्रदान नहीं किये जाते हैं तथा सक्षम स्तर से परीक्षा आयोजन हेतु एजेंसी अधिकृत न हो अर्थात् ऐसे पाठ्यक्रम जो किसी सक्षम स्तर से नियंत्रित नहीं किये जाते।
- झ- अन्य प्रदेश के विश्वविद्यालय/सक्षम स्तर से सम्बद्धता प्राप्त प्रदेश में स्थित निजी शिक्षण संस्थान, जिनकी नियंत्रक बाड़ी उत्तर प्रदेश में नहीं है, के छात्र/छात्राओं छात्रवृत्ति हेतु अनर्ह होंगे।
- (iii) ऐसे अध्यर्थी, जिनके माता-पिता अथवा अभिभावकों की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आय सीमा से अधिक न हो।
- (iv) सर्टिफिकेट लेवल, स्नातक पूर्व डिप्लोमा लेवल, स्नातक पश्चात डिप्लोमा लेवल, स्नातक लेवल, स्नातक पश्चात स्नातक लेवल, परास्नातक लेवल, परास्नातक के पश्चात रिसर्च लेवल एवं डॉक्टरेट लेवल के अन्तर्गत केवल दो पाठ्यक्रम क्रमशः एक प्रोफेशनल व एक नॉन प्रोफेशनल पाठ्यक्रम में शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा अनुमत्य होगी। शैक्षणिक भत्ता/शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु छात्र का सभी पाठ्यक्रमों की वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण/प्रोत्रत होना अनिवार्य होगा।
- (v) यदि विद्यार्थी इन्टर्नशिप अवधि के दौरान कुछ पारिश्रमिक अथवा अन्य पाठ्यक्रमों में व्यवहारिक प्रशिक्षण के दौरान कुछ भत्ता या वजीफा पा रहे हैं तो एम०बी०बी०एस० पाठ्यक्रम में इन्टर्नशिप/हाऊस मैनेशिप की अवधि के लिए अथवा अन्य पाठ्यक्रमों में व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जायेगा।
- (vi) चिकित्सा में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में पढ़ने वाले छात्र इसके पात्र होंगे, यदि उनके पाठ्यक्रम की अवधि के दौरान उन्हें ग्रैंटिंग करने की अनुमति न दी गयी हो।
- (vii) किसी भी मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर या इससे ऊपर के पाठ्यक्रम में सरकारी वृत्तिका (स्टाइपेन्ड) अथवा फेलोशिप पाने वाले छात्र/छात्राएं इसके लिए अर्ह नहीं होंगे।
- (viii) उन रोजगार प्राप्त छात्रों को सभी अनिवार्य रूप से देय वापस न किये जाने वाले शुल्क की प्रतिपूर्ति की सीमा तक मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के लिए पात्र बनाया गया है, जिनकी स्थिति की व उनके माता-पिता अथवा संरक्षकों की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय अधिकतम निर्धारित वार्षिक आय सीमा से अधिक न हो।
- (ix) एक ही माता-पिता अथवा संरक्षक के सभी बच्चे योजना का लाभ प्राप्त करने के हकदार होंगे।
- (x) इस योजना के अधीन छात्रवृत्ति पाने वाला कोई भी छात्र अन्य छात्रवृत्ति/वजीफा प्रदान किया गया हो तो छात्र उक्त दोनों छात्रवृत्ति/वजीफा में से किसी एक के लिए जो भी उसके लिए अधिक लाभप्रद हो, अपना विकल्प दे सकता है और दिये गये विकल्प के बारे में सूचना संस्था प्रमुख के माध्यम से छात्रवृत्ति प्रदानकर्ता अधिकारी को देनी चाहिए। छात्र/छात्रा को उस तारीख से, जिससे वह दूसरी छात्रवृत्ति/वजीफा स्वीकार करता/करती है, इस योजना के अधीन किसी भी छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जायेगा तथापि, छात्र राज्य सरकार से या किसी अन्य स्रोत से पुस्तकें, उपकरण खरीदने या आवास तथा भोजन व्यवस्था पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए इस योजना के अधीन भुगतान की गयी छात्रवृत्ति की रकम के अतिरिक्त निःशुल्क भोजन या अनुदान या तर्द्ध आर्थिक सहायता स्वीकार कर सकता है।
- (xi) वे छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ता, जो केंद्र/राज्य सरकार से वित्तीय सहायता के साथ किसी परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों में कोचिंग प्राप्त कर रहे हैं, कोचिंग कार्यक्रम की अवधि के लिए कोचिंग योजनाओं के अन्तर्गत वजीफे के पात्र नहीं होंगे।
- (xii) जब तक माता-पिता में से कोई एक (अथवा विवाहित बेरोजगार के मामले में पति) जीवित हैं, तब तक माता-पिता/पति जैसी भी स्थिति हो, की सभी स्रोतों से प्राप्त आय को ही लिया जायेगा, न कि अन्य सदस्यों की आय को, चाहे वह कमाने वाले ही क्यों न हों। आय घोषणा प्रपत्र में इसी आधार पर आय की घोषणा करना अपेक्षित है। केवल उस मामले में जब माता-पिता दोनों (अथवा विवाहित किन्तु बेरोजगार मामले में पति) की मृत्यु हो जाती है तो उस संरक्षक की आय को लेना होगा, जो विद्यार्थी की पढ़ाई में सहायता कर रहा है। ऐसे छात्र जिनके माता-पिता की आय दुर्भाग्यवश किसी एक की मृत्यु के कारण प्रभावित होती है और इस प्रकार इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित आय-सीमा में आ जाती है तो ऐसी दुर्घटन होने वाले महीने से वह छात्रवृत्ति का पात्र बन जायेगा, बशर्ते वह छात्रवृत्ति की अन्य शर्तें पूरी करता हो, ऐसे छात्रों से छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन पर अनुक्रमा के आधार पर, आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को समाप्त होने के पश्चात भी विचार किया जा सकता है।
- (xiii) यदि कोई छात्र विगत वर्ष में शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के उपरांत पाठ्यक्रम को अधूरा छोड़कर किसी दूसरे पाठ्यक्रम में प्रवेश लेता है, तो वह नये पाठ्यक्रम के पहले वर्ष में शैक्षणिक भत्ता व शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु अनर्ह होंगा। छात्र के अभिभावक द्वारा शापथ पत्र से औचित्य प्रमाणित होने तथा नये पाठ्यक्रम में अध्ययन जारी रखने पर नये पाठ्यक्रम के दूसरे वर्ष से नये छात्र के रूप में शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु पात्र होगा। यदि छात्र किसी अखिल भारतीय अथवा राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा के माध्यम से चयनित होकर ऐकिंग के आधार पर नॉन प्रोफेशनल पाठ्यक्रम की छात्रवृत्ति प्राप्त करने के उपरांत अधूरा छोड़कर उच्च स्तर के प्रोफेशनल पाठ्यक्रम में प्रवेश लेता है तो जिला समाज कल्याण अधिकारी की संस्तुति पर निदेशक समाज कल्याण द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में नवीन पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु पात्र होगा। पुनः पाठ्यक्रम परिवर्तन करने पर छात्र नये पाठ्यक्रम की शैक्षणिक भत्ता व शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु अनर्ह होगा।
- (xiv) शैक्षिक सत्र में 75 प्रतिशत या उससे ऊपर उपस्थित वाले छात्र/छात्राओं को शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति सुविधा अनुमत्य होगी। समस्त शिक्षण संस्थाओं में छात्र/छात्राओं की प्रतिदिन उपस्थिति की गणना आधार बेस बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली/फेशियल रिकनिशन प्रणाली (भौतिक रूप से कक्षाओं के संचालन होने पर) द्वारा की जायेगी। इस सम्बन्ध में समस्त शिक्षण संस्थानों में आधार बेस बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली/फेशियल रिकनिशन प्रणाली की व्यवस्था करके प्रत्येक माह प्रमाणित उपस्थिति की यथास्थान छात्रवृत्ति पोर्टल पर अपलोड करने का उत्तरदायित्व संस्था का होगा। इसमें प्रत्येक छात्र पर होने वाले व्यवधार का वहन सम्बन्धित शिक्षण संस्था/विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा। चालू वित्तीय वर्ष से दो वर्षों में चरणबद्ध तरीके से संलग्न परिशिष्ट में निर्धारित विश्वविद्यालय व एफिलियेटिंग एजेंसी से सम्बद्ध शिक्षण संस्थानों में आधार बेस बायोमैट्रिक अटेंडेंस प्रणाली की व्यवस्था की जायेगी। वित्तीय वर्ष 2025-26 से आधार बेस बायोमैट्रिक अटेंडेंस प्रणाली को लागू नहीं करने वाले शिक्षण संस्थानों/विश्वविद्यालयों के छात्रों को शैक्षणिक भत्ता एवं

- शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा अनुमत्य नहीं होगी। यदि किसी छात्र की उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम है तो ऐसे छात्र छात्रवृत्ति हेतु पात्र नहीं होंगे तथा छात्र को यदि धनराशि भुगतान हुयी है तो भुगतानित धनराशि छात्र अथवा संस्था द्वारा वापस करनी होगी।
- (xv) यदि छात्र/छात्रा किसी पाठ्यक्रम में अध्ययनरत रह कर आनलाइन आवेदन करता है और धनराशि प्राप्त होती है किन्तु आगे वर्ष अध्ययन छोड़ दिया जाता है अथवा संस्था/पाठ्यक्रम को सक्षम स्तर से अनुमति के बिना परिवर्तित कर दिया जाता है तो गत वर्ष की भुगतान की गयी धनराशि को संस्था द्वारा छात्र से प्राप्त कर विभाग को वापस करनी होगी।

किसी छात्र का एरियर आगामी वर्ष में भुगतान किये जाने से पूर्व वह देखा जायेगा कि छात्र द्वारा सम्बन्धित पाठ्यक्रम में नवीनीकरण का आनलाइन आवेदन किया गया अथवा नहीं किया गया है अर्थात् उसने उस पाठ्यक्रम में अध्ययन जारी रखा गया अथवा छोड़ दिया गया है। यदि अध्ययन को छोड़ दिया गया है तो सम्बन्धित छात्र को शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क की एरियर की धनराशि अनुमत्य नहीं होगी तथा उस पाठ्यक्रम में विगत वर्ष की धनराशि वापस करनी होगी।

- (xvi) शिक्षा सत्र के अन्तर्गत नवीनीकरण के सम्बन्ध में शिक्षण संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शैक्षणिक भत्ता/शुल्क प्रतिपूर्ति धनराशि प्राप्त करने वाले नवीन छात्रों के सापेक्ष कम से कम 50 प्रतिशत छात्र नवीनीकरण का आवेदन करें। यदि 50 प्रतिशत से कम नवीनीकरण का आवेदन किया जाता है तो शिक्षण संस्था को वैध कारण बताने होंगे। वैध कारण के अन्तर्गत वाढ़/सूखा/अनदेखी घटनायें/कानून व्यवस्था आदि सम्मिलित होंगे। वैध कारण न बता पाने की स्थिति में नवीनीकरण न करने वाले छात्रों की धनराशि संस्था को वापस करनी होगी।

- (xvii)(क) केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त केन्द्र/राज्य/निजी/डीम्ड आदि सभी विश्वविद्यालयों एवं शिक्षण संस्थाओं को NAAC (National Assessment & Accreditation Council- and Autonomous Institution of the University Grant Commission) से वर्ष 2024 तक ग्रेडिंग प्राप्त करनी होगी। वर्ष 2025-26 से उक्तानुसार ग्रेडिंग प्राप्त विश्वविद्यालयों/शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति अनुमत्य होगी।

(ख) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली (मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार) द्वारा प्रदत्त मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में संचालित तकनीकी पाठ्यक्रमों में वर्ष 2024 तक NBA (National Board of Accreditation) ग्रेडिंग प्राप्त करनी होगी। वर्ष 2025-26 शिक्षण सत्र से NBA (National Board of Accreditation) ग्रेडिंग प्राप्त संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को ही शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति अनुमत्य होगी।

- (xviii) निझी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों/ विश्वविद्यालयों में संचालित ऐसे मान्यता प्राप्त प्रोफेशनल पाठ्यक्रम जिनमें प्रवेश हेतु न्यूनतम योग्यता स्थातक है, के अन्तर्गत स्थातक पाठ्यक्रम में न्यूनतम 50 प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंक पाने वाले, किसी भी प्रवेश प्रक्रिया से प्रवेशित (मैनेजमेंट कोटा एवं स्पाट प्रवेश प्रक्रिया को छोड़कर) छात्र/छात्रायें छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु अहं होंगे।

- (xix) आई0टी0आई0 पाठ्यक्रम अध्यवा ऐसे पाठ्यक्रम जिनमें प्रवेश की न्यूनतम योग्यता हाईस्कूल निर्धारित है, के अन्तर्गत हाईस्कूल उत्तीर्ण करने के 06 वर्ष के अन्दर निझी क्षेत्र के संस्थानों में उक्त प्रकार के पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर ही शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति अनुमत्य होगी।

- (xx) निझी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को अधिकतम 40 वर्ष आयु की सीमा तक शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति अनुमत्य होगी। आयु की गणना प्रत्येक वर्ष 01 जुलाई को की जायेगी। रिसर्च एवं डाक्टरेट लेवल के पाठ्यक्रम में उक्त नियम प्रभावी नहीं होंगे।

7- मूल निवास का अनुमत्य साक्ष्य-

प्रदेश के अन्दर वितरित की जाने वाली दशमोत्तर छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र के साथ संलग्न जाति प्रमाण पत्र में छात्र/छात्रा के निवास का अंकन होने पर पृथक से सामान्य निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। प्रदेश के बाहर की दशमोत्तर छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र के साथ सामान्य निवास प्रमाण पत्र (जो प्रवेश की तिथि से 05 वर्ष से अधिक पुराना न हो) संलग्न करना अनिवार्य होगा, जो आवेदक के निवास की तहसील के उपजिलाधिकारी के स्तर से जारी किया गया हो एवं राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर उपलब्ध हो।

8- माता-पिता/ अभिभावकों की आय के सम्बन्ध में अनुमत्य साक्ष्य-

माता-पिता अध्यवा अभिभावकों की आय के सम्बन्ध में निम्नलिखित साक्ष्य अनुमत्य होंगे:-

- (i) अभ्यर्थी के माता-पिता या पति या संरक्षक, जैसा भी लागू हो, की समस्त स्रोतों से प्राप्त वार्षिक आय के सम्बन्ध में उपजिलाधिकारी/तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण-पत्र, जो राजस्व परिषद की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध हो, मान्य होगा। यदि इक्सी भी प्रकार की जांच में यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी के माता-पिता/पति/संरक्षक नौकरी में हैं तथा उनके द्वारा अर्जित आय उपजिलाधिकारी/ तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र में सम्मिलित नहीं हैं तो आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।
- (ii) अभ्यर्थी के माता-पिता या पति या संरक्षक, जैसा भी लागू हो, द्वारा लिये जाने वाले मकान किराये भत्ते को “आय” में शामिल नहीं किया जायेगा, यदि इसे आयकर के प्रयोजन के लिए छूट की अनुमति दी गयी हो।
- (iii) आय प्रमाण-पत्र के बारे एक बार अर्थात् एक वर्ष से अधिक अवधि वाले पाठ्यक्रमों में दाखिले के समय ही लिया जायेगा अर्थात् एक वर्ष से अधिक वर्ष के पाठ्यक्रम की समाप्ति तक पुनः आय-प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता न होगी। परन्तु यदि नये पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया जाता है तो पुनः आय प्रमाण-पत्र देना होगा।
- (iv) जमा किये जाने वाले आय प्रमाण पत्र की वैधता उस शैक्षणिक सत्र/वर्ष की पहली जुलाई को अवधारित की जायेगी।

9- मास्टर डाटाबेस एवं संस्थाओं का पंजीकरण तथा कोर्समास्टर-

- (i) प्रदेश के समस्त शासकीय, शासकीय सहायता प्राप्त एवं मान्यता प्राप्त निझी शिक्षण संस्थानों तथा प्रदेश के बाहर समस्त शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों को शिक्षण संस्थान से सम्बन्धित समस्त आवश्यक विवरण यथा- शिक्षण संस्थान का नाम, संचालित पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम की मान्यता, पाठ्यक्रम हेतु सक्षम स्तर से स्वीकृत सीटों की संख्या, वार्षिक शिक्षण एवं परीक्षा शुल्क आदि निर्धारित प्रारूप पर स्वयं आनलाइन भरकर “मास्टर डाटाबेस” में प्रत्येक वर्ष जारी समय-सारिणी में निर्धारित तिथि तक समिलित होना।

होगा। प्रत्येक शिक्षण संस्थान स्वयं उपरोक्त अवधि में मास्टर डाटाबेस में नए पाठ्यक्रमों को शामिल कर सकेंगे एवं असंचालित पाठ्यक्रमों को स्वयं हटा सकेंगे। मास्टर डाटाबेस में निर्धारित तिथि तक शामिल होने वाले शिक्षण संस्थानों एवं पाठ्यक्रमों (सी०पी०ए० पाठ्यक्रम एवं संस्थान को छोड़कर) में अध्ययनरत छात्र/छात्रा ही शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन करने के पात्र होंगे। संस्था द्वारा मान्यता समर्पित किये जाने अथवा संस्था को बन्द किये जाने की सूचना दिये जाने पर शिक्षण संस्थान का नाम मास्टर डाटा से जिला समाज कल्याण अधिकारी/नोडल/प्रभारी अधिकारी, प्रदेश के बाहर दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना मुख्यालय द्वारा हटाया जायेगा।

(x) मास्टर डाटा में नवीन व पुराने शिक्षण संस्थानों द्वारा भरे गये आनलाइन डाटा को विश्वविद्यालय/ एफिलियेटिंग एजेंसी (जैसा लागू हो) द्वारा सत्यापित किया जायेगा।

(ii) उक्त मास्टर डाटाबेस में प्रत्येक वर्ष के बाहर ऐसे शिक्षण संस्थान शामिल हो सकेंगे जिनको एवं जिनमें संचालित पाठ्यक्रमों की मान्यता एवं सम्बद्धता 30 सितम्बर तक सक्षम स्तर से प्राप्त हो चुकी हो। 30 सितम्बर के पश्चात मान्यता/सम्बद्धता प्राप्त करने वाले शिक्षण संस्थान एवं पाठ्यक्रमों को आगामी वित्तीय वर्ष में मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित किया जायेगा। यदि किसी संस्था को मान्यता निर्धारित तिथि 30 सितम्बर के पश्चात प्राप्त होती है तथा मास्टर डाटा में नाम शामिल किया जाता है तो उसका पूर्ण उत्तरदायित्व जिला समाज कल्याण अधिकारी/पटल सहायक का होगा।

(iii) मास्टर डाटाबेस में प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर अन्य प्रदेशों में स्थित शिक्षण संस्थानों, शिक्षण संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रमों, पाठ्यक्रमों में स्वीकृत सीटों की संख्या एवं पाठ्यक्रमों की सक्षम स्तर से स्वीकृत वार्षिक अनिवार्य नान-रिफार्डेबिल शुल्क (फीस) आदि का विवरण सम्बन्धित शिक्षण संस्थान द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (राज्य इकाई) स्तर से उपलब्ध कराये गये साफ्टवेयर पर निर्धारित तिथि तक स्वयं आनलाइन भरा जायेगा। शिक्षण संस्थानों एवं पाठ्यक्रमों की सक्षम स्तर से मान्यता एवं सम्बद्धता तथा सक्षम स्तर से अनुमन्य सीटों से सम्बन्धित आदेश/पत्र आदि पी०डी०ए० फाइल के रूप में सम्बन्धित साफ्टवेयर पर सम्बन्धित शिक्षण संस्थान द्वारा उपलब्ध/अपलोड कराये जायेंगे। मास्टर डाटाबेस में शुद्ध डाटा आनलाइन भरने का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित शिक्षण संस्थान का होगा।

(iv) प्रदेश के अन्दर स्थित शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटाबेस में भरे गये विवरण की अभिलेखीय एवं स्थलीय जांच तथा त्रुटियों का निराकरण निर्धारित तिथि तक जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा किया जायेगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी मास्टर डाटाबेस में भरे गये विवरण में संदेह की स्थिति उत्पन्न होने पर सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों से सम्पर्क कर संदेह का निवारण कर लेंगे। अभिलेखीय एवं स्थलीय जांच में शिक्षा विभाग के अधिकारियों का आवश्यक सहयोग भी प्राप्त करेंगे।

प्रदेश के बाहर अन्य प्रदेशों में स्थित शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटाबेस में भरे गये विवरण की अभिलेखीय जांच एवं त्रुटियों का निराकरण निर्धारित तिथि तक प्रभारी/नोडल अधिकारी, दशमोत्तर शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना (प्रदेश के बाहर) समाज कल्याण निदेशालय, लखनऊ द्वारा किया जायेगा।

(v) मास्टर डाटाबेस में उल्लिखित प्रदेश/ जनपद के अन्दर स्थित शिक्षण संस्थानों, उनमें वर्गवार स्वीकृत सीटों की संख्या आदि विवरण का सत्यापन जिला विद्यालय निरीक्षक, एफिलियेटिंग एजेंसियों के नोडल अधिकारियों एवं संबंधित विश्वविद्यालयों के नोडल अधिकारियों द्वारा किया जायेगा तथा तदोपरांत उनके द्वारा अपने डिजिटल सिप्रेचर से मास्टर बेस में शिक्षण संस्थान के डाटा को लॉक किया जायेगा।

प्रदेश के बाहर अन्य प्रदेशों में स्थित शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटाबेस में भरे गये विवरण की अभिलेखीय जांच सम्बन्धित शिक्षण संस्थानों द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों की हार्ड कापी से प्रभारी/नोडल अधिकारी दशमोत्तर शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना (प्रदेश के बाहर) समाज कल्याण निदेशालय, लखनऊ द्वारा करके त्रुटियों का निराकरण निर्धारित तिथि तक किया जायेगा। तदोपरांत प्रदेश के बाहर अन्य प्रदेशों में स्थित शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटाबेस में भरे गये विवरण को प्रभारी/नोडल अधिकारी दशमोत्तर शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना (प्रदेश के बाहर) समाज कल्याण निदेशालय, लखनऊ द्वारा अपने डिजिटल सिप्रेचर से निर्धारित तिथि को लाक किया जायेगा।

10- अनुरक्षण भत्ता की निर्धारित दरें-

- (i) दशमोत्तर छात्रवृत्ति नियमावली के अन्तर्गत समय-समय पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित समूहवार पाठ्यक्रमवार शैक्षणिक भत्ता की दर व विकलांग छात्रों के लिए अतिरिक्त सुविधा व अन्य दरों का जो प्राविधिन किया गया है, वह तदनुरूप लागू रहेगा,
- (ii) उन छात्रों को जो नि:शुल्क भोजन और/या नि:शुल्क आवास के पात्र हैं व सुविधाओं का उपभोग कर रहे हैं उनको शैक्षणिक भत्ता की दरों का 1/3 शैक्षणिक भत्ता/व्यय दिया जायेगा।

11- शिक्षण संस्थाओं की वरीयता क्रम -

- (i) शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु अहं छात्र/ छात्राओं को राज्य सरकार के उपलब्ध बजट से शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का 40 प्रतिशत राज्यांश के रूप में आधार सीडेड व एन०पी०सी०आई० से मैप्पेड बैंक खाते में एकमुश्त भुगतान APBS (Aadhaar Payment Bridge System) प्रणाली के माध्यम से सीधे राज्य मुख्यालय स्थित बैंक/कोषागार से सिंगल नोडल एकाउन्ट (SNA) के तहत PFMS (Public Financial Management System) से निर्धारित प्रक्रियानुसार किया जायेगा। शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का 40 प्रतिशत राज्यांश छात्रों को आधार सीडेड/ एन०पी०सी०आई० से मैप्पेड बैंक खातों में भुगतानोपरान्त शेष 60 प्रतिशत केन्द्रांश की धनराशि का भुगतान उर्ही छात्रों के आधार सीडेड/एन०पी०सी०आई० से मैप्पेड बैंक खातों में भारत सरकार द्वारा सीधे किया जायेगा।
- (ii) शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों को शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का नवीनीकरण एवं तदोपरांत नये छात्रों को शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि निम्नांकित वरीयता क्रम में बजट की उपलब्धता की सीमा तक अधर्यांश के आधार सीडेड व NPCI (National Payment Corporation Of India) से मैप्पेड बैंक खाते में सीधे अन्तरित करके दो बार में (40 प्रतिशत राज्यांश प्रदेश सरकार द्वारा एवं 60 प्रतिशत केन्द्रांश भारत सरकार द्वारा) भुगतान की जायेगी।
- (क)- केन्द्र अपवा राज्य सरकार के विभागों/निकायों द्वारा संचालित राजकीय शिक्षण संस्थानों व राजकीय स्वायत्तशासी शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/ छात्राओं।

- (ख)- केन्द्र अथवा राज्य सरकार से शासकीय सहायता प्राप्त निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/छात्राएँ।
- (ग)- निजी क्षेत्र के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों/निजी विश्वविद्यालयों के मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्र/छात्राएँ।
- नोट:- उपरोक्त वरीयता क्रम में ही बजट की उपलब्धता के अनुसार शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति धनराशि वितरित की जायेगी। एक वरीयता क्रम के समस्त छात्र-छात्राओं को वितरण के पश्चात ही बजट की उपलब्धता की सीमा तक अगले वरीयता क्रम के छात्र-छात्राओं को धनराशि वितरित की जायेगी। यह क्रम उक्त वरीयता श्रेणी-'क' से 'ग' तक जारी रहेगा।
- (iii) उपरोक्त वरीयताक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक वरीयताक्रम में प्राप्त रखने वाले छात्रों को निम्नानुसार वेटेज अंक प्रदान किये जायेंगे:-
- (च)- शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त संस्थाओं से हाईस्कूल अथवा इण्टर करने वाले छात्रों को।
- (छ)- माता-पिता दोनों के अशिक्षित होने की दशा में छात्र को वरीयता।
- (ज)- माता-पिता दोनों में से किसी एक के अशिक्षित होने की दशा में छात्र को वरीयता।
- (झ)- SECC-2011 के अनुसार उक्त 02 वंचितीकरण (Deprivations) होने पर वरीयता।

क्र०	प्राथमिकता हेतु निर्धारित विन्दु	वेटेज अंक
1	शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त संस्थाओं से हाईस्कूल अथवा इण्टर करने वाले छात्र।	10
2	ऐसे छात्र जिनके माता-पिता दोनों अशिक्षित हों।	08
3	ऐसे छात्र जिनके माता-पिता में से कोई एक अशिक्षित हो।	06
4	SECC-2011 (Socio-Economic & Caste Census) के सर्वे में उक्त 02 वंचितीकरण (Deprivations) होने पर।	04

- (iv) सर्वप्रथम सभी प्रकार के पाठ्यक्रमों में एक बार वितरित की गयी शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति, दिये जाने के प्रथम वर्ष से लेकर पाठ्यक्रम की समाप्ति तक वर्षानुवर्ष निम्नलिखित शर्तों एवं प्रक्रिया के अनुसार बजट की उपलब्धता की सीमा तक नवीनीकृत की जायेगी। नवीनीकरण के पश्चात अवशेष धनराशि ही नये अधिकारियों को उपरोक्तानुसार वरीयता के क्रम में वितरित की जायेगी।
- (क) शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के नवीनीकरण हेतु प्रथमतः प्रस्तर-11 (ii) में वर्णित वरीयता श्रेणी के क्रम में शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का वितरण किया जायेगा। किसी वरीयता श्रेणी में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध न रहने पर बिन्दु (iii) में वर्णित रीति से वेटेज अंक प्रदान कर संयुक्त वेटेज अंक प्राप्ति के अनुसार सबसे अधिक वेटेज अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा को सर्वप्रथम शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का वितरण किया जायेगा। तदोपरान्त घटते हुये क्रम में वितरण किया जायेगा बशर्ते कि छात्र/छात्रा का आचरण अच्छा रहा हो एवं वह विगत कक्षा में उत्तीर्ण होकर पाठ्यक्रम की अगली कक्षा में प्रवेश ले लिया हो।
- (ख) छात्र/छात्राओं के कुल वेटेज अंक एक समान होने की दशा में सर्वप्रथम अधिकारी की आयु को वरीयता दी जायेगी, जिसमें सबसे अधिक आयु के छात्र/छात्रा को सबसे पहले वितरण किया जायेगा, तत्पश्चात छात्र/छात्रा की आयु के घटते हुये क्रम (अवरोही क्रम) में वितरण किया जायेगा।

(ग) इसके पश्चात भी यदि कई अधिकारी कुल वेटेज अंक एवं आयु में एक समान होते हैं तो छात्र/छात्रा के नाम के अल्फाबेटिक (A to Z) क्रम में शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का वितरण किया जायेगा।

(घ) छात्र/छात्राओं के कुल वेटेज अंक, आयु एवं अल्फाबेटिक क्रम में एक समान होने की दशा में 'प्रथम आगत प्रथम पावत' के आधार पर शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का वितरण किया जायेगा। प्रथम आगत का निर्धारण छात्र/छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की तिथि व समय से किया जायेगा।

नोट:- (1) दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत उक्त वरीयता श्रेणी, संयुक्त वेटेज अंक, आयु अल्फाबेटिक आधार अथवा 'प्रथम आगत प्रथम पावत' के आधार पर लाभान्वित करते समय यह ध्यान रखा जायेगा कि सम्पूर्ण प्रदेश में लाभान्वित होने वाले छात्रों का वरीयता मानक एक समान रखा जाय।

नोट:- (2) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (राज्य इकाई) लखनऊ द्वारा प्रतिवर्ष निर्धारित तिथि तक उक्त समस्त विवरण की हस्ताक्षरित साफ्टकापी (डीवीडी) निदेशालय समाज कल्याण, उ०प्र० लखनऊ को दो प्रतियों में अभिलेखार्थ उपलब्ध करायी जायेगी।

नोट:- (3) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (राज्य इकाई) लखनऊ द्वारा उपलब्ध बजट के अनुरूप प्रतिवर्ष वरीयता क्रम के आधार पर नवीनीकरण एवं नव प्रवेशित छात्र/छात्राओं की अलग-अलग सूचित श्रेणीवार मांग (जनपदवार/बैंकवार) के विवरण की हस्ताक्षरित हार्ड एवं साफ्ट कापी, छात्र/छात्राओं के बैंक खातों में धनराशि अंतरित किये जाने हेतु निदेशालय समाज कल्याण, उ०प्र० लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेगी।

12- प्रक्रिया एवं अभिलेखों का रखरखाव-

- (i) इस योजना में अर्ह छात्रों को सम्बन्धित शिक्षण संस्थान द्वारा निम्न शर्तों के अधीन निःशुल्क प्रवेश दिया जायेगा।
- (क) राजकीय एवं अनुदानित शिक्षण संस्थानों में अनुमोदित पाठ्यक्रम में पात्र एवं सही डाटा वाले छात्रों को निःशुल्क प्रवेश की सुविधा अनुमन्य होगी। छात्र द्वारा संस्था में प्रवेश लेते ही नियमावली में निर्धारित पात्रता में आने पर छात्रवृत्ति हेतु आनलाइन आवेदन करेगा तथा आधार प्रमाणीकरण (ई-केवाई०सी०) एवं ३००१००१००० से सत्यापन के उपरांत आवेदन को फाइल सम्बिट करेगा। संस्था द्वारा आवेदन अग्रसारित करते ही छात्र निःशुल्क प्रवेश हेतु अर्ह हो जायेगा तथा उसे निर्धारित प्रारूप पर प्रीशिप कार्ड छात्रवृत्ति पोर्टल से जनरेट हो जायेगा। आनलाइन आवेदन अग्रसारित करते समय छात्र की प्रमाणानुकूलता के सम्बन्ध में पूर्ण उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी तथा जिला विद्यालय नियोक्त करते समय छात्र की सुविधा निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में अनुमन्य नहीं होगी।
- (ख) प्रीशिप कार्ड की वैधता जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति स्तर से आवेदन निरस्त/पौँडिंग होने, पी०एफ०एम०एस० स्तर पर रिस्पांस पौँडिंग होने व पी०एफ०एम०एस० के माध्यम से निरस्त होने पर, छात्र/संस्थान द्वारा निर्धारित अतिम तिथि तक आनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन पत्र (हार्ड कापी संलग्नकों सहित) जनपद स्तरीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति को उपलब्ध न कराने पर अथवा किसी स्तर पर अपात्र पाये जाने

पर तथा छात्र द्वारा आनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन पत्र में अपूर्ण/ नुटिपूर्ण/ संदिग्ध विवरण भरने पर उक्त निःशुल्क प्रवेश की अनुमत्यता रखत। समाप्त हो जायेगी, ऐसी स्थिति में पाठ्यक्रम में शुल्क की धनराशि को छात्र द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।

(ग) राजकीय एवं अनुदानित शिक्षण संस्थान में छात्रों को निःशुल्क प्रवेश हेतु फ्रीशिप कार्ड निर्धारित प्रारूप पर जनरेट होने के उपरांत विभाग द्वारा छात्र के आधार सीडेड/ एनओसीओआई० से मैट्ट बैंक खाते में शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि आनलाइन अन्तरित होने पर संबंधित संस्था को छात्र द्वारा 07 दिन के भीतर शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि जमा करनी होगी।

(घ) संस्थान में छात्र को निःशुल्क प्रवेश मिलने के पश्चात छात्र व संस्थान के मध्य शुल्क जमा करने के सम्बन्ध में अनुबन्ध पत्र निष्पादित किया जायेगा।

(ii) छात्र/छात्रों को छात्रवृत्ति की वेबसाइट <https://scholarship.up.gov.in> पर आनलाइन आवेदन करना होगा।

(iii) अध्यर्थी द्वारा जमा किये गये आवेदन-पत्र में संलग्न प्रमाण पत्रों का मिलान मूल प्रमाण पत्रों से शिक्षण संस्थान स्तर पर गठित समिति द्वारा किया जायेगा, जिसके लिए शिक्षण संस्था पूरी तरह से उत्तरदायी होगी। आवेदन-पत्र के साथ संलग्न अभिलेखों का मिलान किये जाने के उपरान्त सही एवं अर्ह पाये गये आवेदन-पत्रों पर शैक्षणिक भत्ता व शुल्क प्रतिपूर्ति की स्वीकृति हेतु संस्तुति संस्था स्तर पर गठित निम्न समिति द्वारा की जायेगी।

1- संस्था प्रमुख/निदेशक/प्राचार्य/प्रधानाचार्य- अध्यक्ष

2- संस्था के वरिष्ठतम् प्राध्यापक - सदस्य

3- संस्था के वरिष्ठतम् अनु०जाति के प्राध्यापक- सदस्य

अथवा

संस्था के वरिष्ठतम् अन्य पिछड़ा वर्ग के प्राध्यापक (अनु० जाति का कोई भी प्राध्यापक उपलब्ध न होने की दशा में)

अथवा

उस संस्था का जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा नामित सामान्य श्रेणी का कोई प्राध्यापक (अनु० जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का कोई भी प्राध्यापक न होने की दशा में)

(iv) उपरोक्त समिति द्वारा संस्तुत छात्रों का विवरण आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित संस्था का ही होगा। छात्र/छात्रों का डाटा नुटिपूर्ण, गलत या अपूर्ण पाया जाता है, ऐसे छात्र-छात्रों की संस्था द्वारा समुचित कारण दर्शाते हुये छात्रवृत्ति हेतु संस्तुति नहीं की जायेगी और अपने स्तर से रिजेक्ट कर दिया जायेगा।

(v) शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु प्रत्येक जिला समाज कल्याण अधिकारी के डिजीटल सिग्नेचर से आनलाइन संस्तुत एवं लाक किये गये विवरण की तथा शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति विवरण सम्बन्धी व अन्य समस्त अभिलेखों का रखरखाव निम्नलिखित स्तरों पर 10 वर्ष तक साप्टकापी डीवीडी, हार्ड डिस्क एवं हार्ड कापी में सुरक्षित रखी जायेगी।

1- शिक्षण संस्थान स्तर पर:-

(अ) शिक्षण संस्थान द्वारा मास्टर डाटा हेतु आनलाइन भरे गये शिक्षण संस्थान एवं संचालित पाठ्यक्रमों की मान्यता, सम्बद्धता व सीटों की अनुमत्यता एवं सक्षम स्तर से स्वीकृत पाठ्यक्रमवार फीस सम्बन्धी पूर्ण विवरण की संलग्नकों सहित हस्ताक्षरित साप्टकापी डीवीडी, हार्ड डिस्क में।

(ब) छात्र-छात्रों के आनलाइन भरे गये छात्रवृत्ति आवेदन पत्रों की संलग्नक सहित हार्डकापी/सॉफ्ट कापी डीवीडी, हार्ड डिस्क में।

छात्रवृत्ति आवेदन पत्रों से सम्बन्धित हस्ताक्षरित साप्टकापी (डीवीडी) जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में निर्धारित तिथि तक उपलब्ध करायी जायेगी।

2- जनपद स्तर पर:-

क- जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय स्तर:-

1- समस्त शिक्षण संस्थानों का मास्टर डाटाबेस का विवरण जिसमें संस्थानों/पाठ्यक्रमों की मान्यता व सम्बद्धता, अनुमत्य सीटों की संख्या एवं सक्षम स्तर से अनुमत्य शुल्क तथा सम्बन्धित समस्त शासनादेश/सक्षम स्तर से जारी आदेशों की हस्ताक्षरित हार्ड एवं साप्ट कापी डीवीडी, हार्ड डिस्क में।

2- शैक्षिक संस्थावार छात्र/छात्रों द्वारा आनलाइन भरे गये छात्रवृत्ति विषयक आवेदन पत्रों के हस्ताक्षरित संख्यात्मक विवरण की हार्ड एवं साप्टकापी डीवीडी में।

3- जनपद स्तरीय छात्रवृत्ति स्वीकृति/विवरण समिति द्वारा स्वीकृत शैक्षणिक भत्ता/शुल्क प्रतिपूर्ति का शिक्षण संस्थावार संख्यात्मक हस्ताक्षरित विवरण (शैक्षणिक भत्ता व शुल्क प्रतिपूर्ति धनराशि सहित) हार्ड कापी में।

4- छात्रवृत्ति सर्वर पर जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा आनलाइन डिजिटल सिग्नेचर से लाक किये गये शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति डाटा से सुजित बेनीफिशरी एवं ट्रॉजेक्शन फाइल की हस्ताक्षरित हार्डकापी एवं साप्टकापी डीवीडी, हार्डडिस्क में बेनीफिशरी एवं ट्रॉजेक्शन फाइल की हार्डकापी पर कम्प्यूटर आपरेटर, लेखाकार, पटल सहायक, नोडल अधिकारी योजना एवं वित्त नियन्त्रक, निदेशालय द्वारा हस्ताक्षरित की जायेगी।

5- शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित जंक एवं स्पेक्ट डाटा की हस्ताक्षरित साप्ट एवं हार्डकापी, छात्र-छात्रों को छात्रवृत्ति न मिल पाने के कारण सहित।

6- शैक्षिक संस्थावार छात्र-छात्रों के खाते में धनराशि अन्तरण के उपरान्त लाभान्वित छात्र-छात्रों के डाटाबेस को सम्बन्धित वेबसाइट से डाउनलोड कर उसकी साप्टकापी डीवीडी, हार्डडिस्क एवं हार्डकापी (कम्प्यूटर आपरेटर, लेखाकार, पटल सहायक, नोडल अधिकारी योजना एवं वित्त नियन्त्रक द्वारा हस्ताक्षरित)।

(vi) विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी के नोडल अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11-12) द्वारा शिक्षण संस्था की मान्यता, वैधता एवं वर्गीकरण अनुमत्य सीटों के सापेक्ष आवेदकों की संख्या आदि का परीक्षण कर आनलाइन सत्यापन एवं डिजीटल हस्ताक्षर से लाभ किया जायेगा। तदोपरान्त निदेशक, समाज कल्याण द्वारा ई-डिस्ट्रिक्ट/डिजीलाकर आदि के माध्यम से छात्रों के आवेदन में उल्लिखित आवश्यक बिन्दुओं पर परीक्षण कराकर शुद्ध एवं संदेहास्पद डाटा सम्बन्धित जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति को निर्णयार्थ उपलब्ध कराया जायेगा।

(vii) जनपद स्तर पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की दशमोत्तर शैक्षणिक भत्ता/शुल्क प्रतिपूर्ति की स्वीकृति एवं वितरण हेतु निम्न समिति गठित की जाती है:-

1-जिलाधिकारी	- अध्यक्ष
2-मुख्य विकास अधिकारी	- उपाध्यक्ष
3-मण्डलीय उच्चशिक्षाधिकारी/ अथवा नामित प्रतिनिधि	- सदस्य
4-जिला विद्यालय निरीक्षक	- सदस्य
5-जिला सूचना विज्ञान अधिकारी	- तकनीकी सदस्य
6-मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी	- सदस्य
7-जिला समाज कल्याण अधिकारी	- सदस्य संचिव

यह समिति जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति/वितरण समिति कही जायेगी, जो इस नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत जनपद स्तर पर शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की स्वीकृति प्रदान करेगी एवं छात्रवृत्ति वितरण सुनिश्चित करायेगी। जनपद स्तर पर छात्रवृत्ति वितरण में समय-समय पर आने वाली कठिनाइयों/ समस्याओं का निराकरण भी उक्त समिति द्वारा किया जायेगा।

(viii) (1) एन०आई०सी० से छात्रों के प्राप्त शुद्ध एवं संदेहास्पद डाटा के आधार पर जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा छात्रों का स्थलीय/अभिलेखीय सत्यापन छात्रवृत्ति आवेदन पत्र का परीक्षण कर किया जायेगा। अपात्र छात्रों के डाटा को बाहर किया जायेगा। सही व पात्र छात्रों के डाटा पर जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के समक्ष प्रस्तुत कर स्वीकृति/ अस्वीकृति का निर्णय कराकर डिजिटल सिमेन्ट्र से प्रत्येक छात्र का डाटा निर्धारित समयावधि में लाभ किया जायेगा। गलत/अपात्र छात्र के डाटा स्वीकृत करने पर अथवा सही/पात्र छात्र के डाटा को अस्वीकृत करने पर अथवा पैडिंग डाटा को छोड़ने पर जिला समाज कल्याण अधिकारी/पटल सहायक/कम्प्यूटर अपरेटर का दायित्व निर्धारित किया जायेगा।

(2) जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा स्वीकृत/लाभ डाटा के आधार पर निदेशालय द्वारा एन०आई०सी० के माध्यम से मांग जनरेट करायी जायेगी तथा पात्र छात्र/छात्रा को छात्रवृत्ति की धनराशि बजट की उपलब्धता के अनुसार छात्र/छात्रा के आधार सीडेड बचत बैंक खाते में सीधे राज्य मुख्यालय स्थित कोषागार से सिंगल नोडल एकाउन्ट (Single Nodal Account) के तहत PFMS (Public Financial Management System) प्रणाली के माध्यम से निर्धारित प्रक्रियानुसार अन्तरित की जायेगी, जिसका उत्तरदायित्व निदेशालय के वित्त नियन्त्रक, नोडल अधिकारी (दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना) का होगा। जिसका उत्तरदायित्व निदेशालय के वित्त नियन्त्रक, नोडल अधिकारी (दशमोत्तर शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना) व आहरण वितरण अधिकारी का होगा।

(3) जिला समाज कल्याण अधिकारी के डिजिटल सिमेन्ट्र से आनलाइन संस्तुत एवं लॉक डाटा में किसी स्तर से बदलाव नहीं किया जायेगा। उक्तानुसार लॉक डाटा के आधार पर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (स्टेट यूनिट) लखनऊ द्वारा नियमावली में द्रष्टिंतरीति से डाटा को प्रोसेस कराकर मांग जनरेट की जायेगी। आनलाइन लॉक किये गये डाटा की शुद्धता की पूर्ण जिम्मेदारी जिला समाज कल्याण अधिकारी एवं जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति की होगी क्योंकि इसी लॉक डाटा के आधार पर ही नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत अधिकारियों को धनराशि का अन्तरण किया जायेगा।

(ix) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र राज्य इकाई लखनऊ के स्तर पर परीक्षण के बिन्दु- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (राज्य इकाई) लखनऊ के स्तर पर जनपदों से प्राप्त छात्र/ छात्राओं के डाटा का परीक्षण (स्क्रूटनी) शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित बिन्दुओं पर की जायेगी।

(x) निदेशालय के वित्त नियन्त्रक एवं योजना हेतु नामित नोडल अधिकारी को एन०आई०सी० द्वारा पासवर्ड उपलब्ध कराया जायेगा, जिसका उपयोग करके छात्रवृत्ति की कुल मांग का 40 प्रतिशत राज्यांश की धनराशि की पैमेन्ट फाइल जनरेट की जायेगी। उक्त पैमेन्ट फाइल को PFMS (Public Financial Management System) साप्टवेयर पर PFMS कोड नम्बर द्वारा अपलोड कर पैमेन्ट फाइल का सत्यापन कराया जायेगा, जिसे PFMS द्वारा स्वीकृत किये जाने के पश्चात विभाग के योजनाधिकारी, वित्त नियन्त्रक तथा आहरण वितरण अधिकारी द्वारा उक्त ट्रांजेक्शन फाइल की धनराशि को कोषागार से SNA में हस्तांतरित की जायेगी। धनराशि हस्तांतरित होने के पश्चात योजनाधिकारी, छात्रवृत्ति द्वारा पैमेन्ट फाइल अपूर्ण करने के पश्चात वित्त नियन्त्रक एवं आहरण वितरण अधिकारी द्वारा भुगतान की कार्यवाही की जायेगी। उक्त तीनों अधिकारियों द्वारा अपने डिजिटल सिमेन्ट्र से समस्त कार्यवाही की जायेगी।

(xi) एन०आई०सी० (राज्य इकाई) द्वारा वित्त नियन्त्रक एवं नोडल अधिकारी के उपयोग हेतु छात्रवृत्ति साप्टवेयर में आवश्यकतानुसार ऐसी व्यवस्था की जायेगी जिससे दोनों अधिकारियों को संयुक्त रूप से ट्रांजेक्शन फाइल को पीएफएमएस सर्वर पर ट्रान्सफर करने का विकल्प उपलब्ध होगा।

(xii) वैकों से अवितरित वापस प्राप्त धनराशि का लेखा जोखा एवं तत्सम्बन्धी समस्त आवश्यक अभिलेखों के रखरखाव का उत्तरदायित्व वित्त नियन्त्रक/आहरण वितरण अधिकारी, मुख्यालय का होगा।

-13- भुगतान-व्यवस्था

- (i) संस्था में अध्ययनरत अभ्यर्थी को शासन द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक आनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन-पत्र भरना होगा। अंतिम तिथि के पश्चात भरे-जाने-वाले आवलाइन-छात्रवृत्ति-आवेदन-पत्रों पर संविचार-नहीं किया-जायेगा।
- (ii) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, राज्य इकाई, लखनऊ द्वारा विकसित साप्टवेयर से सूजित बेनीफिशरी एवं ट्रान्जेक्शन फाइल में वित्त नियंत्रक या नोडल अधिकारी (योजना) स्तर से कोई बदलाव नहीं किया जायेगा। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में शासन द्वारा निर्धारित तिथि पर वेबसाइट को राज्य एन0आई0सी0 लखनऊ द्वारा लॉक कर दिया जायेगा। बैंक खाते में धनराशि के अन्तरण का reconciliation कार्य उसी वित्तीय वर्ष में वित्त नियंत्रक/सम्परीक्षाधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी, मुख्यालय द्वारा पूर्ण किया जायेगा।
- (iii) कोषागार से PFMS (Public Financial Management System) प्रणाली के माध्यम से पात्र छात्र/छात्राओं के आधार सीडेड बचत बैंक खातों में निर्धारित प्रक्रियानुसार अन्तरण हेतु प्रेषित धनराशि का अन्तरण न होने की दशा में छात्रवृत्ति हेतु भारतीय स्टेट बैंक, जवाहर भवन, लखनऊ में खोले गये SNA खाते में स्वतः वापस प्राप्त धनराशि जमा होगी। ट्रान्जेक्शन फेल्ड/अवितरित बैंक को वापस प्राप्त धनराशि को विभाग द्वारा शासन की अनुमति के उपरांत पुनः उन्हीं छात्र/छात्राओं के बैंक खातों में अन्तरण की कार्यवाही की जायेगी। पुनः ट्रान्जेक्शन फेल्ड होने पर अवितरित वापस प्राप्त धनराशि को जमा कराने का पूर्ण उत्तरदायित्व वित्त नियंत्रक/नोडल अधिकारी (दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना)/आहरण वितरण अधिकारी, मुख्यालय का होगा। PFMS (Public Financial Management System)/बैंकों का उत्तरदायित्व होगा कि वे लाभार्थियों के खातों में अन्तरित न होने वाली धनराशि व सम्बन्धित लाभार्थियों एवं उनके खातों का पूर्ण विवरण अन्तरित न होने की तिथि से विलम्बतम 01 माह के अन्दर वित्त नियंत्रक/नोडल अधिकारी (दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना) समाज कल्याण, निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध करा देंगे। वित्त नियन्त्रक द्वारा उक्तानुसार प्राप्त समस्त धनराशि एवं लाभार्थियों का विवरण लेजर में अकित कर कार्यालय में सुरक्षित रखा जायेगा। शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि के अन्तरण का विवरण विश्वविद्यालय/जिला समाज कल्याण अधिकारियों के लागिन पर जनपदवार उपलब्ध होगा।
- (iv) शैक्षणिक भत्ता 01 अप्रैल अथवा नामांकन के महीने, जो भी बाद में हो, से भारत सरकार द्वारा जारी नियमावली मार्च, 2021 के अनुसार शैक्षणिक वर्ष हेतु निर्धारित दर पर देय होंगे।

14- छात्रवृत्ति की अवधि व नवीनीकरण-

- (i) छात्र/छात्रा को एक बार दी गयी छात्रवृत्ति उसको दिये जाने के चरण से लेकर पाठ्यक्रम की समाप्ति तक देय होगी बशर्ते कि छात्र/छात्रा का आचरण अच्छा रहे। यह छात्रवृत्ति वर्षानुवर्ष नवीनीकृत होगी, परन्तु शर्त यह है कि एक ऐसे पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में जो अनेक वर्षों तक सतत चलता रहता है, छात्र/छात्रा हर वर्ष विश्वविद्यालय अथवा संस्था द्वारा ली गयी परीक्षा में उत्तीर्ण/प्रोत्रत होकर उच्चतर कक्षा में पहुँचता रहे।
- (ii) किसी भी समूह में छात्र के वार्षिक परीक्षा में असफल रहने की स्थिति में उसकी छात्रवृत्ति का नवीनीकरण नहीं हो सकेगा। संबंधित छात्र को तब तक अपना खर्च स्वयं वहन करना होगा, जब तक वह अगली उच्चतर कक्षा में प्रोत्रत नहीं हो जाता है।
- (iii) यदि विश्वविद्यालय/संस्था के विनियमों के अनुसार एक छात्र को अगली उच्चतर कक्षा में प्रोत्रत कर दिया जाता है, चाहे वह निचली कक्षा में वास्तविक रूप में उत्तीर्ण न हुआ हो, तथा उसके द्वारा निचली कक्षा में कुछ समय पश्चात दोबारा परीक्षा देना अपेक्षित हो, तो यदि वह विद्यार्थी अन्यथा छात्रवृत्ति के लिए पात्र हो तो वह उस कक्षा में छात्रवृत्ति पाने का हकदार होगा, जिस कक्षा में उसे प्रोत्रत किया गया है।
- (iv) नवीनीकरण के प्रत्येक छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया पंजीकरण क्रमांक भरना अनिवार्य होगा।

15- छात्रवृत्ति के लिये अन्य शर्तें-

- (i) छात्रवृत्ति, अभ्यर्थी की संतोषजनक प्रगति एवं आचरण पर निर्भर है। यदि किसी समय संस्थान प्रमुख द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई अभ्यर्थी खर्च अपने आचरण अथवा चूक के कारण संतोषजनक प्रगति करने में असफल रहा है अथवा उसे दुब्रयवहार जैसे-हड़ताल करने या उसमें भाग लेने, सम्बन्धित प्राधिकारियों की अनुमति के बावें उपस्थिति में अनियमितता आदि का दोषी पाया गया है तो छात्रवृत्ति संस्कीर्त करने वाला प्राधिकारी या तो छात्रवृत्ति रद्द कर सकता है अथवा रोक सकता है या ऐसी अवधि, जो वह उचित समझे, तक के लिए आगे का भुगतान रोक सकता है।

(ii) अनियमितताये पाये जाने पर कार्यवाही-

शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनानुर्गत निम्नलिखित अनियमितताये पाये जाने पर सम्बन्धित छात्रों/शिक्षण संस्थानों के संचालकों/प्रधानाचार्यों/शिक्षण संस्थानों के नोडल अधिकारियों तथा विभागीय/अन्य विभागों के जनपदीय अधिकारियों/कर्मचारियों एवं अन्य संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध जांचोपरान्त नियमानुसार सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना नियमों द्वारा दिये गए विभागीय कार्यवाही की जायेगी एवं गबन की गयी धनराशि की वसूली 9 प्रतिशत साधारण व्याज के दर से भू-राजस्व की भांति जिलाधिकारी के माध्यम से करायी जायेगी तथा ऐसे छात्रों एवं शिक्षण संस्थानों को काली सूची में दर्ज करने व शिक्षण संस्थानों की मान्यता एवं सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही शासन/निदेशालय द्वारा की जायेगी:-

- 1- मास्टर डाटा बेस में शिक्षण संस्थान द्वारा गलत सूचना भरकर सम्मिलित होने पर।
- 2- शिक्षण संस्थान/विद्यालय में छात्र/छात्रा के अध्ययनरत न पाये जाने पर।
- 3- शिक्षण संस्थान द्वारा छात्र/छात्रा के किसी अन्य शिक्षण संस्थान/विद्यालय में अध्ययनरत होते हुये भी अपनी संस्था से छात्र की शैक्षणिक भत्ता/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन सत्यापित एवं अग्रसारित करने पर।
- 4- छात्र/छात्रा द्वारा स्वयं/माता-पिता अथवा अभिभावक की वास्तविक आय छिपाकर फर्जी आय के आधार पर शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन करने पर।
- 5- छात्र/छात्रा द्वारा झूठा घोषणा पत्र प्रस्तुत कर शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त करने पर।
- 6- छात्र/छात्रा द्वारा एक ही शैक्षणिक वर्ष में किसी पाठ्यक्रम/शिक्षण संस्थान बदल कर पुनः दूसरे पाठ्यक्रम व शिक्षण संस्थान से शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन करके तथा अध्ययन छोड़कर या पाठ्यक्रम/शिक्षण संस्थान बदल कर पुनः दूसरे पाठ्यक्रम व शिक्षण संस्थान से शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन करने पर।

- 7- शैक्षणिक भत्ता/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि प्राप्त करने हेतु अभिलेखों में कूटरचना/हेराफेरी करके छात्र/शिक्षण संस्थान द्वारा शैक्षणिक भत्ता/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन करने एवं शिक्षण संस्थान द्वारा फर्जी आवेदन सत्यापित व अग्रसारित करने पर।
- 8- जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय/शिक्षा विभाग या अन्य किसी व्यक्ति/विभाग द्वारा कूटरचना/हेराफेरी कर छात्रों की बढ़ी हुई संख्या दर्शाकर शैक्षणिक भत्ता/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि ऐसे छात्रों/व्यक्तियों के बैंक खातों में अन्तरित कराने अथवा अन्तरित करने का प्रयास करने पर।
- 9- जिला मजिस्ट्रेट/निदेशक/शासन के द्वारा जांच में गम्भीर अनियमितताये पाये जाने पर।
- 10- शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि प्राप्त करने के उपरांत छात्र/छात्रा द्वारा अध्ययन छोड़ देने के उपरांत धनराशि वापस न करने पर।
- (iii) छात्र द्वारा यदि अध्ययन वर्ष के दौरान, वह अध्ययन जिसके लिए वह छात्रवृत्ति दी जानी है/दी गयी है, छोड़ दिया जाता है तो छात्र को छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता व शुल्क) की धनराशि प्रदान नहीं की जायेगी/वापस करनी होगी। यदि छात्र दोनों सेमेस्टर की परीक्षा अथवा वार्षिक परीक्षा में सभी विषयों में अनुपस्थित रहता है या परीक्षा/विषयों में उपस्थिति दर्ज करता है, किन्तु सभी विषयों में शून्य अंक प्राप्त करता है तो शैक्षणिक भत्ता/शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा अनुमत्य नहीं होगी। यदि धनराशि भुगतान की गयी है तो छात्र/संस्था को धनराशि वापस करनी होगी।

16(1)- छात्र-छात्राओं के दायित्व-

- (i) शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आनलाइन आवेदन निर्धारित तिथि तक वेबसाइट <https://scholarship.up.gov.in> के माध्यम से ही भरा जायेगा। किसी अन्य माध्यम से भरे गये आवेदन पत्र मान्य नहीं होंगे। अभ्यर्थी द्वारा आनलाइन भरा गया आवेदन पत्र निर्धारित तिथि के पश्चात एन०आई०सी० द्वारा लाक किया जायेगा। एन०आई०सी० द्वारा डाटा लाक किये जाने के उपरांत किसी भी दशा में किसी स्तर पर परिवर्तनीय नहीं होगा। आनलाइन डाटा में छेड़छाड़ किये जाने पर आई०टी० एक्ट के तहत सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- (ii) आवेदन पत्र का प्रिन्ट आउट प्राप्त करना-
छात्र/छात्राओं द्वारा अपने भरे गये आवेदन का प्रिन्ट-आउट को समस्त अन्य वांछित डाक्यूमेंट जैसे- आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पहचान पत्र की स्वप्रमाणित प्रतिलिपियां संलग्न करते हुये अपने अध्ययनरत शिक्षण संस्था में सम्बन्धित अधिकारी के पास जामा करके उसकी रसीद प्राप्त कर लें। आवेदन पत्र आनलाइन Submit करने के उपरान्त समय-सारिधी में निर्धारित कार्य दिवस के अन्दर संस्थान में आवेदन पत्र की हार्डकापी जमा करना आवश्यक है।
- (iii) आवेदन पत्र जमा की रसीद प्राप्त करना-
1-संस्थान द्वारा दी जाने वाली प्राप्ति रसीद आवेदन पत्र के प्रिन्ट-आउट के साथ ही प्रिन्ट होगी। संस्थान द्वारा उसी रसीद पर संस्था की मुहर एवं हस्ताक्षर कर छात्र/छात्रा को प्रदान की जायेगी।
2- निर्धारित वेबसाइट पर आवेदक अपने जमा किये गये फार्म की वर्तमान स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकता है जिसके लिये वेबसाइट पर दिये गये “आवेदन की स्थिति जाने” को क्लिक करना होगा एवं स्क्रीन पर अपना रजिस्ट्रेशन संख्या भरना होगा।
- (iv) छात्र/छात्रा के मोबाइल नम्बर पर SMS प्रदान करना-
छात्र/छात्रा के मोबाइल नम्बर पर SMS व ई०-मेल पर छात्रों को विवरण भेजने हेतु विभिन्न स्तरों का चयन निदेशक समाज कल्याण द्वारा किया जायेगा।
- (v) छात्र/छात्राओं द्वारा आधार नम्बर आवेदन पत्र में अंकित करना-
प्रत्येक छात्र/छात्रा को हाईस्कूल प्रमाण-पत्र पर अंकित नाम एवं जन्म तिथि के अनुसार आधार कार्ड बनवाना होगा। विवाहित पुत्री की स्थिति में आधार कार्ड में पति का नाम व पता आदि अपडेट करना होगा। छात्रवृत्ति के आनलाइन आवेदन पत्र में आधार ई०-के०वाई०सी० के पश्चात छात्र/छात्रा का समस्त विवरण, बैंक विवरण आटोफेच होकर प्रदर्शित होगा।

16(2)- शिक्षण संस्थान के दायित्व -

- (i) शिक्षण संस्था का छात्रवृत्ति हेतु एक नोडल अधिकारी नामित करना होगा। प्रत्येक शिक्षण संस्था के लिए अलग-अलग नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा। नामित नोडल अधिकारी का डिजिटल हस्ताक्षर उसी शिक्षण संस्था के लिए मान्य होगा। एन०आई०सी० द्वारा प्रत्येक संस्था में डिजिटल सिप्रेचर का प्रयोग करने वाले कार्मिका का लॉग तिथि एवं समय के साथ सुरक्षित रखा जायेगा।
- (ii) शिक्षण संस्था को जिला समाज कल्याण अधिकारी से निर्धारित अवधि में लागिन आई०डी० एवं पासवर्ड प्राप्त करना तथा डिजिटल सिप्रेचर सत्यापित करना होगा।
- (iii) शिक्षण संस्था में डिजिटल सिप्रेचर प्रयोग करने वाले कार्मिकों की ई०-के०वाई०सी० छात्रवृत्ति की वेबसाइट <https://scholarship.up.gov.in> पर अपडेट करनी होगी।
- (iv) आनलाइन आवेदन हेतु फार्म शासन द्वारा निर्धारित तिथि से वेबसाइट <https://scholarship.up.gov.in> पर उपलब्ध होगा। अभ्यर्थियों के द्वारा जमा किये गये आवेदन पत्र एवं संलग्नकों के आधार पर प्रविष्टियों के मिलान का कार्य जारी रखेंगे। किसी भी दशा में अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एक साथ जमा होने का इन्तजार नहीं करेंगे, जितने अभ्यर्थियों का आवेदन पत्र प्राप्त होता रहेगा उतने की जांच/मिलान करते रहेंगे।
- (v) जिन छात्र/छात्राओं का डाटा त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण/गलत तथा नियमावली के प्राविधिनों के अनुसार अपात्र होगा, उनका डाटा संस्थान द्वारा अग्रेसित नहीं किया जायेगा, संस्था उसको अपने स्तर से reject कर देगी। शासन द्वारा निर्धारित तिथि तक शिक्षण संस्थान के लागिन पर उपलब्ध सम्पूर्ण डाटा पर निर्णय लेकर अग्रसारित या रिजेक्ट कर दिया जायेगा। किसी भी दशा में संस्थान द्वारा किसी भी छात्र का डाटा लम्बित नहीं रखा जायेगा।
- (vi) सभी छात्रों को योजना के प्राविधिनों एवं शासन द्वारा फार्म भरने हेतु नियत की गयी अन्तिम तिथि की जानकारी संस्थान सभी कक्षाओं में उपलब्ध सूचना-संचार माध्यमों यथा- Public address System, Faculty members द्वारा एवं विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये हैंडबिल

८५४९८८२

आदि के माध्यम से अवगत करायेगें।

- (vii) छात्र/छात्रा को आनलाइन आवेदन करने की सुविधा आवश्यकता पड़ने पर सम्बन्धित शैक्षिक संस्थान द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

(viii) संस्था के अभिलेखों से अध्यर्थियों के विवरण का मिलान आनलाइन आवेदन पत्र से नहीं होने अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर उनकी संस्तुति न करके संस्थान स्तर से रिजेक्ट किया जायेगा।

(ix) शिक्षण संस्थान द्वारा पात्र छात्र/छात्रा का डाटा आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करने के बाद आनलाइन सत्यापित विवरण की हार्डकापी छात्रों द्वारा जमा आनलाइन फीडेड आवेदन पत्र के प्रिन्ट-आउट समस्त संलग्नकों सहित सत्यापन प्रमाण पत्र संस्था के प्रमुख द्वारा अपनी संस्तुति सहित जिला समाज कल्याण अधिकारी को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना होगा।

(x) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, राज्य इकाई लखनऊ द्वारा छात्रों के हाईस्कूल के अनुक्रमांक के आधार पर संस्था के स्तर पर सत्यापन/अग्रसारण के समय प्रत्येक छात्र के सम्मुख गत वर्षों में छात्र को जिस पाठ्यक्रम में छात्रवृत्ति का भुगतान हुआ है, उस कोर्स को प्रदर्शित किया जायेगा। शिक्षण संस्था द्वारा नियमावली के प्राविधानों के अनुसार पात्र छात्रों का आवेदन अग्रसारित किया जायेगा।

(xi) शिक्षण संस्थान यह सुनिश्चित करेगा कि एक वर्ष से अधिक अवधि वाले पाठ्यक्रमों में आनलाइन आवेदन करने वाले छात्रवृत्ति हेतु पत्र अध्यनरत छात्र अगले वर्ष नवीनीकरण का ही फार्म भरें एवं शिक्षण संस्थान उनके नवीनीकरण का ही फार्म सत्यापित एवं अग्रसारित करेगा। नये छात्र (पाठ्यक्रम के किसी एक वर्ष में असफल छात्र जो बाद में परीक्षा उत्तीर्ण किया हो, को छोड़कर) के रूप में उनका आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(xii) शिक्षण संस्थान द्वारा नवीनीकरण हेतु अर्ह छात्रों के नवीनीकरण न कराये जाने के सम्बन्ध में प्रत्येक छात्रवार स्पष्ट कारण स्कॉलरशिप पोर्टल पर आनलाइन अंकित किया जायेगा यथा-छात्र परीक्षा में असफल हुआ या शिक्षण संस्थान छोड़कर चला गया आदि।

(xiii) संस्था द्वारा छात्र के 75 प्रतिशत उपस्थिति एवं गत वर्ष में प्राप्त अंकों/उत्तीर्ण/प्रोक्रेट होने का अनिवार्य रूप से अंकन/सत्यापन करने के उपरांत आवेदन पत्र आनलाइन अग्रसारित किया जायेगा। भौतिक रूप से कक्षाओं के संचालन होने पर छात्र की बायोमैट्रिक उपस्थिति को प्रत्येक माह संस्थान द्वारा छात्रवृत्ति पोर्टल पर दिये गये लिंक के माध्यम से अपलोड भी करना होगा।

16(3)- जिला समाज कल्याण अधिकारी के दायित्व-

- (i) शिक्षण संस्थानों द्वारा भरे गये मास्टर डाटा से सम्बन्धित अभिलेख, छात्रों की सूची, छात्रों के आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं समस्त संलग्नकों को पी0डी0एफ0 फाइल की साप्ट कापी के रूप में संस्थाओं से प्राप्त कर वर्षवार/संस्थावार 10 वर्षों तक सुरक्षित रखना।
 - (ii) अभ्यर्थी के आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र तथा निवास प्रमाण पत्र का मिलान राजस्व परिषद की वेबसाइट से रेंडम आधार पर स्वीकृति से पूर्व करना/करना।
 - (iii) अभ्यर्थी के आवेदन पत्र की हार्डकापी आवश्यकता पड़ने पर संलग्नकों सहित छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के समक्ष प्रस्तुत करना।
 - (iv) सक्षम एजेंसी से डिजीटल सिग्नचर (Digital Signature) प्राप्त कर छात्र/छात्राओं के डाटा को निर्धारित अवधि के अन्दर आनलाइन सत्यापित एवं लाक करना। इसके अतिरिक्त डिजिटल सिग्नचर बनाने वाली एजेंसी/कार्मिक का विस्तृत विवरण सुरक्षित रखना होगा।
 - (v) आनलाइन डाटा की मानीटरिंग हेतु आयुक्त/ जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में शिक्षाधिकारी तथा शिक्षण संस्थाओं के साथ मासिक बैठक कराते रहना। यदि किसी शैक्षणिक संस्थान द्वारा निर्धारित तिथि तक डाटा का अग्रसारण नहीं प्राप्त हो रहा है अथवा उसके द्वारा छात्रों के आवेदन पत्रों की हार्डकापी नहीं उपलब्ध करायी जा रही है तो उक्त संस्थान के प्राचार्य/ प्रधानाचार्य को बैठक में बुलाकर निर्धारित अवधि के अन्दर सभी आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे, जिन जनपदों में विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी स्थित हैं उनके छात्रवृत्ति नोडल अधिकारियों को भी बैठक में अनिवार्य रूप से बुलाया जायेगा।
 - (vi) छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति की बैठक आवश्यकतानुसार आहूत कराना एवं कार्यवृत्त तैयार कर जारी कराना। निर्धारित समयावधि में यदि किसी शिक्षण संस्था द्वारा कार्यवाही पूर्ण नहीं की जाती है तो उसके विरुद्ध जिलाधिकारी के माध्यम से कठीर कार्यवाही कराने का उत्तरदायित जिला समाज कल्याण अधिकारी का ही होगा।
 - (vii) जनपद स्तर पर जिला समाज कल्याण अधिकारी के साथ-साथ छात्रवृत्ति योजना का कार्य देख रहे सम्बन्धित पटल सहायक के डिजिटल सिग्नचर से संयुक्त रूप से मास्टर डाटा एवं अन्य डाटा को लाक करने आदि की कार्यवाही की जायेगी।

16(4)- सम्बन्धित शिक्षा विभागों का दायित्व-

- (i) आनलाइन डाटा अग्रसारण की मानीटरिंग हेतु जनपद में आयोजित बैठकों में शिक्षण संस्थाओं के प्राचार्य/प्रधानाचार्य के साथ उपस्थित रहकर कार्यवाही समयान्तर्गत सुनिश्चित कराना। शासन द्वारा निर्धारित समयावधि में यदि किसी शिक्षण संस्था द्वारा कार्यवाही पूर्ण नहीं की जाती है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति करना।

(ii) शिक्षा अधिकारी/सम्बन्धित विश्वविद्यालयों तथा एफिलियेटिंग एजेंसी के नोडल अधिकारियों द्वारा मास्टर डाटाबेस में शिक्षण संस्थानों की मान्यता, वैधता तिथि, वर्गवार स्वीकृत सीटों की संख्या एवं उसके सापेक्ष प्रवेश प्राप्त छात्र/ छात्राओं की वास्तविक संख्या आदि का सत्यापन कर डिजीटली सिंग्रेचर से लाक किया जाना।

(iii) जिला विद्यालय निरीक्षक/सम्बन्धित विश्वविद्यालयों तथा एफिलियेटिंग एजेंसी के नोडल अधिकारियों द्वारा मास्टर डाटा सत्यापन/लाक (जैसा लागू हो) के उपरांत शिक्षण संस्था के विवरण की हार्डकापी निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत जिला समाज कल्याण अधिकारी को प्रेषित किया जायेगा।

(iv) शिक्षण संस्था द्वारा भिसिंग छात्रों के संबंध में आनलाइन अकित किये गये कारणों के आधार पर संवधित शिक्षण संस्थाओं की रैण्डम जांच कराना तथा अनियमितता पाये जाने पर संवधित शिक्षण संस्था की मान्यता निरस्त करने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करना।

16(5)- शिक्षा विभागों के विभागाध्यक्ष का दायित्व-

- 1- मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों को संचालित करने वाले शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों की नियंत्रक बॉर्डी प्रदेश के अन्दर न होकर स्वयं स्वायतशासी संस्थान है, उनमें अपना मास्टर डाटा, फीस, सीट आदि स्वयं सत्यापित/लॉक करने के उपरांत जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा सत्यापित/लॉक किया जायेगा।
- 2-भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रमों आदि का डा० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ से सत्यापन एवं विभागाध्यक्ष, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग से संस्तुत प्राप्त संस्थानों को भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

16(6)-राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के दायित्व-

- (i) शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप एवं प्रक्रिया के अनुसार आनलाइन साफ्टवेयर तैयार कराना।
- (ii) शिक्षण संस्थाओं के उपयोगार्थ समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारियों को उनके लागिन के माध्यम से संस्थाओं के लिए लागिन आई०डी० एवं पासवर्ड उपलब्ध कराने हेतु सुविधा प्रदान करना।
- (iii) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, राज्य इकाई, लखनऊ एवं निदेशालय, समाज कल्याण द्वारा लागिन आई०डी० एवं पासवर्ड जिला समाज कल्याण अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।
- (iv) एन०आई०सी० द्वारा जिला समाज कल्याण अधिकारियों के माध्यम से जिला विद्यालय निरीक्षक को तथा निदेशालय के माध्यम से विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी को लागिन पासवर्ड प्राप्त कराना तथा डिजिटल सिम्प्लेचर रिसेट/सत्यापित कराना।
- (v) आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त होने के 15 दिनों के अन्दर नवीनीकरण हेतु अर्ह छात्रों के सापेक्ष मिसिंग छात्रों की जानकारी स्कॉलरशिप पोर्टल पर आनलाइन प्रकाशित कराना।
- (vi) राज्य स्तर पर आय, जाति, आधार नम्बर, बोर्ड रोल नम्बर व वर्ष, परीक्षाफल आदि के लाइव चेक करने की व्यवस्था करना तथा स्कूटनी में निदेशक, समाज कल्याण विभाग को आवश्यक सहयोग प्रदान कराना।
- (vii) आनलाइन आवेदन भरने से लेकर धनराशि अन्तरण तक में आने वाली समस्त तकनीकी समस्याओं का निराकरण कराना।
- (viii) पी०एफ०एम०एस० के माध्यम से आधार सीडे० बैंक खातों का सत्यापन की कार्यवाही निर्धारित समय में पूर्ण कराना।

16(7)- विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी/परीक्षा नियंत्रक प्राधिकारी के उत्तरदायित्व-

- (i) दशमोत्तर छात्रवृत्ति कार्य हेतु सभी विश्वविद्यालयों/एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा नामित नोडल अधिकारी, सम्बन्धित अधिकृत संस्था से डिजिटल सिम्प्लेचर प्राप्त कर मास्टर डाटा को सत्यापित करके लाक करेंगे। डिजिटल सिम्प्लेचर बनाने वाली एजेंसी/कार्मिक का विस्तृत विवरण पत्रावली में सुरक्षित रखना होगा।
- (ii) सभी विश्वविद्यालयों/एफिलियेटिंग एजेंसी एवं परीक्षा प्राधिकारियों द्वारा परीक्षाफल को परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत यथाशीघ्र छात्रवृत्ति की वेबसाइट पर अपलोड करते हुए डिजिटल सिम्प्लेचर से लाक किया जायेगा।
- (iii) मास्टर डाटा में भरे गये शिक्षण संस्थाओं के सम्बन्धित अभिलेख, छात्रों की सूची, समस्त संलग्नकों को पी०डी०एफ० फाइल की साप्ट कापी के रूप में संस्थाओं से प्राप्त कर वर्षवार/संस्थावार 10 वर्षों तक सुरक्षित रखना।
- (iv) छात्रवृत्ति की वेबसाइट पर अपलोड किये गये परीक्षाफल को विश्वविद्यालय/परीक्षा प्राधिकारी द्वारा नामित अधिकारी के डिजिटल सिम्प्लेचर से लॉक भी किया जायेगा।
- (v) विश्वविद्यालय/परीक्षा प्राधिकारी द्वारा नामित अधिकारी के डिजिटल सिम्प्लेचर से लॉक डाटा से विद्यार्थियों द्वारा भरे गये प्राप्तांक का मिलान स्कूटनी के समय राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, राज्य इकाई, लखनऊ द्वारा किया जायेगा।
- (vi) विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्येक छात्र को पंजीकरण क्रमांक निर्गत किया जायेगा तथा नवीनीकरण के प्रत्येक छात्र के लिये विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया पंजीकरण क्रमांक भरना अनिवार्य होगा।
- (vii) विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रम, कोर्स का प्रकार (नियमित/स्ववित्त पोषित), स्वीकृत छात्र संख्या, निर्धारित फीस की आधिकारिक पुष्टि नामित अधिकारी द्वारा अपने डिजिटल सिम्प्लेचर से किया जायेगा।
- (viii) सभी विश्वविद्यालय अपने से सम्बद्ध महाविद्यालयों की सूची एकसेल सीट में स्कूटनी आदि के समय उपयोग हेतु राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, राज्य इकाई, लखनऊ को उपलब्ध करायेंगे।
- (ix) जिन महाविद्यालयों/शिक्षण संस्थानों के विरुद्ध अनियमितताओं के प्रमाणित होने पर उनको काली सूची में डालने की कार्यवाही की जाती है, ऐसे शिक्षण संस्थानों की सम्बद्धता/मान्यता निरस्त करने की कार्यवाही प्रत्येक विश्वविद्यालय/मान्यता प्रदाता संस्थान द्वारा एक निश्चित समय सीमा के अन्तर्गत पूर्ण की जायेगी।

17- जनपद स्तर पर अनुश्रवण-

- (i) छात्रवृत्ति योजना के अनुश्रवण व पर्यवेक्षण किये जाने हेतु जनपद स्तर पर निम्नवत् समिति गठित की जाती है-

(1) जिलाधिकारी -	अध्यक्ष
(2) मुख्य विकास अधिकारी	उपाध्यक्ष
(3) क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी	सदस्य
(4) जनपद में स्थित राठौं विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि, यदि कोई हो -	सदस्य
(5) जनपद में स्थित राठौं इंजीनियरिंग कालेज के प्राचार्य, यदि कोई हो-	सदस्य
(6) जनपद में स्थित राठौं इंजीनियरिंग कालेज के प्राचार्य, यदि कोई हो-	सदस्य
(7) जनपद में स्थित किसी एक राजकीय पालीटेक्निक के प्राचार्य, यदि कोई हो-	सदस्य
(8) जिला विद्यालय निरीक्षक -	सदस्य
(9) जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (NIC)-	सदस्य
(10) जिला समाज कल्याण अधिकारी-	सदस्य/सचिव
- (ii) उक्त समिति अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के मास्टर डाटा में संस्थाओं एवं पाठ्यक्रमों तथा उनके शुल्क संरचना व शुल्क निर्धारण का

स्वविवेक-न्से-सत्यापन-करायेगी नथा-व्यवसायिक-तकनीकी एवं-चिकित्सा-आदि के किसी भी पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेशित छात्रों का सम्बन्धित विश्वविद्यालय/कालेज में हुआ नामांकन तथा पाठ्यक्रम के प्रत्येक वर्ष में परीक्षा में शामिल परीक्षार्थियों की संख्या एवं परीक्षाफल आदि का सत्यापन करेगी। अध्यक्ष की अनुमति से समिति की बैठक तीन माह के निर्धारित अन्तराल पर की जायेगी तथा कृत कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट निदेशक, समाज कल्याण को उपलब्ध करायी जायेगी।

(iii) उक्त समिति निम्नलिखित मामलों में शात-प्रतिशत सत्यापन करायेगी -

क- पाठ्यक्रमवार कुल अनुमोदित सीटों के सापेक्ष किसी भी पाठ्यक्रम में 30 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों का प्रवेश लेने वाली निजी क्षेत्र की संस्थायें।

ख- जिन निजी क्षेत्र की संस्थाओं की विभिन्न पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत कुल शुल्क प्रतिपूर्ति की मांग एक करोड़ रुपये या उससे अधिक हो।

ग- उक्त के अतिरिक्त समिति स्वविवेक से रेंडम आधार पर अथवा शिकायतें प्राप्त होने पर किसी भी शैक्षिक संस्था की जांच अथवा सत्यापन करा सकेगी।

(iv) छात्र/छात्राओं के बैंक खातों में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति धनराशि के अन्तरण उपरान्त प्रत्येक वित्तीय वर्ष में जिलाधिकारी द्वारा समस्त निजी शिक्षण संस्थाओं के प्रोफेशनल व नॉन प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत कम से कम 05 प्रतिशत छात्र/छात्राओं में धनराशि वितरण का भौतिक सत्यापन/जांच सुनिश्चित करायी जायेगी। छात्र/छात्राओं के रेण्डमली चयन हेतु राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, राज्य इकाई द्वारा छात्रवृत्ति प्रबन्धन प्रणाली साप्टवेयर में आवश्यक विकल्प उपलब्ध कराया जायेगा जिसके माध्यम से जांच हेतु जिलाधिकारी छात्र/छात्राओं, शिक्षण संस्थानों की सूची रेण्डम विधि से जनरेट करेंगे तथा उक्त सूची में अंकित शिक्षण संस्थानों के छात्र/छात्राओं का भौतिक सत्यापन करायेंगे और अनियमितता पाये जाने पर नियमावली के नियम-15 (ii) के अनुसार तत्काल प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

(v) शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की विद्यालयवार सुनिश्चित मांग एवं वितरित धनराशि के अभिलेखों/पंजिकाओं को पूर्ण कराने एवं अनुरक्षण करने, बुक कीपिंग, रिकार्ड कीपिंग वितरित की गयी शैक्षणिक भत्ता व शुल्क प्रतिपूर्ति का विवरण वेबसाइट पर अपलोड कराने तथा विभागीय/महालेखाकार द्वारा आडिट कराने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व जिला समाज कल्याण अधिकारी का होगा।

18- प्रदेश के बाहर दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्रों को छात्रवृत्ति की वितरण प्रक्रिया-

अन्य प्रान्तों में स्थित शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत उत्तर प्रदेश के मूल निवासी छात्रों को शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि की स्वीकृति एवं वितरण का कार्य निम्नलिखित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा:-

(i) (1)- प्रदेश के बाहर अन्य प्रदेशों में दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं के लिये दशमोत्तर शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी उपरोक्तानुसार ही होगी।

(2)- छात्र/छात्रा द्वारा स्वयं आवेदन पत्र इन्टरनेट के माध्यम से आनलाइन निर्धारित प्रारूप पर भरा जायेगा। छात्र/छात्रा द्वारा समस्त प्रविष्टियों को आनलाइन सही-सही भर कर उसका प्रिन्ट आउट लिया जायेगा। डाटा की शुद्धता का पूर्ण उत्तरदायित्व छात्र/छात्रा का होगा। आनलाइन प्रेषित आवेदन पत्र के प्रिन्ट आउट के साथ समस्त संलग्नकों सहित सम्बन्धित शिक्षण संस्था में निर्धारित अन्तिम तिथि तक छात्र/छात्रा द्वारा जमा किया जायेगा जिसकी पावती शिक्षण संस्थान द्वारा छात्र/छात्रा को प्रदान की जायेगी।

(3)- छात्र/छात्रा द्वारा भरे गये आनलाइन आवेदन पत्र में अंकित सूचना को अभिलेखों के आधार पर संस्था द्वारा आनलाइन सत्यापित एवं अप्रसारित किया जायेगा तथा आनलाइन भरे गये आवेदन पत्र की हार्ड कापी पर संस्था प्रमुख द्वारा सत्यापित एवं संस्तुत करते हुये सत्यापन प्रमाण पत्र सहित सम्बन्धित संस्थान द्वारा छात्र/छात्रा के स्थायी निवास के जनपद के जिला समाज कल्याण अधिकारी को निर्धारित अन्तिम तिथि तक उपलब्ध कराया जायेगा।

(4)- शिक्षण संस्थानों द्वारा आनलाइन संस्तुत एवं अप्रसारित डाटा को निदेशक समाज कल्याण उत्तर प्रदेश द्वारा एन0आई0सी0 (स्टेट यूनिट) लखनऊ के माध्यम से शासन द्वारा निर्धारित तिथि तक विभिन्न परीक्षा नियन्त्रक संस्थाओं/विभागों यथा- यूपी0टी0यू0, ए0आई0सी0टी0ई0, यूजी0सी0, एन0सी0टी0ई0, एम0सी0आई0, विश्वविद्यालयों एवं विभिन्न शिक्षा परिषदों तथा बोर्ड आफ टेक्निकल एज्यूकेशन एवं बोर्ड आफ रेन्यू आदि की वेबसाइट पर उपलब्ध डाटा से मिलान एवं समस्त जनपदों के छात्रों के डाटा को आपस में मिलाकर डुप्लीकेट डाटा की छंटनी एवं परीक्षण करकर शुद्ध एवं संदेहास्पद डाटा पृथक-पृथक, छात्र के मूल निवास जनपद की छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति को निर्णयार्थ जिला समाज कल्याण अधिकारी के लागिन पर उपलब्ध होगा।

(5)- जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा उक्तानुसार प्राप्त प्रत्येक छात्र/छात्रा के विवरण को जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के समक्ष सम्बन्धित शिक्षण संस्थानों से प्राप्त छात्र/छात्राओं के आनलाइन आवेदन पत्र एवं संलग्नकों की हार्ड कापी के साथ प्रस्तुत कर स्वीकृति/अस्वीकृति प्राप्त किया जायेगा। जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की स्वीकृति से पूर्व छात्र/छात्रा के विवरण की हार्ड कापी से आवश्यक मिलान अपने स्तर से रेण्डमली करायेगी।

(6)- जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति से शैक्षणिक भत्ता/शुल्क प्रतिपूर्ति की स्वीकृति के उपरान्त जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा डिजिटल सिप्रेचर के माध्यम से डाटा को आनलाइन संस्तुत एवं लॉक किया जायेगा।

(7)- जिला समाज कल्याण अधिकारियों द्वारा आनलाइन संस्तुत एवं लॉक किये गये डाटा के आधार पर निदेशालय द्वारा एन0आई0सी0 (स्टेट यूनिट) लखनऊ से विकसित आनलाइन साप्टवेयर द्वारा मांग जनरेट करायी जायेगी, जो निदेशालय के लागिन पर उपलब्ध हो जायेगी।

(8)- जिला समाज कल्याण अधिकारियों के लागिन पर उक्तानुसार उपलब्ध शुद्ध एवं जंक डाटा के अर्थर्थियों की सूची एवं शिक्षण संस्थान से प्राप्त अर्थर्थियों के आवेदन पत्रों की हार्डकापी संलग्नकों सहित जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के समक्ष जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत करते हुए छात्रों की सूची की हार्डकापी एवं नोटशीट पर स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।

(9)- तदोपरान्त बजट की उपलब्धता के अनुसार शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि निदेशालय के वित्त नियन्त्रक द्वारा कोषागार/बैंक से PFMS (Public Financial Management System) प्रणाली के माध्यम से निर्धारित प्रक्रियानुसार छात्र/छात्रा के आधार सीडेड बचत बैंक खाते में सीधे अन्तरित की जायेगी, जिसका उत्तरदायित्व वित्त नियंत्रक, नोडल अधिकारी (दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना) का होगा।

(10)- छात्र/छात्राओं के बचत बैंक खातों में धनराशि अन्तरण में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो उसका निराकरण निदेशक द्वारा

किया जायेगा।

- (11)- अन्य प्रदेशों में अध्ययनरत नवीनीकरण वाले एवं नये छात्र/छात्राओं को शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि वितरण हेतु चयन की प्रक्रिया, वरीयता क्रम निर्धारण, PFMS प्रणाली से धनराशि के अन्तराल की प्रक्रिया, फैल्ड ट्रांजक्शन एवं अवितरित धनराशि के रिसीट हेड में जमा करने के नियम व प्रक्रिया आदि प्रदेश में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं हेतु निर्धारित नियम व प्रक्रिया के अनुसार ही रहेगी।
- (ii) प्रदेश के बाहर स्थित संस्थानों, उनमें संचालित पाठ्यक्रमों तथा छात्रवृत्ति हेतु पात्र छात्रों का अलग विवरण तैयार किया जायेगा। शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु प्रत्येक जिला समाज कल्याण अधिकारी के डिजिटल सिम्प्रेचर से आनलाइन संस्तुत एवं लाक किये गये विवरण तथा शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति वितरण सम्बन्धी विवरण की सूची की हार्डकापी एवं साफ्टकापी (डीवीडी)/ हार्डडिस्क में नियमावली के नियम-12 (V) में वर्णित व्यवस्थानुसार उनके द्वारा 10 वर्ष तक सुरक्षित रखी जायेगी।
- 19- संशोधन का अधिकार-
- इस नियमावली के प्राविधानों में यथावश्यक संशोधन करने एवं किसी भी कठिनाई का निवारण करने की शक्ति माझे मुख्यमंत्री जी में निहित होगी।
- 20- न्यायालय परिक्षेत्र-
- किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालय परिक्षेत्र माझे उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश होगा।
- 21- (क) निदेशालय समाज कल्याण/राज्य स्तर पर छात्रों की शिकायतों पर सुनवाई हेतु योजनाधिकारी, छात्रवृत्ति, मुख्यालय (संयुक्त निदेशक अथवा उप निदेशक स्तर का अधिकारी) को स्टेट ग्रेवान्स रिडेसल आफीसर नामित किया जाता है।
- (ख)- मण्डल स्तर पर छात्रों की शिकायतों पर सुनवाई हेतु मण्डलीय उप निदेशक को मण्डलीय ग्रेवान्स रिडेसल आफीसर नामित किया जाता है।
- (ग)- जनपद स्तर पर छात्रों की शिकायतों पर सुनवाई हेतु जिला समाज कल्याण अधिकारी को जनपदीय ग्रेवान्स रिडेसल आफीसर नामित किया जाता है।
- 22- प्रतिवर्ष 31 मार्च तक छात्रों के लिए आनलाइन आवेदन का पोर्टल खोला जायेगा। 31 दिसम्बर तक आनलाइन आवेदन करने वाले छात्रों को माह मार्च तक छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी। दिनांक 1 जनवरी से 31 मार्च तक आनलाइन आवेदन करने वाले छात्रों को अगले वित्तीय वर्ष के बजट से प्रतिवर्ष 30 जून तक धनराशि भुगतान की कार्यवाही पूर्ण की जायेगी। छात्रवृत्ति की प्रक्रियान्तर्गत पी0एफ0एम0एस0 द्वारा रिजेक्ट किये गये छात्रों के आधार सीडेड बैंक खाते के डाटा को 30 जून तक की अवधि में पुनः सम्मिलित किया जायेगा।

कृपया तदनुसार कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

डा० हरिओम॒ प्रभा॒ ११८
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख सचिव, माझे मुख्यमंत्री जी, उ०प्र० शासन।
- 2- निजी सचिव, माझे राज्य मंत्री (स्व०प्र०) समाज कल्याण विभाग, उ०प्र० शासन।
- 3- निजी सचिव, माझे राज्य मंत्री, समाज कल्याण विभाग, उ०प्र० शासन।
- 4- प्रमुख सचिव, वित्त/नियोजन/न्याय/उच्च शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/व्यावसायिक शिक्षा/विकित्सा शिक्षा/कृषि शिक्षा/बेसिक शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
- 5- महालेखाकार, उ०प्र० इलाहाबाद।
- 6- राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, उ०प्र० लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि इसकी प्रतियां समस्त जिलाधिकारी एवं मण्डलायुक्त को ई-मेल के माध्यम से भेजे तथा समाज कल्याण विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करें।
- 7- निदेशक, समाज कल्याण विभाग, लखनऊ उ०प्र०।
- 8- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 9- समस्त मण्डलीय संयुक्त/उप निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उ०प्र०।
- 10- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ०प्र०।
- 11- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4, उ०प्र० शासन।
- 12- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
राज कुमार झा
(राज कुमार झा)
अनु सचिव।

आधार बेस्ड बायोमैट्रिक अटेण्डेंस लागू किये जाने हेतु दो चरणों का विवरण

प्रथम चरण (वित्तीय वर्ष 2023-24)

- डा० ए०पी०ज० अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय, लखनऊ से सम्बद्ध संस्थान।
- स्टेट मेडिकल फैकल्टी से सम्बद्ध संस्थान।
- उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसन बोर्ड से सम्बद्ध संस्थान।
- उत्तर प्रदेश आयुर्वेद योगा, यूनानी, तिब्बी बोर्ड से सम्बद्ध संस्थान।
- समस्त राज्य विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध बी०ए० पाठ्यक्रम वाले संस्थान।
- समस्त निजी विश्वविद्यालय।

द्वितीय चरण (वित्तीय वर्ष 2024-25)

- राज्य / केन्द्रीय विश्वविद्यालय के कैम्पस व सम्बद्ध संस्थान।
- परीक्षा नियामक प्राधिकारी से सम्बद्ध संस्थान।
- प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध संस्थान।
- समस्त राजकीय आटोनॉमस विश्वविद्यालय / शिक्षण संस्थान।
- समस्त डीम्ड विश्वविद्यालय।
- शेष अन्य शिक्षण संस्थान।

राज्यपाल

2549882/2023/-1

2393/670/23/2023

उत्तर प्रदेश शासन

समाज कल्याण अनुभाग-3

संख्या-78/2023/2631/26-3-2023-C.N.- 1635592

लखनऊ:दिनांक 20 सितम्बर, 2023

कार्यालय जाप

प्रदेश में दशमोत्तर कक्षाओं में सामान्य वर्ग छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति की सुविधा प्रदान करने के सम्बन्ध में कार्यालय जाप संख्या-221/2019/4119/26-3-2019-रिट(23)/2011 दिनांक 14.10.2019 द्वारा उत्तर प्रदेश सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति नियमावली-2019 (अष्टम संशोधन) जारी की गयी थी। प्रश्नगत नियमावली में अन्य कतिपय संशोधनों को सम्मिलित करते हुए नियमावली संशोधित की गयी है। निदेशक, समाज कल्याण के पत्र संख्या-2381/स0क0/शिक्षा-अ/3/154-2/2023-24 दिनांक 09.08.2023 के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निम्नानुसार उत्तर प्रदेश सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली (नवम संशोधन)- 2023 निर्गत की जाती है:-

उत्तर प्रदेश सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना (नवम संशोधन) नियमावली-2023

संख्या 6523 / ०३०८८०(ए०३०८०) / २०८

क्र. शीर्षक

नियम

सं.

1- नाम

यह नियमावली उत्तर प्रदेश सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना (नवम संशोधन) नियमावली-2023 कहलायेगी।

2- उद्देश्य

मैट्रिकोत्तर या सेकेन्ड्री (केवल माध्यमिक शिक्षा परिषद ३०प्र०, सी०वी००८०५० वोई, आई०सी००८०५० वोई से उत्तीर्ण) के बाद की कक्षाओं ने अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) की सुविधा प्रदान करना है।

3- प्रसार/विस्तार

(छात्र देवेश चतुर्वेदी इस नियमावली से वे छात्र/छात्रायें आच्छादित होंगे, जो उत्तर प्रदेश के स्थाई नियासी/मूल नियासी हों। अपर मुख्य रूपेष्ठ, प्रारम्भ होने की लिये

कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुरूप नियमावली के प्राविधिक 2023-24 शिक्षण सत्र से लागू होंगे।

नियर्त प्रोलाहन विभाग (i) राज्य सरकार

उत्तर प्रदेश शासन। "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है।

(ii) अन्यर्थी

"अन्यर्थी" का तात्पर्य किसी ऐसे विद्यार्थी से है जो उत्तर प्रदेश का मूल नियासी हो तथा केवल अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में संचालित मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में संस्थागत विद्यार्थी के रूप में शिक्षा ग्रहण कर रहा हो।

(iii) निदेशालय

"निदेशालय" का तात्पर्य समाज कल्याण निदेशालय, उत्तर प्रदेश से है।

(iv) निदेशक

"निदेशक" का तात्पर्य निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय, उत्तर प्रदेश से है।

(v) वित्त नियन्त्रक

"वित्त नियन्त्रक" का तात्पर्य समाज कल्याण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के वित्त नियन्त्रक से है।

(vi) नोडल अधिकारी

"नोडल अधिकारी" का तात्पर्य निदेशक समाज कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा नामित दशमोत्तर छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) के योजनाधिकारी से है।

(vii) राज्य मुख्यालय स्थित कोषागार

"राज्य मुख्यालय स्थित कोषागार" का तात्पर्य जवाहर भवन, लखनऊ स्थित कोषागार से है।

(viii) शिक्षण संस्था य पाठ्यक्रम

"शिक्षण संस्था" का तात्पर्य विधि द्वारा स्थापित अथवा सक्रम प्राधिकारी स्तर से मान्यता प्राप्त संस्थान से है य "पाठ्यक्रम"

प्रधान निजी राजिव

विशेष सचिव, कृषि, कृषि शिक्षा

उत्तर प्रदेश शासन।

२५५ क्रम

क्रमांक
०१११/१२०२३

(ix) सामान्य वर्ग

"सामान्य वर्ग" का तात्पर्य उन जाति समूहों से हैं, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्गों के अन्तर्गत न आते हैं। अल्पसंख्यक श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं से आच्छादित होंगे।

(x) शैक्षणिक सत्र

"शैक्षणिक सत्र" का तात्पर्य कक्षा 11-12 में प्रत्येक वर्ष 01 अप्रैल से अगले वर्ष 31 मार्च तक तथा अन्य उच्चतर कक्षाओं हेतु 01 जुलाई से पारम्पर छोकर अगले वर्ष 30 जून तक के शिक्षण सत्र से है।

(xi) छात्रवृत्ति का मूल्य

सम्पूर्ण पाठ्यक्रम अधिक में छात्रवृत्ति के अन्तर्गत निम्नलिखित देय धनराशियों सम्मिलित होंगी:-

- (क) शैक्षणिक भता (परिशिष्ट संलग्न)
- (ख) अनिवार्य वापस न होने वाली शुल्क प्रतिपूर्ति
- (ग) अद्ययन दौरा खर्च
- (घ) शोध कार्य का टंकण/मुद्रण खर्च
- (च) विकलांग छात्रों के लिए अतिरिक्त भता।

(xii) शुल्क

(क) "शुल्क" का तात्पर्य ऐसी अनिवार्य धनराशि से है, जो अभ्यर्थियों द्वारा संस्थान या विश्वविद्यालय अथवा बोर्ड को भुगतान किया जाता है, तथापि जमानती जमा राशि जैसी वापस की जाने वाली धनराशि इसमें शामिल नहीं होगी। शुल्क के अन्तर्गत प्रवेश/पंजीकरण, परीक्षा, शिक्षा, खेल, यूनियन, लाइब्रेरी, पत्रिका, चिकित्सा जांच और ऐसे अन्य अनिवार्य व वापस न की जाने वाली शुल्क आदि, जो सक्षम स्तर से अनुमन्य हैं, शामिल होंगी। छात्रावास/मेस शुल्क जैसे शुल्क इसमें सम्मिलित नहीं होंगे।
नोट:-1 राजकीय व निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में एक पाठ्यक्रम में एक ही वार में सम्पूर्ण शुल्क की अनुमानित समस्त धनराशि भुगतान किये जाने पर छात्र/छात्राएं इस योजना में अपात्र होंगे।

नोट:-2 किसी विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थान में प्रबन्धकीय कोटा सीट, स्पाट (spot) प्रवेश सीट के सापेक्ष प्रवेशित छात्र/छात्राओं द्वारा दावा किये गये शुल्क की प्रतिपूर्ति अनुमन्य नहीं होगी।

नोट:-3 शिक्षण संस्थानों/पाठ्यक्रमों में एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा विधिविरित मैनेजमेन्ट कोटा के अतिरिक्त जिन निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में व्यवसायिक/ तकनीकी पाठ्यक्रमों में राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा में आवेदित छात्रों से इतर विना काउन्सिलिंग के सीधे शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रवेश दिये गये छात्र मैनेजमेन्ट कोटा से आच्छादित होंगे।

(ख) जिन मान्यता प्राप्त संस्थानों में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में शुल्क संरचना निर्धारित करने की शक्ति केन्द्र या राज्य सरकार के सक्षम शिक्षा विभाग/फीस नियमन समिति को है, उन मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में संचालित मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की अनुमोदित सीट के सापेक्ष राज्य अथवा केन्द्र सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित शुल्क संरचना के अनुसार ली जाने वाली अनिवार्य व वापस न की जाने वाली शुल्क की राशि अथवा समूह-1 में ₹0- 50,000/-, समूह-2 में ₹0 30,000/-, समूह-3 में ₹0 20,000/- व समूह-4 में ₹0 10,000/- में से जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

(ग) जिन निजी क्षेत्र के संस्थानों में सक्षम प्राधिकारी स्तर से मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में छात्रों से ली जाने वाली शुल्क के निर्धारण की शक्ति अधिनियम के तहत स्वयं शिक्षण संस्थान को प्राप्त है, उन पाठ्यक्रमों में अद्ययनरत छात्रों को प्रदेश में स्थित राज्य विश्वविद्यालयों में संचालित इसी प्रकार के स्वयं विधिविरित पाठ्यक्रम में निर्धारित अधिकतम शुल्क (राज्य विश्वविद्यालयों में सम्बन्धित पाठ्यक्रम संचालित न होने की दशा में निजी क्षेत्र के समस्त विश्वविद्यालयों में संचालित उसी प्रकार के पाठ्यक्रमों में निर्धारित प्रदेश में न्यूनतम शुल्क) अथवा संस्था द्वारा छात्रों से ली जाने वाली शुल्क अथवा आनलाइन आवेदन में छात्र द्वारा भरी गयी शुल्क जिसे शिक्षण संस्थान द्वारा अग्रसारित किया गया है अथवा समूह-1 में ₹0-50,000/-, समूह-2 में ₹0 30,000/-, समूह-3 में ₹0 20,000/- व समूह-4 में ₹0 10,000/- में से जो भी न्यूनतम हो, की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

(घ) प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध जिन निजी क्षेत्र के मान्यता प्राप्त संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रमों के शुल्क सम्बन्धित शिक्षा विभाग 30प्र० सरकार अथवा राज्य सरकार की फीस नियमन समिति (यदि गठित है) स्तर से निर्धारित नहीं हैं ऐसे सम्बद्ध/सहयुक्त निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों के पाठ्यक्रमों में प्रदेश के समस्त राज्य विश्वविद्यालयों में उसी प्रकार के नियमित पाठ्यक्रम में प्रदेश में न्यूनतम शुल्क अथवा संस्था द्वारा छात्रों से जमा करायी गयी वास्तविक शुल्क अथवा समूह-1 में ₹0-50,000/-, समूह-2 में ₹0 30,000/-, समूह-3 में ₹0 20,000/- व समूह-4 में ₹0 10,000/- में से जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

6- अहता

छात्रवृत्ति हेतु सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन पात्र होंगे:-

(i) केवल वे ही अभ्यर्थी इसके पात्र होंगे, जो उत्तर प्रदेश राज्य से सम्बन्धित हों अर्थात उत्तर प्रदेश राज्य के स्थाई निवासी हों एवं जो उत्तर प्रदेश राज्य क्षेत्र के सम्बन्ध में विनियोग सामान्य वर्ग से सम्बन्धित हों और जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मैट्रिकुलेशन या हायर सेकेन्ड्री या इससे कोई उच्चतर परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो तथापि:-

(अ) निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों/ विश्वविद्यालयों में संचालित-ऐसे-मान्यता-प्राप्त-प्रोफेशनल-पाठ्यक्रम-जिनमें-प्रवेश हेतु

21 पृष्ठा

न्यूनतम योग्यता स्नातक है, के अन्तर्गत स्नातक पाठ्यक्रम में न्यूनतम 55 प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंक पाने वाले तथा ऐसे प्रोफेशनल पाठ्यक्रम जिनमें प्रवेश हेतु न्यूनतम योग्यता कक्षा-12 अर्थात इण्टरमीडिएट है, के अन्तर्गत कक्षा-12 अर्थात इण्टरमीडिएट में न्यूनतम 60 प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंक पाने वाले, किसी भी प्रवेश प्रक्रिया से प्रवेशित छात्र/छात्राओं छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु अर्ह होंगे।

(ब) आनलाइन आयोडेन पत्र में कोई डाटा/ विवरण, ब्रूटिपूर्ण/अपूर्ण/संटिर्ध अंकित करने पर छात्र/छात्रा को दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति अनुमन्य नहीं होगी।

(ii) यह छात्रवृत्तियां निम्नलिखित अपवादों को छोड़कर मान्यता प्राप्त संस्थानों में पढ़ाये जाने वाले सभी मान्यता प्राप्त दबमोत्तर या सेकेण्ट्री के बाद पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिये दी जायेगी।

क- विमान अनुरक्षण इंजीनियर पाठ्यक्रम।

ख- निजी विमान चालक लाइसेंस पाठ्यक्रम।

ग- ट्रेनिंगशीप डफरिन (अव राजेन्द्रा) के पाठ्यक्रम।

घ- सैनिक महाविद्यालय, देहरादून के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम।

च- अखिल भारतीय तथा राज्य स्तरीय पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों के पाठ्यक्रम।

छ- पत्राचार पाठ्यक्रम एवं सुदूर व अनुवर्ती शिक्षा के पाठ्यक्रम।

ज- निजी क्षेत्र के विक्षण संस्थानों में संचालित ऐसे पाठ्यक्रम जिनको किसी विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग वाडी/सक्षम विभाग स्तर से सर्टिफिकेट/अंकपत्र प्रदान नहीं किये जाते हैं तथा सक्षम स्तर से परीक्षा आयोजन हेतु एजेंसी अधिकृत न हो अर्थात ऐसे पाठ्यक्रम जो किसी सक्षम स्तर से विनियंत्रित नहीं किये जाते हैं।

झ- अन्य प्रदेश के विश्वविद्यालय/सक्षम स्तर से सम्बद्धता प्राप्त प्रदेश में स्थित निजी विक्षण संस्थान, जिनकी विनियंत्रक वाडी व परीक्षा एजेंसी उत्तर प्रदेश में नहीं है, के छात्र/छात्राओं छात्रवृत्ति हेतु अनहूं होंगे।

(iii) ऐसे अभ्यर्थी, जिनके माता-पिता अथवा अभिभावकों की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आय सीमा से अधिक न हो।

(iv) सर्टिफिकेट लेवल, स्नातक पूर्व डिप्लोमा लेवल, स्नातक पश्चात डिप्लोमा लेवल, स्नातक लेवल, स्नातक पश्चात स्नातक लेवल, परास्नातक लेवल, परास्नातक के पश्चात रिसर्च लेवल एवं डाक्टरेट लेवल के अन्तर्गत केवल दो पाठ्यक्रम क्रमशः एक प्रोफेशनल व एक नॉन प्रोफेशनल पाठ्यक्रम में शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा अनुमन्य होगी। शैक्षणिक भत्ता/शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु छात्र का सभी पाठ्यक्रमों की वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण/प्रोन्ट होना अनिवार्य होगा।

(v) यदि विद्यार्थी इन्टर्नशिप अवधि के दौरान कुछ पारिश्रमिक अथवा अन्य पाठ्यक्रमों में व्यवहारिक प्रशिक्षण के दौरान कुछ भत्ता या वजीफा पा रहे हैं तो एम०वी०वी०एस० पाठ्यक्रम में इन्टर्नशिप/हाऊस मैनेशिप की अवधि के लिए अथवा अन्य पाठ्यक्रमों में व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जायेगा।

(vi) चिकित्सा में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में पढ़ने वाले छात्र इसके पात्र होंगे, यदि उनके पाठ्यक्रम की अवधि के दौरान उन्हें प्रैक्टिस करने की अनुमति न दी गयी हो।

(vii) किसी भी मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर या इससे ऊपर के पाठ्यक्रम में सरकारी वृत्तिका (स्टाइपेन्ड) अथवा फेलोशिप पाने वाले छात्र/छात्राएं इसके लिए अर्ह नहीं होंगे।

(viii) उन रोजगार प्राप्त छात्रों को सभी अनिवार्य रूप से देय वापस न किये जाने वाले शुल्क की प्रतिपूर्ति की सीमा तक मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के लिए पात्र बनाया गया है, जिनकी स्वयं की व उनके माता-पिता अथवा संरक्षकों की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय अधिकतम निर्धारित वार्षिक आय सीमा से अधिक न हो।

(ix) एक ही माता-पिता अथवा संरक्षक के सभी वच्चे योजना का लाभ प्राप्त करने के हकदार होंगे।

(x) इस योजना के अधीन छात्रवृत्ति पाने वाला कोई भी छात्र अन्य छात्रवृत्ति/वजीफा नहीं लेगा। यदि कोई अन्य छात्रवृत्ति/वजीफा प्रदान किया गया हो तो छात्र उक दोनों छात्रवृत्ति/वजीफा में से किसी एक के लिए जो भी उसके लिए अधिक लाभप्रद हो, अपना विकल्प दे सकता है और दिये गये विकल्प के बारे में सूचना संस्था प्रमुख के माध्यम से छात्रवृत्ति प्रदानकर्ता अधिकारी को देनी चाहिए। छात्र/छात्रा को उस तारीख से, जिससे वह दूसरी छात्रवृत्ति/वजीफा स्वीकार करता/करती है, इस योजना के अधीन किसी भी छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जायेगा तथापि, छात्र राज्य सरकार से या किसी अन्य स्रोत से पुस्तकें, उपकरण खरीदने या आवास तथा भोजन व्यवस्था पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए इस योजना के अधीन भुगतान की गयी छात्रवृत्ति की रकम के अतिरिक्त निःशुल्क भोजन या अनुदान या तदर्थ आर्थिक सहायता स्वीकार कर सकता है।

(xi) ये छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ता, जो केन्द्र/राज्य सरकार से वित्तीय सहायता के साथ किसी परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों में कांचिंग प्राप्त कर रहे हैं, कांचिंग कार्यक्रम की अवधि के लिए कांचिंग योजनाओं के अन्तर्गत वजीके के पात्र नहीं होंगे।

(xii) जब तक माता पिता में से कोई एक (अथवा विवाहित वेराजगार के मामले में पति) जीवित हैं, तब तक माता-पिता/पति जैसी भी स्थिति हो, की सभी स्रोतों से प्राप्त आय को ही लिया जायेगा, न कि अन्य सदस्यों की आय को, चाहे वह कमाने वाले ही क्यों न हों। आय घोषणा प्रपत्र में इसी आधार पर आय की घोषणा करना अपेक्षित है। केवल उस मामले में जब माता-पिता दोनों (अथवा विवाहित किन्तु वेरोजगार मामले में पति) की मृत्यु हो जाती है तो उस संरक्षक की आय को लेना होगा, जो विद्यार्थी की पढ़ाई में सहायता कर रहा है। ऐसे छात्र जिनके माता-पिता की आय दुप्रीचयवश किसी एक की मृत्यु के कारण प्रभावित होती है और इस प्रकार इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित आय-सीमा में आ जाती है तो ऐसी दुखद घटना होने वाले

महीने से वह छात्रवृत्ति का पात्र बन जायेगा, वर्तमान वह छात्रवृत्ति की अन्य-शर्त-पूरी-करता-हो-ऐसे-छात्रों-से-छात्रवृत्तियों-के-लिए-

आवेदन पर अनुक्रम्या के आधार पर, आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को समाप्त होने के पश्चात भी विचार किया जा सकता है।

(xiii) यदि कोई छात्र विगत वर्ष में शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के उपरांत पाठ्यक्रम को अधूरा छोड़कर किसी दूसरे पाठ्यक्रम में प्रवेश लेता है, तो वह नये पाठ्यक्रम के पहले वर्ष में शैक्षणिक भत्ता व शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु अनर्ह होगा। छात्र के अभिभावक द्वारा शपथ पत्र से औचित्य प्रमाणित होने तथा नये पाठ्यक्रम में अध्ययन जारी रखने पर नये पाठ्यक्रम के दूसरे वर्ष से नये छात्र के रूप में शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु पात्र होगा। यदि छात्र किसी अधिकारी भारतीय अथवा राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा के माध्यम से चयनित होकर रैंकिंग के आधार पर नांब प्रोफेशनल पाठ्यक्रम की छात्रवृत्ति प्राप्त करने के उपरांत अधूरा छोड़कर उच्च स्तर के प्रोफेशनल पाठ्यक्रम में प्रवेश लेता है तो जिला समाज कल्याण अधिकारी की संस्तुति पर निदेशक समाज कल्याण द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में नवीन पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु पात्र होगा। पुनः पाठ्यक्रम परिवर्तन करने पर छात्र नये पाठ्यक्रम की शैक्षणिक भत्ता व शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु अनर्ह होगा।

(xiv) शैक्षिक सत्र में 75 प्रतिशत या उससे ऊपर उपस्थित वाले छात्र/छात्राओं को शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति सुविधा अनुमन्य होगी। समस्त शिक्षण संस्थाओं में छात्र/छात्राओं की प्रतिदिन उपस्थिति की गणना आधार बेस वायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली/फेशियल रिकग्निशन प्रणाली (भौतिक रूप से कक्षाओं के संचालन होने पर) द्वारा की जायेगी। इस सम्बन्ध में समस्त शिक्षण संस्थाओं में आधार बेस वायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली/फेशियल रिकग्निशन प्रणाली की व्यवस्था करके प्रत्येक माह प्रमाणित उपस्थिति को यथास्थान छात्रवृत्ति पोर्टल पर अपलोड करने का उत्तरदायित्व संस्था का होगा। इसमें प्रत्येक छात्र पर होने वाले व्यवधार का वहन सम्बन्धित शिक्षण संस्था/विश्विद्यालय द्वारा किया जायेगा। चालू वित्तीय वर्ष से दो वर्षों में चरणवद्व तरीके से संलग्न परिशिष्ट में निर्धारित विश्विद्यालय व एफिलियेटिंग एजेंसी से सम्बद्ध शिक्षण संस्थानों में आधार बेस वायोमैट्रिक अटेंडेंस प्रणाली की व्यवस्था की जायेगी। वित्तीय वर्ष 2025-26 से आधार बेस वायोमैट्रिक अटेंडेंस प्रणाली को लागू नहीं करने वाले शिक्षण संस्थानों/विश्विद्यालयों के छात्रों को शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी। यदि किसी छात्र की उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम है तो ऐसे छात्र छात्रवृत्ति हेतु पात्र नहीं होंगे तथा छात्र को यदि धनराशि भुगतान हुयी है तो भुगतानित धनराशि छात्र अथवा संस्था द्वारा वापस करनी होगी।

(xv) यदि छात्र/छात्रा किसी पाठ्यक्रम में अध्ययनरत रह कर आनलाइन आवेदन करता है और धनराशि प्राप्त होती है किन्तु अगले वर्ष नवीनीकरण का आवेदन नहीं किया जाता है तो भुगतान की गयी धनराशि को संस्था द्वारा छात्र से प्राप्त कर विभाग को वापस करनी होगी।

किसी छात्र का एरियर आगामी वर्ष में भुगतान किये जाने से पूर्व यह देखा जायेगा कि छात्र द्वारा सम्बन्धित पाठ्यक्रम में नवीनीकरण का आनलाइन आवेदन किया गया अथवा नहीं किया गया है अर्थात उसने उस पाठ्यक्रम में अध्ययन जारी रखा गया अथवा छोड़ दिया गया है। यदि अध्ययन को छोड़ दिया गया है तो सम्बन्धित छात्र को अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क की एरियर की धनराशि अनुमन्य नहीं होगी तथा उस पाठ्यक्रम में विगत वर्ष की धनराशि वापस करनी होगी।

(xvi) शिक्षण सत्र के अन्तर्गत नवीनीकरण के सम्बन्ध में शिक्षण संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि अनुरक्षण भत्ता/शुल्क प्रतिपूर्ति धनराशि प्राप्त करने वाले नवीन छात्रों के सापेक्ष कम से कम 50 प्रतिशत छात्र नवीनीकरण का आवेदन करें। यदि 50 प्रतिशत से कम नवीनीकरण का आवेदन किया जाता है तो शिक्षण संस्था को वैध कारण बताने होंगे। वैध कारण के अन्तर्गत बाड़/सूखा/अनदेखी घटनाएं/कानून व्यवस्था आदि सम्मिलित होंगे। वैध कारण न बता पाने की स्थिति में नवीनीकरण न करने वाले छात्रों की धनराशि संस्था को वापस करनी होगी तथा नवप्रवेशित छात्रों के लिए संस्था छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए अनर्ह होगी। संस्था में नवप्रवेशित छात्रों में से अगले वर्ष यदि 50 प्रतिशत से अधिक छात्रों द्वारा नवीनीकरण किया जाता है तो संस्था व छात्र छात्रवृत्ति हेतु अर्ह होंगे।

(xvii) (क) केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त केन्द्र/राज्य/निजी/डीम्ड आदि सभी विश्विद्यालयों एवं शिक्षण संस्थाओं को NAAC (National Assessment & Accreditation Council- and Autonomous Institution of the University Grant Commission) से वर्ष 2024 तक ग्रेडिंग प्राप्त करनी होगी। वर्ष 2025-26 से उकानुसार ग्रेडिंग प्राप्त विश्विद्यालयों/शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।

(ख) समस्त शिक्षण संस्थानों में संचालित तकनीकी पाठ्यक्रमों में वर्ष 2024 तक NBA (National Board of Accreditation) ग्रेडिंग प्राप्त करनी होगी। वर्ष 2025-26 शिक्षण सत्र से NBA (National Board of Accreditation) ग्रेडिंग प्राप्त संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को ही शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।

(xviii) आईटीआईआई पाठ्यक्रम अथवा ऐसे पाठ्यक्रम जिनमें प्रवेश की न्यूनतम योग्यता हाईस्कूल निर्धारित है, के अन्तर्गत हाईस्कूल उत्तीर्ण करने के 06 वर्ष के अन्दर निजी क्षेत्र के संस्थानों में उक्त प्रकार के पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर ही शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।

निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को अधिकतम 40 वर्ष आयु की सीमा तक शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी। आयु की गणना प्रत्येक वर्ष 01 जुलाई को की जायेगी। रिसर्च एवं डाक्टरेट लेवल के पाठ्यक्रम में उक्त नियम प्रभावी नहीं होंगे।

(xix) भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रमों आदि का डा० शक्तिलाल मिश्र राष्ट्रीय पुनर्वास विश्विद्यालय, लखनऊ से सत्यापन एवं विभागाध्यक्ष, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग से संस्तुति प्राप्त संस्थानों को भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

7- मूल निवास का अनुमत्य साक्ष्य-

प्रदेश के अन्दर दशमोत्तर छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र के साथ सामान्य निवास प्रमाण पत्र (जो प्रदेश की तिथि से 05 वर्ष से अधिक पुराना न हो) संलग्न करना अनिवार्य होगा, जो आवेदक के निवास की तहसील के उपजिलाधिकारी के स्तर से जारी किया गया हो एवं राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश की बेबसाइट पर उपलब्ध हो।

8- माता-पिता/ अभिभावकों की आय के सम्बन्ध में अनुमत्य साक्ष्य-

(i) अभ्यर्थी के माता-पिता या पति या संरक्षक, जैसा भी लागू हो, की समस्त स्रोतों से प्राप्त वार्षिक आय के सम्बन्ध में उपजिलाधिकारी/तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण-पत्र, जो राजस्व परिषद की बेबसाइट पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध हो, मान्य होगा। यदि किसी भी प्रकार की जांच में यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी के माता-पिता/पति/संरक्षक नौकरी में हैं तथा उनके द्वारा अर्जित आय उपजिलाधिकारी/ तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र में सम्मिलित नहीं हैं तो आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।

(ii) अभ्यर्थी के माता-पिता या पति या संरक्षक, जैसा भी लागू हो, द्वारा लिये जाने वाले मकान किराये भते को "आय" में शामिल नहीं किया जायेगा, यदि इसे आयकर के प्रयोजन के लिए छूट की अनुमति दी गयी हो।

(iii) आय प्रमाण-पत्र के बाल एक बार अर्थात् एक वर्ष से अधिक अवधि वाले पाठ्यक्रमों में दाखिले के समय ही लिया जायेगा अर्थात् एक वर्ष से अधिक वर्ष के पाठ्यक्रम की समाप्ति तक पुनः आय प्रमाण-पत्र देने की आवश्यकता न होगी। परन्तु यदि नये पाठ्यक्रम में प्रदेश लिया जाता है तो पुनः आय प्रमाण-पत्र देना होगा।

(iv) जमा किये जाने वाले आय प्रमाण पत्र की वैधता उस शैक्षणिक सत्र/वर्ष की पहली जुलाई को अवधारित की जायेगी।

9- मास्टर डाटाबेस एवं संस्थाओं का पंजीकरण तथा कोर्स मास्टर-

(i) प्रदेश के समस्त शासकीय, शासकीय सहायता प्राप्त एवं मान्यता प्राप्त लिजी शिक्षण संस्थानों तथा प्रदेश के बाहर के समस्त शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों को शिक्षण संस्थान से सम्बन्धित समस्त आवश्यक विवरण यथा-शिक्षण संस्थान का नाम, संचालित पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम की मान्यता, पाठ्यक्रम हेतु सक्षम स्तर से स्वीकृत सीटों की संख्या, वार्षिक शिक्षण एवं परीक्षा शुल्क आदि निर्धारित प्रारूप पर स्वयं आनलाइन भरकर "मास्टर डाटाबेस" में प्रत्येक वर्ष निर्धारित तिथि तक सम्मिलित होना होगा। प्रत्येक शिक्षण संस्थान स्वयं उपरोक्त अवधि में मास्टर डाटाबेस में नये पाठ्यक्रमों को शामिल कर सकेंगे एवं असंचालित पाठ्यक्रमों को स्वयं हटा सकेंगे। मास्टर डाटाबेस में निर्धारित तिथि तक शामिल होने वाले शिक्षण संस्थानों एवं पाठ्यक्रमों (सी0पी0एल0 पाठ्यक्रम एवं संस्थान को छाड़कर) में अध्ययनरत छात्र/छात्रा ही छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) प्राप्त करने हेतु आवेदन करने के पार होंगे। संस्था द्वारा मान्यता समर्पित किये जाने अथवा संस्था को बन्द किये जाने की सूचना दिये जाने पर शिक्षण संस्थान का नाम मास्टर डाटा से जिला समाज कल्याण अधिकारी/प्रभारी अधिकारी नोडल दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना मुख्यालय द्वारा हटाया जायेगा।

(ii) उक्त मास्टर डाटाबेस में प्रत्येक वर्ष के बाल ऐसे शिक्षण संस्थान शामिल हो सकेंगे जिनको एवं जिनमें संचालित पाठ्यक्रमों की मान्यता एवं सम्बद्धता 30 सितम्बर तक सक्षम स्तर से प्राप्त हो चुकी हो। 30 सितम्बर के पश्चात मान्यता/ सम्बद्धता प्राप्त करने वाले शिक्षण संस्थान एवं पाठ्यक्रमों को आगामी वित्तीय वर्ष में मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित किया जायेगा। यदि किसी संस्था को मान्यता निर्धारित तिथि 30 सितम्बर के पश्चात प्राप्त होती है तथा मास्टर डाटा में नाम शामिल किया जाता है तो उसका पूर्ण उत्तरदायित्व जिला समाज कल्याण अधिकारी/ पटल सहायक का होगा।

(iii) मास्टर डाटाबेस में प्रदेश के समस्त मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों एवं प्रदेश के बाहर अन्य प्रदेशों में स्थित शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, शिक्षण संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रमों, पाठ्यक्रमों में स्वीकृत सीटों की संख्या एवं पाठ्यक्रमों की सक्षम स्तर से स्वीकृत वार्षिक अनिवार्य नान-रिफाईडिल शुल्क (फीस) आदि का विवरण सम्बन्धित शिक्षण संस्थान द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (राज्य इकाई) स्तर से उपलब्ध कराये गये साफ्टवेयर पर निर्धारित तिथि तक स्वयं आनलाइन भरा जायेगा। संस्थानों एवं पाठ्यक्रमों की सक्षम स्तर से मान्यता एवं सम्बद्धता तथा सक्षम स्तर से अनुमत्य सीटों से सम्बन्धित आदेश/पत्र आदि पी0डी0एफ0 फाइल के रूप में सम्बन्धित साफ्टवेयर पर शिक्षण संस्थान द्वारा उपलब्ध/अपलोड कराये जायेंगे। मास्टर डाटाबेस में शुद्ध डाटा आनलाइन भरने का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित शिक्षण संस्थान का होगा।

(iv) प्रदेश के अन्दर स्थित शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटाबेस में भरे गये विवरण की अभिलेखीय एवं स्थलीय जांच तथा बुटियों का निराकरण निर्धारित तिथि तक प्रभारी/नोडल अधिकारी, दशमोत्तर शैक्षणिक भता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना (प्रदेश के बाहर) समाज कल्याण निदेशालय, लखनऊ द्वारा किया जायेगा। जिला समाज कल्याण अधिकारीयों से सम्पर्क कर संदेह का निवारण कर लेंगे। अभिलेखीय एवं स्थलीय जांच में शिक्षा विभाग के अधिकारियों का आवश्यक सहयोग भी प्राप्त करेंगे।

प्रदेश के बाहर अन्य प्रदेशों में स्थित शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटाबेस में भरे गये विवरण की अभिलेखीय जांच एवं बुटियों का निराकरण निर्धारित तिथि तक प्रभारी/नोडल अधिकारी, दशमोत्तर शैक्षणिक भता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना (प्रदेश के बाहर) समाज कल्याण निदेशालय, लखनऊ द्वारा किया जायेगा।

(v) मास्टर डाटाबेस में उल्लिखित प्रदेश/जनप्रद के अन्दर स्थित शिक्षण संस्थानों, उनमें-वर्गवार-स्वीकृत-सीटों-की-संख्या आदि विवरण का सत्यापन जिला विद्यालय निरीक्षक अथवा एफिलियेटिंग एंड सिस्टम्स/विश्वविद्यालयों के नोडल अधिकारियों द्वारा किया जायेगा तथा तदोपरांत उक्ते द्वारा अपने डिजिटल सिग्नेचर से मास्टर बेस में शिक्षण संस्थान के डाटा को लॉक किया जायेगा।

प्रदेश के बाहर अन्य प्रदेशों में स्थित शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटाबेस में भरे गये विवरण की अभिलेखीय जांच सम्बन्धित शिक्षण संस्थानों द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों की हाई कापी से प्रभारी/नोडल अधिकारी दशमोत्तर शैक्षणिक भता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना (प्रदेश के बाहर) समाज कल्याण निदेशालय, लखनऊ द्वारा करके उटियों का निराकरण निर्धारित तिथि तक किया जायेगा। तदोपरान्त प्रदेश के बाहर अन्य प्रदेशों में स्थित शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटाबेस में भरे गये विवरण को प्रभारी/नोडल अधिकारी दशमोत्तर शैक्षणिक भता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना (प्रदेश के बाहर) समाज कल्याण निदेशालय, लखनऊ द्वारा अपने डिजिटल सिग्नेचर से निर्धारित तिथि को लाक किया जायेगा।

10- अनुरक्षण भता की निर्धारित दरें-

(i) दशमोत्तर छात्रवृत्ति नियमावली के अन्तर्गत समय-समय पर निर्धारित समूहवार पाठ्यक्रमवार अनुरक्षण भता की दर य विकलांग छात्रों के लिए अतिरिक्त सुविधा व अन्य दरों का जो प्राविधान किया गया है, वह तदुरूप लागू रहेगा, जो संलग्नक परिशिष्ट 'क' में अंकित है।

(ii) उन छात्रों को जो निःशुल्क भोजन और/या निःशुल्क आवास के पात्र हैं व सुविधाओं का उपभोग कर रहे हैं उनको अनुरक्षण भता की दरों का 1/3 अनुरक्षण व्यय दिया जायेगा।

11- वरीयता क्रम का निर्धारण-

(i) छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) हेतु अहं छात्र/छात्राओं को अनुरक्षण भता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति धनराशि का एकमुश्त भुगतान किया जायेगा।

(ii) सीमित वित्तीय संसाधनों को वित्तिगत रखते हुये शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को पहले नवीनीकरण एवं तदोपरान्त नये छात्रों को उनके गत वर्ष के अंकों के घटते हुए क्रम में (अवरोही क्रम) 50 प्रतिशत न्यूनतम अंक की सीमा तक छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) की धनराशि निम्नांकित वरीयता क्रम में बजट की उपलब्धता की सीमा तक निर्धारित अवधि में आनलाइन भरे गये पात्र पाये गये सही डाटा वाले छात्र-छात्राओं को उनके आधार सीडेड एवं एन०पी००सी०आई० से मैट्ट बैंक खाते में अन्तरित करके भुगतान की जायेगी:-

(क)- केन्द्र अथवा राज्य सरकार के विभागों/निकार्यों द्वारा संचालित राजकीय शिक्षण संस्थानों व राजकीय स्वायत्तशासी शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/छात्राएँ।

(ख)- केन्द्र अथवा राज्य सरकार से शासकीय सहायता प्राप्त निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/छात्राएँ।

नोट:- उपरोक्त वरीयता क्रम में ही बजट की उपलब्धता के अनुसार शैक्षणिक भता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति धनराशि वितरित की जायेगी। एक वरीयता क्रम के समस्त छात्र-छात्राओं को वितरण के पश्चात ही बजट की उपलब्धता की सीमा तक अगले वरीयता क्रम के छात्र-छात्राओं को धनराशि वितरित की जायेगी। यह क्रम उक्त वरीयता श्रेणी-'क' से 'ग' तक जारी रहेगा।

(iii) छात्र/छात्राओं का पाठ्यक्रम में प्रतिशत एक समान होने की दशा में अभ्यर्थी की आयु को वरीयता दी जायेगी, जिसमें सबसे अधिक आयु के छात्र/छात्रा को सबसे पहले वितरण किया जायेगा, तत्पश्चात छात्र/छात्रा की आयु के घटते हुये क्रम (अवरोही क्रम) में वितरण किया जायेगा।

(iv) इसके पश्चात भी यदि कई अभ्यर्थी का पाठ्यक्रम में प्रतिशत एवं आयु एक समान होते हैं तो छात्र/छात्रा के नाम के अल्फाबेटिक (A to Z) क्रम में शैक्षणिक भता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का वितरण किया जायेगा।

(v) छात्र/छात्राओं का पाठ्यक्रम में प्रतिशत, आयु एवं अल्फाबेटिक क्रम में एक समान होने की दशा में "प्रथम आगत प्रथम पायत" के आधार पर शैक्षणिक भता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का वितरण किया जायेगा। प्रथम आगत का निर्धारण छात्र/छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन फार्म भरने की विधि व समय से किया जायेगा।

(vi) सर्वप्रथम सभी प्रकार के पाठ्यक्रमों में एक बार वितरित की गयी शैक्षणिक भता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति, दिये जाने के प्रथम वर्ष से लेकर पाठ्यक्रम की समाप्ति तक वर्षानुवर्ष 50 प्रतिशत या उससे अधिक अंक पाले वाले छात्रों को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रक्रिया के अनुसार बजट की उपलब्धता की सीमा तक नवीनीकृत की जायेगी। नवीनीकरण के पश्चात अवशेष धनराशि ही नये अभ्यर्थीयों को वितरित की जायेगी।

(vii) शैक्षणिक भता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि प्रत्येक छात्र/छात्रा को नियम-11 के उपरोक्त उप नियमों में वर्णित सीति के अनुसार वितरण किया जायेगा वर्षाते कि छात्र/छात्रा का आघरण अच्छा रहा हो एवं वह विगत कक्षा में उत्तीर्ण होकर पाठ्यक्रम की अग्री कक्षा में प्रदेश ले लिया हो।

नोट-(1) दशमोत्तर शैक्षणिक भता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत उक्त वरीयता श्रेणी, प्राप्तांक प्रतिशत, आयु, अल्फाबेटिक आधार अथवा "प्रथम आगत प्रथम पायत" के आधार पर लाभान्वित करते समय यह ध्यान रखा जायेगा कि सम्पूर्ण प्रदेश में लाभान्वित होने वाले छात्रों का वरीयता मानक एक समान रखा जाय।

नोट-(2) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (राज्य इकाई) लखनऊ द्वारा प्रतिवर्ष निर्धारित तिथि तक उक्त समस्त विवरण की हस्ताक्षरित साफ्टकापी (डीवीडी) निदेशालय समाज कल्याण, 30प्र० लखनऊ को दो प्रतियों में अभिलेखार्थ उपलब्ध करायी जायेगी।

(3) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (राज्य इकाई) लखनऊ द्वारा उपलब्ध बजट के अनुरूप प्रतिवर्ष वरीयता क्रम के आधार पर नवीनीकरण एवं नव प्रवेशित छात्र/छात्राओं की अलग-अलग सुजित श्रेणीवार मांग (जनपदवार/बैंकवार) के विवरण की हस्ताक्षरित हाई एवं साप्ट कापी, छात्र/छात्राओं के बैंक खाते में धनराशि अंतरित किये जाने हेतु निदेशालय समाज कल्याण, 30प्र०, लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेगी।

(viii) प्रत्येक वर्ष/शैक्षणिक सत्र में केवल एक बार समय-सारिणी-विर्गत-की जायेगी। विर्गत समय-सारिणी-के-अन्तर्गत-छात्रवृत्ति

(शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) का भुगतान नियम-11 (i) से नियम-11 (vii) तक निर्धारित वरीयता के नियमों के अन्तर्गत किया जायेगा।

निर्धारित समय-सारिणी के उपरान्त किसी कारणवश आनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ाई जाती है अथवा कुछ दिनों के लिये आनलाइन आवेदन हेतु छात्रवृत्ति का पोर्टल खोला जाता है तो इस व्यवस्था के अन्तर्गत जिन छात्रों द्वारा आनलाइन आवेदन किया जायेगा उनको विलम्बित क्षणी मानते हुये वरीयता में सबसे नीचे रखते हुये धनराशि की उपलब्धता के आधार पर उक्त नियमों में उल्लिखित वरीयता का पालन करते हुये निर्धारित तिथि के अनुसार छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) का भुगतान किया जायेगा।

12- प्रक्रिया-

(I) इस योजना में अहं छात्रों को संवधित शिक्षण संस्थान द्वारा संशुल्क प्रवेश के समय संस्था की नियमानुसार शुल्क का भुगतान स्वयं करना होगा। इस नियमावली/ योजना में निःशुल्क प्रवेश की व्यवस्था नहीं रहेगी। राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध बजट के अन्तर्गत एवं नियमावली के प्राविधिकों के अनुसार छात्र/छात्राओं को शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि नियमानुसार छात्र/छात्राओं के आधार सीडेड वैक खाते में राज्य मुद्यालय स्थित कोषागार से PFMS (Public Financial Management System) प्रणाली के माध्यम से निर्धारित प्रक्रियानुसार प्रतिपूर्ति (reimburse) की जायेगी।

(II) छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति की वेबसाइट <https://scholarship.up.gov.in> पर आनलाइन आवेदन करना होगा।

(III) अभ्यर्थी द्वारा जमा किये गये आवेदन-पत्र में संलग्न प्रमाण पत्रों का मिलान मूल प्रमाण पत्रों से शिक्षण संस्थान स्तर पर गठित समिति द्वारा किया जायेगा, जिसके लिए शिक्षण संस्था पूरी तरह से उत्तरदायी होगी। आवेदन-पत्र के साथ संलग्न अभिलेखों का मिलान किये जाने के उपरान्त सही एवं अहं पाये गये आवेदन-पत्रों पर अनुरक्षण भत्ता व शुल्क प्रतिपूर्ति की स्वीकृति हेतु संस्तुति संस्था स्तर पर गठित निम्न समिति द्वारा की जायेगी।

1-संस्था प्रमुख/निदेशक/प्राचार्य/प्रधानाचार्य - अध्यक्ष

2-संस्था के वरिष्ठतम् प्राध्यापक - सदस्य

3-संस्था के वरिष्ठतम् अनु०जाति के प्राध्यापक - सदस्य

अथवा

संस्था के वरिष्ठतम् अन्य पिछड़ा वर्ग के प्राध्यापक (अनु० जाति का कोई भी प्राध्यापक उपलब्ध न होने की दशा में)

अथवा

उस संस्था का जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा नामित सामान्य श्रेणी का कोई प्राध्यापक (अनु० जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का कोई भी प्राध्यापक न होने की दशा में)

(IV) उपरोक्त समिति द्वारा संस्तुत छात्रों का विवरण आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित संस्था का ही होगा। छात्र/छात्राओं का डाटा त्रुटिपूर्ण, गलत या अपूर्ण पाया जाता है, ऐसे छात्र/छात्राओं की संस्था द्वारा समुचित कारण दर्शाते हुये छात्रवृत्ति हेतु संस्तुति नहीं की जायेगी और अपने स्तर से रिजेक्ट कर दिया जायेगा।

(V) छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) हेतु प्रत्येक जिला समाज कल्याण अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से आनलाइन संस्तुत एवं लाक किये गये विवरण की तथा छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) विवरण सम्बन्धी व अन्य समस्त अभिलेखों का रखरखाव निम्नलिखित स्तरों पर 10 वर्ष तक साफ्टकापी डीवीडी, हार्ड डिस्क एवं हार्ड कापी में सुरक्षित रखी जायेगी।

1-शिक्षण संस्थान स्तर पर:-

(अ)- शिक्षण संस्थान द्वारा मास्टर डाटा हेतु आनलाइन भरे गये शिक्षण संस्थान एवं संचालित पाठ्यक्रमों की मान्यता, सम्बद्धता व सीटों की अनुमन्यता एवं सक्षम स्तर से स्वीकृत पाठ्यक्रमवार फीस सम्बन्धी पूरी विवरण की संलग्नकों सहित हस्ताक्षरित साफ्टकापी डीवीडी, हार्ड डिस्क में।

(ब)- छात्र-छात्राओं के आनलाइन भरे गये छात्रवृत्ति आवेदन पत्रों की संलग्नक सहित हार्डकापी/सॉफ्ट कापी डीवीडी, हार्ड डिस्क में।

छात्रवृत्ति आवेदन पत्रों से सम्बन्धित हस्ताक्षरित साफ्टकापी (डीवीडी) जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में निर्धारित तिथि तक उपलब्ध करायी जायेगी।

2-जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय स्तर:-

1- समस्त शिक्षण संस्थानों का मास्टर डाटाबेस का विवरण जिसमें संस्थानों/ पाठ्यक्रमों की मान्यता व सम्बद्धता, अनुमन्य सीटों की संख्या एवं सक्षम स्तर से अनुमन्य शुल्क तथा सम्बन्धित समस्त शासनादेश/सक्षम स्तर से जारी आदेशों की हस्ताक्षरित हार्ड एवं साफ्ट कापी डीवीडी, हार्ड डिस्क में।

2- शैक्षिक संस्थावार छात्र/छात्राओं द्वारा आनलाइन भरे गये छात्रवृत्ति विषयक आवेदन पत्रों के हस्ताक्षरित संख्यात्मक विवरण की हार्ड एवं साफ्टकापी डीवीडी में।

3- जनपद स्तरीय छात्रवृत्ति स्वीकृति/ विवरण समिति द्वारा स्वीकृत छात्रवृत्ति/ शुल्क प्रतिपूर्ति का शिक्षण संस्थावार संख्यात्मक हस्ताक्षरित विवरण (छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति धनराशि सहित) हार्ड कापी में।

4- छात्रवृत्ति संवर्धन पर जिला समाज कल्याण अधिकारी-द्वारा आनलाइन डिजिटल सिग्नेचर से लाक किये गये छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति डाटा से सुजित वेनीफिशरी एवं ट्रांजेक्शन फाइल की हस्ताक्षरित हार्डकापी एवं साफ्टकापी डीवीडी, हार्डडिस्क में। वेनीफिशरी एवं ट्रांजेक्शन फाइल की हार्डकापी पर कम्प्यूटर आपरेटर, लेखाकार, पटल सहायक, नोडल अधिकारी योजना एवं वित्त-नियन्त्रक, निदेशालय द्वारा हस्ताक्षरित की जायेगी।

5- छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित जंक एवं स्स्पेक्ट डाटा की हस्ताक्षरित साफ्ट एवं हार्डकापी, छात्र-छात्रा को छात्रवृत्ति न मिल पाने के कारण सहित।

6- शैक्षिक संस्थावार छात्र-छात्रा के खाते में धनराशि अन्तरण के उपरान्त लाभान्वित छात्र-छात्रा के डाटाबेस को सम्बन्धित वेबसाइट से डाउनलोड कर उसकी साफ्टकापी डीवीडी, हार्डिस्क एवं हार्डकापी (कम्प्यूटर आपरेटर, लेखाकार, पटल सहायक, नोडल अधिकारी योजना एवं वित्त नियन्त्रक द्वारा हस्ताक्षरित)।

(vi) विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी के नोडल अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11-12) द्वारा शिक्षण संस्था की मान्यता, वैधता एवं वर्गवार अनुमत्य सीटों के सापेक्ष आवेदकों की संख्या आदि का परीक्षण कर आनलाइन सत्यापन एवं डिजीटल हस्ताक्षर से लाक किया जायेगा। तदोपरान्त निदेशक, समाज कल्याण द्वारा ई-डिस्ट्रिक्ट/डिजीलाकर आदि के माध्यम से छात्रों के आवेदन में उल्लिखित आवश्यक विन्दुओं पर परीक्षण कराकर शुद्ध एवं सन्देहास्पद डाटा सम्बन्धित जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति को निर्णयार्थ उपलब्ध कराया जायेगा।

(VII) जनपद स्तर पर सामान्य वर्ग की दशभोत्तर अनुरक्षण भत्ता/शुल्क प्रतिपूर्ति की स्वीकृति एवं वितरण हेतु निम्न समिति गठित की जाती है:-

1-जिलाधिकारी	- अध्यक्ष
2-मुख्य विकास अधिकारी	- उपाध्यक्ष
3-मण्डलीय उच्चशिक्षाधिकारी/अथवा नामित प्रतिनिधि	- सदस्य
4-जिला विद्यालय निरीक्षक	- सदस्य
5-जिला सूचना विज्ञान अधिकारी	- तकनीकी सदस्य
6-मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी	- सदस्य
7-जिला समाज कल्याण अधिकारी	- सदस्य सचिव

यह समिति जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति/ वितरण समिति कही जायेगी, जो इस नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत जनपद स्तर पर अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की स्वीकृति प्रदान करेगी एवं छात्रवृत्ति वितरण सुनिश्चित करायेगी। जनपद स्तर पर छात्रवृत्ति वितरण में समय-समय पर आने वाली कठिनाइयों/ समस्याओं का निराकरण भी उक्त समिति द्वारा किया जायेगा।

(VIII) (1) एन0आई0सी0 से छात्रों के पास शुद्ध एवं सन्देहास्पद डाटा के आधार पर जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा छात्रों का स्थलीय/ अभिलेखीय सत्यापन छात्रवृत्ति आवेदन पत्र का परीक्षण कर किया जायेगा। अपावृत्ति छात्रों के डाटा को बाहर किया जायेगा। सही द पावृत्ति छात्रों के डाटा पर जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के समक्ष प्रस्तुत कर स्वीकृति/अस्वीकृति का निर्णय कराकर डिजिटल सिग्नेचर से प्रत्येक छात्र का डाटा निर्धारित समयावधि में लाक किया जायेगा। गलत/अपावृत्ति छात्र के डाटा स्वीकृत करने पर अथवा सही/पावृत्ति छात्र के डाटा को अस्वीकृत करने पर अथवा पैडिंग डाटा को छोड़ने पर जिला समाज कल्याण अधिकारी/पटल सहायक/ कम्प्यूटर आपरेटर का दायित्व निर्धारित किया जायेगा।

(2) जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा स्वीकृत/लाक डाटा के आधार पर निदेशालय द्वारा एन0आई0सी0 के माध्यम से मांग जनरेट करायी जायेगी तथा पावृत्ति छात्र/छात्रा को छात्रवृत्ति की धनराशि वजट की उपलब्धता के अनुसार छात्र/छात्रा के आधार सीडेड बचत बैंक खाते में सीधे राज्य मुख्यालय स्थित कोषागार से PFMS (Public Financial Management System) प्रणाली के माध्यम से निर्धारित प्रक्रियानुसार अन्तरित की जायेगी, जिसका उत्तरदायित्व निदेशालय के वित्त नियन्त्रक, नोडल अधिकारी (दशभोत्तर छात्रवृत्ति योजना) का होगा।

(3) जिला समाज कल्याण अधिकारी के डिजीटल सिग्नेचर से आनलाइन संस्तुत एवं लॉक डाटा में किसी स्तर से बदलाव नहीं किया जायेगा। उकानुसार लॉक डाटा के आधार पर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (स्टेट यूनिट) लखनऊ द्वारा नियमावली में वर्णित रीति से डाटा को प्रोसेस कराकर मांग जनरेट की जायेगी। आनलाइन लॉक किये गये डाटा की शुद्धता की पूर्ण जिम्मेदारी जिला समाज कल्याण अधिकारी एवं जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति की होगी क्योंकि इसी लॉक डाटा के आधार पर ही नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत अभ्यार्थियों को धनराशि का अन्तरण किया जायेगा।

एन.आई.सी. लखनऊ के परीक्षण के विन्दु

(ix) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (राज्य इकाई) लखनऊ के स्तर पर जनपदों से प्राप्त छात्र/ छात्राओं के डाटा का परीक्षण (स्क्रुटनी) शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित बिन्दुओं पर की जायेगी।

(X) निदेशालय के वित्त नियन्त्रक एवं योजना हेतु नामित नोडल अधिकारी को पासवर्ड एन0आई0सी0 द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा, जिसका उपयोग करके वेनीफिशरी फाइल जनरेट की जायेगी। उक्त वेनीफिशरी फाइल को PFMS (Public Financial Management System) साफ्टवेयर पर उपरोक्त अधिकारियों द्वारा अपने PFMS कोड नम्बर द्वारा अपलोड कर सत्यापन कराया जायेगा। सत्यापनोपरान्त प्राप्त वैध वेनीफिशरी के अनुसार वित्त तैयार कर जवाहर भवत, कोषागार लखनऊ में पारण हेतु प्रस्तुत कर टोकन प्राप्त किया जायेगा। इस देरजरी टोकन नम्बर को छात्रवृत्ति की वेबसाइट पर फ़िड करके ट्रान्जेक्शन पर फ़िड करके ट्रान्जेक्शन फाइल जनरेट की जायेगी, जो PFMS सर्वर पर स्वतः स्थानान्तरित हो जायेगी, जिसे PFMS द्वारा स्वीकृत होने के पश्चात विभाग के आहरण वितरण अधिकारी/वित्त नियन्त्रक द्वारा ट्रान्जेक्शन को अपुण्ड करने के उपरान्त ट्रान्जेक्शन-फाइल-पुनःPFMS-को-प्राप्त-होगी। PFMS द्वारा उक्त ट्रान्जेक्शन फाइल को अपुण्ड करते हुए द्वेरजी लागिन पर उपलब्ध कराई जायेगी। तत्पश्चात् कोषाधिकारी द्वारा ट्रान्जेक्शन फाइल अपुण्ड किया जायेगा; जिसके उपरान्त छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का अन्तरण छात्र/छात्राओं के बचत बैंक खातों में सीधे अन्तरित हो जायेगी। PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त प्राप्त इनवेलिड वेनीफिशरी जनपदों के लागिन पर रहेगी, जिसे तिर्थारित समय-सीमा के अन्तर्गत शुद्ध कर

8

PFMS सर्वर पर अपलोड करने हेतु जिला समाज कल्याण अधिकारियों द्वारा अपनी डिजीटल सिग्नेचर से संस्तुत एवं लॉक किया जायेगा। यित नियन्त्रक एवं नोडल अधिकारी (योजना)/आहरण वितरण अधिकारी द्वारा PFMS साफ्टवेयर पर पनः अपलोड कर धनराशि अन्तरण करने की प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी।

(Xi) एन0आई0सी0 (राज्य इकाई) द्वारा यित नियन्त्रक एवं नोडल अधिकारी (दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना) मुख्यालय के उपयोग हेतु छात्रवृत्ति साफ्टवेयर में आवश्यकतानुसार ऐसी व्यवस्था की जायेगी जिससे दोनों अधिकारियों को संयुक्त रूप से ट्रान्जेक्शन फाइल को पीएफएमएस सर्वर पर ट्रान्सफर करने का विकल्प उपलब्ध होगा।

(xii) उपरोक्त प्रयोजन हेतु कोषागार जवाहर भवन तथा भारतीय स्टेट बैंक जवाहर भवन, लखनऊ को नोडल ट्रेजरी/बैंक नामित किया जाता है। जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला समाज कल्याण अधिकारी, यित नियन्त्रक, नोडल अधिकारी (दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना) डिजिटल सिग्नेचर सम्बन्धित अधिकृत संस्था से प्राप्त करेंगे।

(XIII) बैंकों से अवितरित वापस प्राप्त धनराशि का लेखा जोखा एवं तत्सम्बन्धी समस्त आवश्यक अभिलेखों के रखरखाव का उत्तरदायित्व यित नियन्त्रक/आहरण वितरण अधिकारी, मुख्यालय का होगा।

(XIV) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र राज्य इकाई द्वारा धनराशि अन्तरण से सम्बन्धित विवरण को वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जायेगा, जिसके आधार पर सम्बन्धित जनपद वितरण सम्बन्धी विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट अपने लागित आई0डी0 एवं पासवर्ड के माध्यम से जनरेट कर सकेंगे।

13- भुगतान व्यवस्था-

(i) संस्था में अध्ययनरत अभ्यर्थी को शासन द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक आनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन-पत्र भरना होगा। अंतिम तिथि के पश्चात भरे जाने वाले आनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

(ii) निदेशालय के यित नियन्त्रक/योजना के नोडल अधिकारी द्वारा राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र लखनऊ के सहयोग से शैक्षणिक भत्ता व शुल्क प्रतिपूर्ति धनराशि की माँग सूजित (जनरेट) कराकर तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, राज्य इकाई, लखनऊ द्वारा साफ्टवेयर के माध्यम से उपलब्ध कराई गई बैनरिंफिशरी एवं ट्रान्जेक्शन फाइल द्वारा ही निर्धारित तिथि के अन्दर छात्र/छात्रा के आधार सीडेड बैंक खाते में सीधे राज्य मुख्यालय से PFMS (Public Financial Management System) प्रणाली के माध्यम से निर्धारित प्रक्रियानुसार धनराशि अन्तरित की जायेगी। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, राज्य इकाई, लखनऊ द्वारा विकसित साफ्टवेयर से सूजित बैनरिंफिशरी एवं ट्रान्जेक्शन फाइल में यित नियन्त्रक या नोडल अधिकारी (योजना) स्तर से कोई वदलाव नहीं किया जायेगा। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में शासन द्वारा निर्धारित तिथि पर वेबसाइट को राज्य एन0आई0सी0 लखनऊ द्वारा लॉक कर दिया जायेगा। धनराशि के अन्तरण का Reconciliation कार्य उसी वित्तीय वर्ष में यित नियन्त्रक/सम्परीक्षा अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी, मुख्यालय द्वारा पूर्ण किया जायेगा।

(iii) उत्तानुसार आनलाइन सूजित माँग के सापेक्ष निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये गये बजट की सीमा तक नियमावली में वर्णित वरीयता क्रम के अनुसार कोषागार से PFMS (Public Financial Management System) प्रणाली के माध्यम से यित नियन्त्रक एवं नोडल अधिकारी (दशमोत्तर शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना) द्वारा पात्र छात्र/छात्राओं के आधार सीडेड बैंक खातों में निर्धारित तिथि तक धनराशि अन्तरित कर दी जायेगा।

किसी वित्तीय वर्ष में फेल्ड ट्रान्जेक्शन की धनराशि/अवितरित वापस प्राप्त धनराशि को राज्य सरकार के रिसीट हेड में जमा किया जायेगा। बैंक से फेल्ड ट्रान्जेक्शन/अवितरित वापस प्राप्त धनराशि को राज्य सरकार के रिसीट हेड में जमा कराने का पूर्ण उत्तरदायित्व यित नियन्त्रक एवं आहरण वितरण अधिकारी मुख्यालय का होगा। PFMS (Public Financial Management System)/बैंकों का उत्तरदायित्व होगा कि वे लाभार्थीयों के खातों में अन्तरित न होने वाली धनराशि व सम्बन्धित लाभार्थीयों एवं उनके खातों का पूर्ण विवरण अन्तरित न होने की तिथि से विलम्बतम 01 माह के अन्दर यित नियन्त्रक/नोडल अधिकारी (दशमोत्तर अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना) समाज कल्याण, निदेशालय, ३०प्र० लखनऊ को उपलब्ध करा देंगे। यित नियन्त्रक द्वारा उत्तानुसार प्राप्त समस्त धनराशि एवं लाभार्थीयों का विवरण लेजर में अंकित कर कार्यालय में सुरक्षित रखा जायेगा। अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि के अन्तरण का विवरण विश्विद्यालय/जिला समाज कल्याण अधिकारियों के लागिन पर जनपदवार उपलब्ध होगा।

(iv) अनुरक्षण भत्ता 01 अप्रैल अथवा नामांकन के महीने, जो भी बाद में हो, से शैक्षणिक वर्ष के अन्त में उस महीने तक जिसमें परीक्षाये पूरी होती हैं, देय होंगे। वर्षतेर यदि विद्यार्थी किसी महीने के 20 तारीख के बाद नामांकन कराता है तो राशि नामांकन के महीने के बाद आने वाले महीने से दी जायेगी।

(v) गतवर्ष दी गयी छात्रवृत्ति के नवीनीकरण के मामले में, यदि पाठ्यक्रम जारी रहता है तो छात्रवृत्ति उस महीने के अगले महीने से दी जायेगी, जिस महीने तक गत वर्ष भुगतान की गयी थी।

14- छात्रवृत्ति की अवधि व नवीनीकरण-

(i) छात्र/छात्रा को एक बार दी गयी छात्रवृत्ति उसको दिये जाने के चरण से लेकर पाठ्यक्रम की समाप्ति तक देय होगी वर्षतेर कि छात्र/छात्रा का आचरण अच्छा रहे। यह छात्रवृत्ति वर्षान्वयवर्ष नवीनीकृत होगी, परन्तु शर्त यह है कि एक ऐसे पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में जो अनेक वर्षों तक सतत चलता रहता है, छात्र/छात्रा हर वर्ष विश्विद्यालय अथवा संस्था द्वारा ती गयी परीक्षा में उत्तीर्ण-होकर-उच्चतर-कक्षा में पहुंचता रहे।

(ii) किसी भी ममूल में छात्र के वार्षिक परीक्षा में असफल रहने की स्थिति में उसकी छात्रवृत्ति का नवीनीकरण नहीं हो सकेगा। संवधित छात्र को तब तक अपना खर्च स्वयं बहन करना होगा, जब तक वह अगली उच्चतर कक्षा में प्रोव्न्ट नहीं हो जाता है।

(iii) यदि विश्विद्यालय/संस्था के विनियमों के अनुसार एक छात्र को अगली उच्चतर कक्षा में प्रोव्न्ट कर दिया जाता है, तो

वह निचली कक्षा में वास्तविक रूप में उत्तीर्ण न हुआ हो, तथा उसके द्वारा निचली कक्षा में कुछ समय पश्चात दोयारा परीक्षा देना अपेक्षित हो, तो यदि वह विद्यार्थी अन्यथा छात्रवृत्ति के लिए पात्र हो तो वह उस कक्षा में छात्रवृत्ति पाने का हकदार होगा, जिस कक्षा में उसे प्रोच्चत किया गया है।

(iv) नवीनीकरण के प्रत्येक छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया पंजीकरण क्रमांक भरना अनिवार्य होगा।

15- छात्रवृत्ति के लिये अन्य शर्तें-

(i) छात्रवृत्ति, अभ्यर्थी की संतोषजनक प्रगति एवं आचरण पर निर्भर है। यदि किसी समय संस्थान प्रमुख द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई अभ्यर्थी स्वयं अपने आचरण अथवा चूक के कारण संतोषजनक प्रगति करने में असफल रहा है अथवा उसे दुर्व्यवहार जैसे- हड्डताल करने या उसमें भाग लेने, सम्बन्धित प्राधिकारियों की अनुमति के बगैर उपस्थिति में अनियमितता आदि का दोषी पाया गया है तो छात्रवृत्ति संस्थीकृत करने वाला प्राधिकारी या तो छात्रवृत्ति रद्द कर सकता है अथवा रोक सकता है या ऐसी अवधि, जो वह उचित समझे, तक के लिए आगे का भुगतान रोक सकता है।

(ii) अनियमिततार्थे पाये जाने पर कार्यवाही-

छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनियमिततार्थे पाये जाने पर सम्बन्धित छात्रों/शिक्षण संस्थानों के संचालकों/प्रधानाचार्यों/ शिक्षण संस्थानों के नोडल अधिकारियों, विश्वविद्यालय के नोडल अधिकारी तथा अन्य संलिप्त कार्मिकों एवं विभागीय/अन्य विभागों के जनपदीय अधिकारियों/कर्मचारियों एवं अन्य संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध जांचोपरान्त नियमानुसार सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते हुए विभागीय कार्यवाही की जायेगी एवं गवन की गयी धनराशि की वसूली उत्तरदायी संस्था/छात्र से 9 प्रतिशत साधारण व्याज के दर से भू-राजस्व की भांति जिलाधिकारी के माध्यम से करायी जायेगी तथा ऐसे छात्रों एवं शिक्षण संस्थानों को काली सूची में दर्ज कराने व शिक्षण संस्थानों की मान्यता एवं सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही शासन/निदेशालय द्वारा की जायेगी:-

1- मास्टर डाटा बेस में शिक्षण संस्थान द्वारा गलत सूचना भरकर सम्मिलित होने पर।

2- शिक्षण संस्थान/विद्यालय में छात्र/छात्रा के अध्ययनरत न पाये जाने पर।

3- शिक्षण संस्थान द्वारा छात्र/छात्रा के किसी अन्य शिक्षण संस्थान/विद्यालय में अध्ययनरत होते हुये भी अपनी संस्था से छात्र की शैक्षणिक भत्ता/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन सत्यापित एवं अग्रसारित करने पर।

4- छात्र/छात्रा द्वारा स्वयं/माता-पिता अथवा अभिभावक की वास्तविक आय छिपाकर फर्जी आय के आधार पर छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने पर।

5- छात्र/छात्रा द्वारा झूठा घोषणा पत्र प्रस्तुत कर छात्रवृत्ति प्राप्त करने पर।

6- छात्रवृत्ति की धनराशि प्राप्त करने हेतु अभिलेखों में कटरचना/हेराफेरी करके छात्र/शिक्षण संस्थान द्वारा छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने एवं शिक्षण संस्थान द्वारा फर्जी आवेदन सत्यापित व अग्रसारित करने पर।

7- विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी/जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय/शिक्षा विभाग या अन्य किसी व्यक्ति/विभाग द्वारा कटरचना/हेराफेरी कर छात्रों की बढ़ी हुई संख्या दर्शकर छात्रवृत्ति की धनराशि ऐसे छात्रों/ व्यक्तियों के दैंक छात्रों में अन्तरित कराने अथवा अन्तरित कराने का प्रयास करने पर।

8- जिला मजिस्ट्रेट/निदेशक/शासन के द्वारा जांच में गम्भीर अनियमिततार्थे पाये जाने पर।

9- छात्रवृत्ति की धनराशि प्राप्त करने के उपरांत छात्र/छात्रा द्वारा अध्ययन छोड़ देने के उपरांत धनराशि वापस न करने पर।

(iii) छात्र द्वारा यदि अध्ययन वर्ष के दौरान, वह अध्ययन जिसके लिए वह छात्रवृत्ति दी गयी है, छोड़ दिया जाता है तो छात्र को छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता व शुल्क) की धनराशि प्रदान नहीं की जायेगी/ वापस करनी होगी। यदि छात्र दोनों सेमेस्टर की परीक्षा अथवा वर्षिक परीक्षा में सभी विषयों में अनुपस्थित रहता है या परीक्षा/विषयों में उपस्थिति दर्ज कराता है किन्तु सभी विषयों में शूल्क अंक प्राप्त करता है तो छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी। यदि धनराशि भुगतान की गयी है तो छात्र/संस्था को धनराशि वापस करनी होगी।

(iv) छात्र द्वारा यदि अध्ययन वर्ष के दौरान, वह अध्ययन जिसके लिए वह छात्रवृत्ति दी गयी है, छोड़ दिया जाता है तो छात्र को छात्रवृत्ति की धनराशि वापस करनी होगी।

16(1)-(i) शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आनलाइन आवेदन निर्धारित तिथि तक वेबसाइट <https://scholarship.up.gov.in> के माध्यम से ही केवल भरा जायेगा। किसी अन्य माध्यम से भरे गये फार्म मान्य नहीं होंगे। अभ्यर्थी द्वारा आनलाइन भरा गया आवेदन पत्र निर्धारित तिथि के पश्चात एन0आई0सी0 द्वारा लाक किया जायेगा। एन0आई0सी0 द्वारा डाटा में छेड़-छाड़ किये जाने पर आई0टी0 एक्ट के तहत सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(ii) आवेदन पत्र का प्रिन्ट-आउट प्राप्त करना-

छात्र/छात्राओं द्वारा अपने भरे गये आवेदन का प्रिन्ट-आउट को समस्त अन्य वांछित डाक्यूमेंट जैसे- आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पहचान पत्र की स्वप्रमाणित प्रतिलिपियां संलग्न करते हुये अपने अध्ययनरत शिक्षण संस्था में सम्बन्धित अधिकारी के पास जमा करके उसकी रसीद प्राप्त कर लें। आवेदन पत्र आनलाइन Submit करने के उपरान्त समय-सारिणी में निर्धारित कार्यदिवस के अन्दर संस्थान में आवेदन पत्र की हार्डकापी जमा करना आवश्यक है।

(iii) आवेदन पत्र जमा की रसीद प्राप्त करना-

1- संस्थान द्वारा दी जाने वाली प्राप्ति रसीद आवेदन पत्र के प्रिन्ट-आउट के साथ ही प्रिन्ट होगी। संस्थान द्वारा उसी रसीद पर संस्था की मुहर एवं हस्ताक्षर कर छात्र/छात्रा को प्रदान की जायेगी।

2- निर्धारित वेबसाइट-पर आवेदक-अपने-जमा-किये-गये-फार्म-की वर्तमान स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकता है जिसके

तिये वेबसाइट पर दिये गये “आवेदन की स्थिति जाने” को मिलकर नहीं होगा एवं स्क्रीन पर अपना रजिस्ट्रेशन संख्या भरना होगा।

(iv) छात्र/छात्रा के मोबाइल नम्बर पर SMS प्रदान करना-

छात्र/छात्रा के मोबाइल नम्बर पर SMS व ई०-मेल पर छात्रों को विवरण भेजने हेतु विभिन्न स्तरों का चयन निर्देशक समाज कल्याण द्वारा किया जायेगा।

(v) छात्रों द्वारा आधार नम्बर आवेदन पत्र में अंकित करना।

पत्तेक छात्र/छात्रा को हाईस्कूल प्रमाण-पत्र पर अंकित नाम एवं जन्म तिथि के अनुसार आधार कार्ड बनवाना होगा। विवाहित पुत्री की स्थिति में आधार कार्ड में पति का नाम व पता आदि अपडेट कराना होगा। छात्रवृत्ति के आनलाइन आवेदन पत्र में आधार ई-केंवर्डीसी के पश्चात छात्र/छात्रा का समस्त विवरण, वैकं डिटेल विवरण आटोफेच होकर पदर्शित होगा।

16(2)- शिक्षण संस्थान के दायित्व-

(i)- शिक्षण संस्था का छात्रवृत्ति हेतु एक नोडल अधिकारी नामित करना होगा। प्रत्येक शिक्षण संस्था के लिए अलग-अलग नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा। नामित नोडल अधिकारी का डिजिटल हस्ताक्षर उसी शिक्षण संस्था के लिए मान्य होगा। एन0आई0सी0 द्वारा प्रत्येक संस्था में डिजिटल सिग्नेचर का प्रयोग करने वाले कार्मिक का लोग तिथि एवं समय के साथ सरक्षित रखा जायेगा।

(ii)- शिक्षण संस्था को विश्वविद्यालय/ एफिलियेटिंग एजेंसी से तिर्धारित अवधि में जागिन आई0डी0 एवं पासवर्ड प्राप्त करना होगा तथा शिक्षण संस्थाओं के डिजिटल सिग्नेचर को अपने से सम्बन्धित विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी से रिसेट/सत्यापित कराया जायेगा।

(iii)- शिक्षण संस्था में डिजिटल सिग्नेचर प्रयोग करने वाले कार्मिकों की ई-के0वाई0सी0 छात्रवृत्ति की वेबसाइट <https://scholarship.up.gov.in> पर अपडेट करनी होगी।

(iv)- आनलाइन आवेदन हेतु फार्म शासन द्वारा निर्धारित तिथि से वेबसाइट <https://scholarship.up.gov.in> पर उपलब्ध होगा। अभ्यर्थियों के द्वारा जमा किये गये आवेदन पत्र एवं संलग्नकों के आधार पर प्रविष्टियों के मिलान का कार्य जारी रखेंगे। किसी भी दशा में अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एक साथ जमा होने का इन्तजार नहीं करेंगे, जितने अभ्यर्थियों का आवेदन पत्र प्राप्त होता रहेगा उतने की जांच/मिलान करते रहेंगे।

(v)- जिन छात्र/छात्राओं का डाटा बुटिपूर्ण/अपूर्ण/गलत होगा, उनका डाटा संस्थान द्वारा प्रेषित नहीं किया जायेगा, उसको अपने स्तर से reject कर देंगे। शासन द्वारा निर्धारित तिथि तक शिक्षण संस्थान के लागिन पर उपलब्ध सम्पूर्ण डाटा पर निर्णय लेकर अग्रसारित या रिजेक्ट कर दिया जायेगा। किसी भी दशा में संस्थान द्वारा डाटा लम्बित नहीं रखा जायेगा।

(vi)- सभी छात्रों को योजना के प्राविधानों एवं शासन द्वारा फार्म भरने एवं जमा करने हेतु लियत की गयी अन्तिम तिथि की जानकारी संस्थान सभी कक्षाओं में उपलब्ध सूचना-संचार माध्यमों यथा- Public address System, Faculty members द्वारा एवं विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये हैंडबिल आदि के माध्यम से अवगत करायेंगे।

(vii)- छात्र/छात्रा को ऑनलाइन आयोदन करने की सुविधा आवश्यकता पड़ने पर सम्बन्धित शैक्षिक संस्थान द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

(viii)- जिन अभ्यर्थियों के विवरण का मिलान संस्था के अभिलेखों/अभ्यर्थी द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र से नहीं होता है अथवा बुटिपूर्ण पाया जाता है, उनकी संस्तुति नहीं की जायेगी अपितु संस्थान स्तर से रिजेक्ट कर दिया जायेगा।

(ix)- शिक्षण संस्थान द्वारा पात्र छात्र/छात्रा का डाटा आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करने के बाद आनलाइन सत्यापित वेबरण की हाईकारी छात्रों द्वारा जमा आनलाइन फ़िडेंट आवेदन पत्र के प्रिन्ट-आउट समस्त संलग्नकों सहित सत्यापन प्रमाण पत्र संस्था के प्रमुख द्वारा अपनी संस्तुति सहित जिला समाज कल्याण अधिकारी को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना चाहेगा।

x)- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, राज्य इकाई लखनऊ द्वारा छात्रों के हाईस्कूल के अलुक्रमांक के आधार पर संस्था के स्तर पर अत्यापन/अग्रसरण के सभी प्रत्येक छात्र के सभी गत वर्षों में छात्र को जिस पाठ्यक्रम में छात्रवृत्ति का भुगतान हुआ है। सर्वों को प्रदर्शित किया जायेगा। शिक्षण संस्था द्वारा लियमावली के प्राविधार्नों के अनुसार पात्र छात्रों का आवेदन अग्रसरित किया जायेगा।

xi)- शिक्षण संस्थान यह सुनिश्चित करेगा कि एक वर्ष से अधिक अवधि वाले पाठ्यक्रमों में आनलाइन आयोग करने वाले प्रब्रह्मति हेतु पात्र अध्ययनरत छात्र अगले वर्ष नवीनीकरण का ही फार्म भरें एवं शिक्षण संस्थान उनके नवीनीकरण का ही फार्म न्यापित एवं अग्रसारित करेगा। नये छात्र (पाठ्यक्रम के किसी एक वर्ष में असफल छात्र जो बाद में परीक्षा उत्तीर्ण किया हो, या छोड़कर) के रूप में उनका आयोगन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(iii)- शिक्षण संस्थान द्वारा नवीनीकरण हेतु अहं छात्रों के नवीनीकरण न कराये जाने के सम्बन्ध में प्रत्येक छात्रवार स्पष्ट गणराज्य अंकित किया जायेगा यथा-छात्र परीक्षा में असफल हुआ या शिक्षण संस्थान छोड़कर चला गया आदि कारणों का स्पष्ट लेख किया जायेगा।

(iii)- संस्था द्वारा छात्र के 75 प्रतिशत उपस्थिति एवं गत वर्ष में पास अंकों/उत्तीर्ण/प्रोन्नत होने का अनियार्य रूप से करना/सत्यापन करने के उपरांत आवेदन पत्र आनलाइन अंगसारित किया जायेगा।

16 (3)-जिला समाज कल्याण अधिकारी के द्वयित्व

(i)- शिक्षण संस्था द्वारा पेंचित छात्रों की सूची, समस्त संलग्नकों को पी0डी0एफ0 फ़ाइल की साफ्ट कपी के रूप में संस्थाओं से प्राप्त कर वर्षावार/संस्थावार 10 वर्षों तक सरक्षित रखना।

(ii)- अभ्यर्थी के आय प्रमाण पत्र तथा निवास प्रमाण पत्र का मिलान राजस्व परिषद की वेबसाइट से रेंडम आधार पर स्वीकृति से पूर्व करना/कराना।

(iii)- अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र की हार्डकापी आवश्यकता पड़ने पर संलग्नकों सहित छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के समक्ष प्रस्तुत करना।

(iv)- सक्षम एजेंसी से डिजीटल सिग्नेचर (Digital Signature) प्राप्त कर अभ्यर्थियों के डाटा को निर्धारित अवधि के अन्दर आनलाइन सत्यापित एवं लाक करना।

(v)- आनलाइन डाटा की मानीटरिंग हेतु आयुक्त/जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में शिक्षाधिकारी तथा शिक्षण संस्थाओं के साथ मासिक बैठक कराते रहना। यदि किसी शैक्षणिक संस्थान द्वारा निर्धारित तिथि तक डाटा का अग्रसारण नहीं प्राप्त हो रहा है अथवा उसके द्वारा छात्रों के आवेदन पत्रों की हार्डकापी नहीं उपलब्ध करायी जा रही है तो उक्त संस्थान के प्राचार्य/प्रधानाचार्यों को बैठक में बुलाकर निर्धारित अवधि के अन्दर सभी आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे, जिन जनपदों में विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी स्थित हैं उनके छात्रवृत्ति नोडल अधिकारियों को भी बैठक में अनिवार्य रूप से बुलाया जायेगा।

(vi)- छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति की बैठक आवश्यकतानुसार आहूत कराना एवं कार्यवृत्त तैयार कर जारी कराना। निर्धारित समयावधि में यदि किसी शिक्षण संस्था द्वारा कार्यवाही पूर्ण नहीं की जाती है तो उसके विरुद्ध जिलाधिकारी के माध्यम से कठोर कार्यवाही कराने का उत्तरदायित्व जिला समाज कल्याण अधिकारी का ही होगा।

(vii)- जनपद स्तर पर जिला समाज कल्याण अधिकारी के साथ-साथ छात्रवृत्त योजना का कार्य देख रहे सम्बन्धित पटल सहायक के डिजिटल सिग्नेचर से संयुक्त रूप से मास्टर डाटा एवं अन्य डाटा को लांक करने आदि की कार्यवाही की जायेगी।

16 (4)-सम्बन्धित शिक्षा विभागों का दायित्व-

(i) आनलाइन डाटा अग्रसारण की मानीटरिंग हेतु जनपद में आयोजित बैठकों में शिक्षण संस्थाओं के प्राचार्य/प्रधानाचार्य के साथ उपस्थित रहकर कार्यवाही समयान्तर्गत सुनिश्चित कराना। शासन द्वारा निर्धारित समयावधि में यदि किसी शिक्षण संस्था द्वारा कार्यवाही पूर्ण नहीं की जाती है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति कराना।

(ii) शिक्षा अधिकारी द्वारा मास्टर डाटाबेस में शिक्षण संस्थाओं की मान्यता, बैधता तिथि, वर्गवार स्वीकृत सीटों की संख्या एवं उसके सापेक्ष प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं की वास्तविक संख्या आदि का सत्यापन कर डिजीटल सिग्नेचर से लाक किया जाना।

(iii) शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापनोपरान्त शिक्षण संस्था के विवरण की हार्डकापी निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत जिला समाज कल्याण अधिकारी को प्रेषित किया जायेगा।

(iv) शिक्षण संस्था द्वारा मिसिंग छात्रों के संबंध में आनलाइन अंकित किये गये कारणों के आधार पर संबंधित शिक्षण संस्थाओं की रेंडम जांच कराना तथा अनियमितता पाये जाने पर संबंधित शिक्षण संस्था की मान्यता निरस्त करने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कराना।

16 (5)-राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के दायित्व-

(i) शासन द्वारा निर्धारित प्राप्तुप एवं प्रक्रिया के अनुसार आनलाइन सफाटवेयर तैयार कराना।

(ii) शिक्षण संस्थाओं के उपयोगार्थ समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारियों को उनके लागिन के माध्यम से संस्थाओं के लिये लागिन आईडी0डी0 एवं पासवर्ड उपलब्ध कराने हेतु सुविधा प्रदान कराना।

(iii) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, राज्य इकाई, लखनऊ एवं निदेशालय, समाज कल्याण द्वारा पासवर्ड जिला समाज कल्याण अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे तथा डिजिटल सिग्नेचर रिसेट कराना।

(iv) एन0आई0सी0 द्वारा जिला समाज कल्याण अधिकारियों के माध्यम से जिला विद्यालय निरीक्षक को तथा निदेशालय के माध्यम से विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी को लागिन पासवर्ड प्राप्त कराना तथा डिजिटल सिग्नेचर रिसेट/सत्यापित कराना।

(v) राज्य स्तर पर स्फूरटनी में निदेशक, समाज कल्याण विभाग को आवश्यक सहयोग प्रदान कराना।

(vi) आनलाइन आवेदन भरने से लेकर धनराशि अन्तरण तक में आने वाली समस्त तकनीकी समस्याओं का निराकरण कराना।

(vii) आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त होने के 15 दिनों के अन्दर नवीनीकरण हेतु अहं छात्रों के सापेक्ष मिसिंग छात्रों की जानकारी स्कॉलरशिप पोर्टल पर आनलाइन प्रकाशित कराना।

16 (6)-विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी/परीक्षा नियंत्रक प्राधिकारी के उत्तरदायित्व-

(i) दशमोत्तर छात्रवृत्ति कार्य हेतु सभी विश्वविद्यालयों/एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा नामित नोडल अधिकारी, सम्बन्धित अधिकृत संस्था से डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त कर मास्टर डाटा को सत्यापित कर लाक करेंगे। डिजिटल सिग्नेचर बनाने वाली एजेंसी/कार्मिक का विस्तृत विवरण पत्रावली में सुरक्षित रखना होगा।

(ii) सभी विश्वविद्यालयों/एफिलियेटिंग एजेंसी एवं परीक्षा प्राधिकारियों द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत यथारीधि परीक्षाफल को छात्रवृत्ति की वेबसाइट पर अपलोड करते हुए डिजिटल सिग्नेचर से लाक किया जायेगा।

(iii) नोडल अधिकारी डिजीटल सिग्नेचर से मास्टर डाटा में संस्था से सम्बन्धित विवरण का सत्यापन कर डाटा लाक करेंगे।

(iv) विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्येक छात्र को पंजीकरण-क्रमांक-निर्गत-किया-जायेगा-तथा-नवीनीकरण-के प्रत्येक छात्र के लिये विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया पंजीकरण क्रमांक भरना अनिवार्य होगा।

(v) विश्वविद्यालय द्वारा अपनी तथा अपने से सम्बद्ध महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रम, का प्रकार (नियमित/स्वयंप्रित पोषित) स्वीकृत छात्र संख्या, निर्धारित फीस की आधिकारिक पुष्टि नामित अधिकारी द्वारा अपनें डिजीटल सिग्नेचर से किया जायेगा।

(vi) जिन महाविद्यालयों/शिक्षण संस्थाओं के विस्तृत अनियमितताओं के प्रमाणित होने पर उनको काली सूची में डालने की कार्यवाही की जाती है, ऐसे शिक्षण संस्थाओं की सम्बद्धता/मान्यता लिस्ट करने की कार्यवाही प्रत्येक विश्वविद्यालय/मान्यता प्रदाता संस्थान द्वारा एक निश्चित समय सीमा के अन्तर्गत पूर्ण की जायेगी।

17- जनपद स्तर पर अनुश्रवण।

(i) छात्रवृत्ति योजना के अनुश्रवण व पर्यवेक्षण किये जाने हेतु जनपद स्तर पर निम्नवत् समिति गठित की जाती है:-

(1) जिलाधिकारी-	अध्यक्ष
(2) नुच्छ विकास अधिकारी-	उपाध्यक्ष
(3) क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी-	सदस्य
(4) जनपद में स्थित राठो विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि, यदि कोई हो -	सदस्य
(5) जनपद में स्थित राठो ऐडिकल कालेज के प्राचार्य, यदि कोई हो -	सदस्य
(6) जनपद में स्थित राठो इंजीनियरिंग कालेज के प्राचार्य, यदि कोई हो -	सदस्य
(7) जनपद में स्थित किसी एक राजकीय पालीटेक्निक के प्राचार्य, यदि कोई हो-	सदस्य
(8) जिला विधालय निरीक्षक -	सदस्य
(9) जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (NIC)-	सदस्य
(10) जिला समाज कल्याण अधिकारी-	सदस्य/सचिव

(ii) उक्त समिति छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के मास्टर डाटा में संस्थाओं एवं पाठ्यक्रमों तथा उनके शुल्क संरचना व शुल्क निर्धारण का स्वयंवेक से सत्यापन करायेगी तथा व्यवसायिक, तकनीकी एवं चिकित्सा आदि के किसी भी पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेशित छात्रों का सम्बन्धित विश्वविद्यालय/कालेज में हुआ नामांकन तथा पाठ्यक्रम के प्रत्येक वर्ष में परीक्षा में शामिल परीक्षार्थियों की संख्या एवं परीक्षाफल आदि का सत्यापन करेगी। अध्यक्ष की अनुमति से समिति की बैठक तीन माह के निर्धारित अन्तराल पर की जायेगी तथा कृत कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट निदेशक, समाज कल्याण को उपलब्ध करायी जायेगी।

(iii) उक्त समिति निम्नलिखित मामलों में शत-प्रतिशत सत्यापन करायेगी-

क- पाठ्यक्रमवार कुल अनुमोदित सीटों के सापेक्ष किसी भी पाठ्यक्रम में 50 प्रतिशत से अधिक सामान्य वर्ग के छात्रों का प्रवेश लेने वाली निजी क्षेत्र की संस्थायें।

ख- जिन निजी क्षेत्र की संस्थाओं की विभिन्न पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत कुल शुल्क प्रतिपूर्ति की मांग एक करोड़ रुपये या उससे अधिक हो।

ग- उक्त के अतिरिक्त समिति स्वयंवेक से रेंडम आधार पर अथवा शिक्षायतें प्राप्त होने पर किसी भी शैक्षिक संस्था की जांच अथवा सत्यापन करा सकेगी।

(iv) छात्र/छात्राओं के बैंक खातों में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति धनराशि के अन्तरण उपरान्त प्रत्येक वित्तीय वर्ष में जिलाधिकारी द्वारा समस्त निजी शिक्षण संस्थाओं के प्रोफेशनल व नॉन प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत कम से कम 05 प्रतिशत छात्र/छात्राओं में धनराशि वितरण का भौतिक सत्यापन/जांच सुनिश्चित करायी जायेगी। छात्र/छात्राओं के रेण्डमली चयन हेतु राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, राज्य इकाई द्वारा छात्रवृत्ति प्रबन्धन प्रणाली साप्टवेयर में आवश्यक विकल्प उपलब्ध कराया जायेगा जिसके माध्यम से जांच हेतु जिलाधिकारी छात्र/छात्राओं, शिक्षण संस्थाओं की सूची रेण्डम विधि से जनरेट करेंगे तथा उक्त सूची में अंकित शिक्षण संस्थाओं के छात्र/छात्राओं का भौतिक सत्यापन करायेंगे और अनियमितता पाये जाने पर नियमावली के नियम-15 (ii) के अनुसार तत्काल प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

(v) छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की विद्यालयवार सूचित मांग एवं वितरित धनराशि के अभिलेखों/पंजिकाओं को पूर्ण कराने एवं अनुरक्षण करने, दुक कीपिंग व रिकार्ड कीपिंग, वितरित की गयी छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति का विवरण वेबसाइट पर अपलोड कराने तथा विभागीय/महालेखाकार द्वारा आडिट कराने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व जिला समाज कल्याण अधिकारी का होगा।

18- प्रदेश के बाहर दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्रों को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के वितरण की प्रक्रिया।

अन्य प्रान्तों में स्थित शासकीय तथा शासकीय सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त अशासकीय शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत उत्तर प्रदेश के मूल निवासी छात्रों को अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि की स्वीकृति एवं वितरण का कार्य निम्नलिखित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा:-


1- प्रदेश के बाहर अन्य प्रदेशों में दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत उत्तर प्रदेश के मूल निवासी छात्र/छात्राओं के लिये दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी उपरोक्तानुसार ही होगी।

2- छात्र/छात्रा द्वारा स्वयं आवेदन पत्र इन्टरनेट के माध्यम से आनलाइन विर्तीरित प्रारूप पर भरा जायेगा। छात्र/छात्रा द्वारा समस्त प्रयिष्ठियों को आनलाइन सही-सही भर कर उसका प्रिन्ट आउट लिया जायेगा। डाटा की शुद्धता का पूर्ण उत्तरदायित्व छात्र/छात्रा का होगा। आनलाइन प्रेषित आवेदन पत्र के प्रिन्ट आउट के साथ समस्त संलग्नकों सहित सम्बन्धित शिक्षण संस्था में विर्तीरित अन्तिम तिथि तक छात्र/छात्रा द्वारा जमा किया जायेगा जिसकी पावती विर्तीरित शिक्षण संस्थान द्वारा छात्र/छात्रा को प्रदान की जायेगी।

3- छात्र/छात्रा द्वारा भरे गये आनलाइन आवेदन पत्र में अंकित सूचना को अभिलेखों के आधार पर संस्था द्वारा आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसरित किया जायेगा तथा आनलाइन भरे गये आवेदन पत्र की हाई कार्ड पर संस्था प्रमुख द्वारा सत्यापित एवं संस्तुत करते हुए सत्यापन प्रमाण पत्र सहित सम्बन्धित संस्थान द्वारा छात्र/छात्रा के स्थायी निवास के जनपद के जिला समाज कल्याण अधिकारी को विर्तीरित अन्तिम तिथि तक उपलब्ध कराया जायेगा।

- 4- शिक्षण संस्थानों द्वारा आनलाइन संस्तुत एवं अग्रसारित डाटा को निदेशक समाज कल्याण उत्तर प्रदेश द्वारा एन.आई.सी. (स्टेट यूनिट) लखनऊ के माध्यम से शासन द्वारा निर्धारित तिथि तक विभिन्न परिक्षा नियन्त्रक संस्थाओं/विभागों यथा-यू.पी.टी.यू., ए.आई.सी.टी.ई., यू.जी.सी., एन.सी.टी.ई., एम.सी.आई. विश्वविद्यालयों एवं विभिन्न शिक्षा परिषदों तथा बोर्ड आफ टेक्निकल एज्यूकेशन एवं बोर्ड आफ रेवेन्यू आदि की वेबसाइट पर उपलब्ध डाटा से भिलान एवं समस्त जनपदों के छात्रों के डाटा को आपस में मिक्स कर दुप्लीकेट डाटा की छंटनी एवं परीक्षण करकर शुद्ध एवं संदेहस्पद डाटा पृथक-पृथक्, छात्र के मूल निवास जनपद की छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति को निर्णयार्थ जिला समाज कल्याण अधिकारी के लागिन पर उपलब्ध होगा।
- 5- जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा उकानुसार प्राप्त प्रत्येक छात्र/ छात्रा के विवरण को जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के समक्ष सम्बन्धित शिक्षण संस्थानों से प्राप्त छात्र/छात्राओं के आनलाइन आवेदन पत्र एवं संलग्नकों की हाई कापी के साथ प्रस्तुत कर स्वीकृति/अस्वीकृति प्राप्त किया जायेगा। जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की स्वीकृति से पूर्व छात्र/छात्रा के विवरण की हाई कापी से आवश्यक भिलान अपने स्तर से रेण्डमली करायेगी।
- 6- जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति से छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की स्वीकृति के उपरान्त जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से डाटा को आनलाइन संस्तुत एवं लॉक किये गये डाटा के आधार पर निदेशालय द्वारा एन.आई.सी.0 (स्टेट यूनिट) लखनऊ से विकसित आनलाइन साफ्प्लेयर द्वारा मांग जनरेट करायी जायेगी, जो निदेशालय के लागिन पर उपलब्ध हो जायेगी।
- 7- जिला समाज कल्याण अधिकारियों द्वारा आनलाइन संस्तुत एवं लॉक किये गये डाटा के आधार पर निदेशालय द्वारा एन.आई.सी.0 (स्टेट यूनिट) लखनऊ से विकसित आनलाइन साफ्प्लेयर द्वारा मांग जनरेट करायी जायेगी, जो निदेशालय के लागिन पर उपलब्ध हो जायेगी।
- 8- जिला समाज कल्याण अधिकारियों के लागिन पर उकानुसार उपलब्ध शुद्ध एवं जंक डाटा के अभ्यर्थियों की सूची एवं शिक्षण संस्थान से प्राप्त अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों की हाईकापी संलग्नकों सहित जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के समक्ष जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत करते हुए छात्रों की सूची की हाईकापी एवं नोटशीट पर स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
- 9- तदोपरान्त बजट की उपलब्धता के अनुसार छात्रवृत्ति की धनराशि निदेशालय के वित्त नियन्त्रक द्वारा कोषागार से PFMS (Public Financial Management System) प्रणाली के माध्यम से निर्धारित प्रक्रियानुसार छात्र/ छात्रा के आधार सीडेड बैंक खाते में सीधे अन्तरित की जायेगी, जिसका उत्तरदायित्व वित्त नियंत्रक, नोडल अधिकारी (दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना) का होगा।
- 10- छात्र/छात्राओं के बचत बैंक खातों में धनराशि अन्तरण में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो उसका निराकरण निदेशक द्वारा किया जायेगा।
- 11- अन्य प्रदेशों में अध्ययनरत नवीनीकरण वाले एवं नये छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि वितरण हेतु चयन की प्रक्रिया, वरीयता क्रम क्रिएरण, PFMS प्रणाली से धनराशि के अन्तरण की प्रक्रिया, फैल्ड ट्रांजक्शन एवं अवितरित धनराशि के रिसीट हेड में जमा करने के नियम व प्रक्रिया आदि प्रदेश में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं हेतु निर्धारित वित्त व प्रक्रिया के अनुसार ही रहेगी।
- 19- नोट-1 सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष में विधान मण्डल द्वारा आय-व्ययक प्राविधानित धनराशि की सीमा तक नियमावली के प्राविधानों/शर्तों को पूर्ण करने वाले पात्र छात्रों को विहित वरीयता क्षेत्री नियम-11 के आधार पर लाभान्वित किया जायेगा। योजनान्तर्गत धनराशि समाप्त होने पर यदि पात्र छात्र की देयता लम्बित रहती है तो वह देयता अगले वित्तीय वर्ष अग्रीनीत नहीं की जायेगी।
- नोट-2:- वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए पुनर्विनियोग के माध्यम से अथवा राज्य के सीमित वित्तीय संसाधन के अन्तर्गत अनुप्रक्रम मांग के माध्यम से अतिरिक्त प्राविधान कराया जा सकता है।
- (क)- निदेशालय समाज कल्याण/ राज्य स्तर पर छात्रों की शिकायतों पर सुनवाई हेतु योजनाधिकारी, छात्रवृत्ति, मुख्यालय (संयुक्त निदेशक अथवा उप निदेशक स्तर का अधिकारी) को स्टेट ग्रेवान्स रिडेसल आफीसर नामित किया जाता है।
- (ख)- मण्डल स्तर पर छात्रों की शिकायतों पर सुनवाई हेतु मण्डलीय उप निदेशक को मण्डलीय ग्रेवान्स रिडेसल आफीसर नामित किया जाता है।
- (ग)- जनपद स्तर पर छात्रों की शिकायतों पर सुनवाई हेतु जिला समाज कल्याण अधिकारी को जनपदीय ग्रेवान्स रिडेसल आफीसर नामित किया जाता है।
- 20- संशोधन का अधिकार-
- इस नियमावली के प्राविधानों में यथावश्यक संशोधन करने एवं किसी भी कठिनाई का निवारण करने की शक्ति मा0 मुख्यमंत्री जी में निहित होगी।
- 21- न्यायालय परिक्षेत्र-
- किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालय परिक्षेत्र मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश होगा।

कृपया तद्दुसार कड़ाई से अनुपाल सुनिश्चित किया जाय।


डा० हरजीत
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि लिम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, ३०प्र० शासन।
- 2- निजी सचिव, मा० राज्य मंत्री (स्व०प्र०) समाज कल्याण विभाग, ३०प्र० शासन।
- 3- निजी सचिव, मा० राज्य मंत्री, समाज कल्याण विभाग, ३०प्र० शासन।
- 4- प्रमुख सचिव, वित्त/नियोजन/न्याय/उच्च शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/व्यावसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा/कृषि शिक्षा/वेसिक शिक्षा विभाग, ३०प्र० शासन।
- 5- महालेखाकार, ३०प्र० इलाहाबाद।
- 6- राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, ३०प्र० लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि इसकी प्रतियां समस्त जिलाधिकारी एवं मण्डलायुक्त को ई-मेल के माध्यम से भेजे तथा समाज कल्याण विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करें।
- 7- निदेशक, समाज कल्याण विभाग, लखनऊ ३०प्र०।
- 8- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 9- समस्त मण्डलीय संयुक्त/उप निदेशक, समाज कल्याण विभाग, ३०प्र०।
- 10- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, ३०प्र०।
- 11- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-४, ३०प्र० शासन।
- 12- गार्ड फाईल।

आज्ञा से
राज कुमार झा

(राज कुमार झा)
अनु सचिव।

**सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना न्तर्गत
शैक्षणिक भत्ते की दरें**

समूह	पाठ्यक्रम	हास्टलर (वार्षिक)	डे-स्कालर (वार्षिक)
I	एम0फिल0, पी0एच0डी0, बी0टेक0, एम0बी0बी0एस0 आदि डिग्री मास्टर डिग्री स्तर के पाठ्यक्रम	13500	7000
II	एम0ए0, एम0एस0सी0, एम0काम0, फार्मेसी नर्सिंग आदि डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट	9500	6500
III	बी0ए0, बी0एस0सी0, बी0काम0 तथा स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम जो समूह-1 व 2 में न हों आदि	6000	3000
IV	कक्षा 11-12, आई0टी0आई0, समस्त नान स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम जिनमें न्यूनतम प्रवेश योग्यता हाईस्कूल हो आदि	4000	2500

रामधाम

आधार बेस्ड बायोमैट्रिक अटेंडेंस लागू किये जाने हेतु दो चरणों का विवरण

प्रथम चरण (वित्तीय वर्ष 2023-24)

- डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय, लखनऊ से सम्बद्ध संस्थान।
- स्टेट मेडिकल फैकल्टी से सम्बद्ध संस्थान।
- उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसन बोर्ड से सम्बद्ध संस्थान।
- उत्तर प्रदेश आयुर्वेद योगा, यूनानी, तिब्बी बोर्ड से सम्बद्ध संस्थान।
- समस्त राज्य विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध बी०ए० पाठ्यक्रम वाले संस्थान।
- समस्त निजी विश्वविद्यालय।

द्वितीय चरण (वित्तीय वर्ष 2024-25)

- राज्य/केन्द्रीय विश्वविद्यालय के कैप्पस व सम्बद्ध संस्थान।
- परीक्षा नियामक प्राधिकारी से सम्बद्ध संस्थान।
- प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध संस्थान।
- समस्त राजकीय आटोनॉमस विश्वविद्यालय/शिक्षण संस्थान।
- समस्त डीम्ड विश्वविद्यालय।
- शेष अन्य शिक्षण संस्थान।

रामेश्वर

2549882/2023/-1

2392/6205/0-3 2023

उत्तर-प्रदेश शासन

समाज कल्याण अनुभाग-3

संख्या-77/2023/2623/26-3-2023-C.N.-1640159

लखनऊ: दिनांक २७ सितम्बर, 2023

कार्यालय जाप

प्रदेश में पूर्वदशम कक्षाओं में अनुसूचित जाति व अन्य छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति की

संख्या-652/सुर्वधनीप्रदानार्थक्रमे २०१५ सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-49/2016/आर0-910/26-3-2016-

S.P.C.(A/P) 4(31)/2015 दिनांक 16.03.2016 द्वारा उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति

पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना नियमावली जारी की गयी थी। अनुसूचित जाति पूर्वदशम छात्रवृत्ति

योजना अन्तर्गत भारत सरकार की गाईडलाइन में अस्वच्छ पेशे में लगे व्यक्तियों के बच्चों को

छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने हेतु समाहित किया गया है, जिसके क्रम में प्रश्नगत योजनान्तर्गत इस

योजना/अन्य करिपय संशोधनों को सम्मिलित करते हुए नियमावली संशोधित की गयी है।

निदेशक, समाज कल्याण के पत्र संख्या-2380/स0क0/शिक्षा-अ/3/386-1/2023-24 दिनांक 09.08.2023 के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निम्नानुसार उत्तर प्रदेश अनुसूचित

जाति व अन्य पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना नियमावली (प्रथम संशोधन)-2023 निर्गत की जाती

है:-

U.S.(A/P) क्रमांकउत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति व अन्य हेतु पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना (प्रथम संशोधन) नियमावली-2023

क्र.सं. शीर्षक

(संस्कृत कुमार श्रीयास्त्रपति)

नियम नाम

संस्कृत

विषयालय

प्रधान विषयालय

उत्तर प्रदेश राज्यपाल

उत्तर प्रदेश राज्यपाल

कहलायेगी।

नियम

०४/१०/२३

०५

०६

०७

०८

०९

१०

११

१२

१३

१४

१५

१६

१७

१८

१९

२०

२१

२२

२३

२४

२५

२६

२७

२८

२९

३०

३१

३२

३३

३४

३५

३६

३७

३८

३९

४०

४१

४२

४३

४४

४५

४६

४७

४८

४९

५०

५१

५२

५३

५४

५५

५६

५७

५८

५९

६०

६१

६२

६३

६४

६५

६६

६७

६८

६९

७०

७१

७२

७३

७४

७५

७६

७७

७८

७९

८०

८१

८२

८३

८४

८५

८६

८७

८८

८९

९०

९१

९२

९३

९४

९५

९६

९७

९८

९९

१००

१०१

१०२

१०३

१०४

१०५

१०६

१०७

१०८

१०९

११०

१११

११२

११३

११४

११५

११६

११७

११८

११९

१२०

१२१

१२२

१२३

१२४

१२५

१२६

१२७

१२८

१२९

१३०

१३१

१३२

१३३

१३४

१३५

१३६

१३७

१३८

१३९

१४०

१४१

१४२

१४३

१४४

१४५

१४६

१४७

१४८

१४९

१५०

१५१

१५२

१५३

१५४

१५५

१५६

१५७

१५८

१५९

१६०

१६१

१६२

१६३

१६४

१६५

१६६

१६७

१६८

१६९

१७०

१७१

१७२

१७३

१७४

१७५

१७६

१७७

१७८

१७९

१८०

१८१

१८२

१८३

१८४

१८५

१८६

१८७

१८८

१८९

१९०

१९१

१९२

१९३

१९४

१९५

१९६

१९७

१९८

१९९

१२०

१२१

१२२

१२३

१२४

१२५

१२६

१२७

१२८

१२९

१२३

१२४

१२५

१२६

१२७

१२८

१२९

१२३

१२४

१२५

१२६

१२७

१२८

१२९

१२३

१२४

१२५

१२६

१२७

१२८

१२९

१२३

१२४

१२५

१२६

१२७

१२८

१२९

१२३

१२४

१२५

१२६

१२७

१२८

१२९

१२३

१२४

१२५

१२६

१२७

१२८

१२९

१२३

१२४

१२५

१२६

१२७

१२८

१२९

१२३

(1) Persons who are Manual Scavengers as defined under Section 2(l) (g) of Manual Scavengers Act 2013

(2) Tanner & Flayers;

(3) Waste pickers and

(4) Persons engaged in hazardous cleaning as defined in Section 2 (l) (d) of Manual Scavengers Act 2013

(iii) छात्रों द्वारा अपने माता-पिता/अभिभावक का अस्वच्छ पेशे में कार्य करने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा। यह प्रमाण-पत्र स्थानीय निकाय, नगर निगम, नगर पालिका या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत प्राधिकारी द्वारा निर्गत हो।

3- प्रसार/ विस्तार

इस नियमावली से सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में पढ़ने वाले वे छात्र/छात्राएं आच्छादित होंगे, जो उत्तर प्रदेश के स्थायी/मूल निवासी हों।

4- प्रारम्भ होने की तिथि

इस नियमावली के प्राविधान माह अप्रैल 2023 से प्रारम्भ होने वाले शिक्षण सत्र से लागू होंगे।

5- परिभाषा

(i) केन्द्र सरकार

"केन्द्र सरकार" का तात्पर्य भारत सरकार से है।

(ii) राज्य सरकार

"राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है।

(iii) निदेशालय

"निदेशालय" का तात्पर्य समाज कल्याण निदेशालय उत्तर प्रदेश से है।

(iv) निदेशक

"निदेशक" का तात्पर्य निदेशक समाज कल्याण निदेशालय से है।

(v) अभ्यर्थी

"अभ्यर्थी" का तात्पर्य किसी ऐसे विद्यार्थी से है जो उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो तथा केन्द्र अथवा उत्तर प्रदेश के राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त वैध U-DISE Code रखने वाले शिक्षण संस्था में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के विद्यार्थी, जो कक्षा 9 या 10 में तथा अस्वच्छ पेशे में लगे व्यक्तियों के आश्रित अभ्यर्थी, जो कक्षा-9 व 10 में संस्थागत विद्यार्थी के रूप में शिक्षा ग्रहण कर रहा हो।

(vi) शिक्षण संस्था

"शिक्षण संस्था" का तात्पर्य विधि द्वारा स्थापित अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त वैध U-DISE Code रखने वाले संस्थान से है।

(vii) अनुसूचित जाति

"अनुसूचित जाति" का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद-341 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारत के राष्ट्रपति द्वारा उत्तर प्रदेश के लिए जारी अनुसूचित जातियों की अधिसूचना में अंकित जातियों से है।

(viii) शैक्षणिक सत्र

शैक्षणिक सत्र का तात्पर्य प्रत्येक वर्ष 01 अप्रैल से प्रारम्भ होकर अगले वर्ष 31 मार्च तक के शिक्षण सत्र से है।

(ix) छात्रवृत्ति का मूल्य

(i) कम्पोनेन्ट-1 के अन्तर्गत कक्षा 9 व 10 में निम्नलिखित वार्षिक छात्रवृत्ति देय होगी:-

(क) ₹0 3500/- वार्षिक (दिवा छात्र)

(ख) ₹0 7000/- वार्षिक (आवासीय छात्र)

(ii) कम्पोनेन्ट-2 के अन्तर्गत कक्षा-9 व 10 में निम्नलिखित वार्षिक छात्रवृत्ति देय होगी:-

- (क) ₹0 3500/- वार्षिक (दिवा छात्र)
- (ख) ₹0 8000/- वार्षिक (आवासीय छात्र)

(iii) प्रत्येक पात्र दिव्यांग छात्र को 10 प्रतिशत समेकित शैक्षणिक भत्ते का 10 प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता दिया जाएगा।

(x) अभिलेखों का एकत्रीकरण एवं संरक्षीकरण

किसी भी जनपद में संचालित राजकीय संस्थानों, शासकीय सहायता प्राप्त संस्थानों, तथा निजी क्षेत्र के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के अभिलेखों का एकत्रीकरण एवं संरक्षीकरण जनपद स्तर पर जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा व भण्डल स्तर पर उपनिदेशक, समाज कल्याण द्वारा किया जायेगा।

6- अहता

छात्रवृत्ति हेतु अनुसूचित जाति अभ्यर्थी व अस्वच्छ पेशे में लगे व्यक्तियों के आश्रित अभ्यर्थी निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन पात्र होंगे।

(i) 30प्र० राज्य के मूल निवासी अनुसूचित जाति अभ्यर्थी व अस्वच्छ पेशे में लगे व्यक्तियों के आश्रित अभ्यर्थी, जो केन्द्र अथवा 30प्र० राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त वैध U-DISE Code रखने वाले विधालय/ शिक्षण संस्थान में संस्थागत छात्र के रूप में अध्ययनरत हों।

(ii) (क) कम्पोनेन्ट-1 से सम्बन्धित अभ्यर्थी, जिनके माता-पिता अथवा अभिभावकों की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रूपये 2.50 लाख से अधिक न हो।

(ख) कम्पोनेन्ट-2 के अन्तर्गत सभी आय वर्ग के माता-पिता/अभिभावक के अभ्यर्थी छात्रवृत्ति हेतु पात्र होंगे।

(iii) एक ही माता-पिता अथवा संरक्षक के सभी बच्चे योजना का लाभ प्राप्त करने के हकदार होंगे।

(iv) इस योजना के अधीन छात्रवृत्ति पाने वाला कोई भी छात्र अन्य छात्रवृत्ति या वजीफा नहीं लेगा। यदि कोई अन्य छात्रवृत्ति या वजीफा प्रदान किया गया हो तो छात्र दोनों में से किसी एक के लिए जो भी उसके लिए अधिक लाभप्रद हो, अपना विकल्प दे सकता है और दिये गये विकल्प के बारे में सूचना संस्था प्रमुख के माध्यम से जिला समाज कल्याण अधिकारी को देनी चाहिए। छात्र/छात्रा को उस तारीख से, जिससे वह दूसरी छात्रवृत्ति या वजीफा स्वीकार करता/ करती है, इस योजना के अधीन छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जायेगा तथापि छात्र राज्य सरकार से या किसी अन्य स्रोत से पुस्तकें, उपकरण खरीदने या आवास तथा भोजन व्यवस्था पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए इस योजना के अधीन भुगतान की गयी छात्रवृत्ति की रकम के अतिरिक्त निःशुल्क भोजन या अनुदान या तदर्थ आर्थिक सहायता स्वीकार कर सकता है।

(v) जब तक माता पिता में से कोई एक जीवित है, तब तक माता-पिता/अभिभावक जैसी भी स्थिति हो, की सभी स्रोतों से प्राप्त आय को ही लिया जायेगा, न कि अन्य सदस्यों की आय को, चाहे वह कमाने वाले ही क्यों न हों। आय घोषणा प्रपत्र में इसी आधार पर आय की घोषणा करना अपेक्षित है। केवल उस मामले में जब माता-पिता दोनों की मृत्यु हो जाती है तो उस संरक्षक की आय को लेना होगा, जो विद्यार्थी की पढ़ाई में सहायता कर रहा है। ऐसे छात्र जिनके माता-पिता की आय दुर्भाग्यवश किसी एक की मृत्यु के कारण प्रभावित होती है और इस प्रकार इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित आय-सीमा में आ जाती है तो ऐसी दुःखद घटना होने वाले महीने से वह छात्रवृत्ति का पात्र बन जायेगा, बशर्ते वह छात्रवृत्ति की अन्य शर्तें पूरी करता हो, ऐसे छात्रों से छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन पर अनुकम्पा के आधार पर, आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को समाप्त होने के पश्चात भी विचार किया जा सकता है।

(vi) ऐसे छात्र/छात्राएं, जिनके माता-पिता जीवित नहीं हैं, जिन्हें किसी संस्था या संभान्त व्यक्ति द्वारा अपनी संरक्षता में शिक्षा प्रदान करने हेतु एडाप्ट कर लिया गया है, वे योजनान्तर्गत पात्र होंगे तथा उनके संदर्भ में संस्था, प्रबन्धन या संभान्त व्यक्ति की आय उनको पात्रता निर्धारण के लिये आधार नहीं समझी जायेगी।

- (vii) -01-जुलाई को अभ्यर्थी की आयु 12 वर्ष से कम तथा 20 वर्ष से अधिक होने पर अभ्यर्थी छात्रवृत्ति हेतु अपात्र होगा।
- 7- मूल निवास का अनुमन्य साक्ष्य
तहसील स्तर से जारी आय एवं जाति प्रमाण पत्र में अंकित निवास विवरण के आधार पर छात्र को छात्रवृत्ति अनुमन्य की जाये।
- 8- माता-पिता/अभिभावकों की आय के संबंध में अनुमन्य साक्ष्य-
माता-पिता अथवा अभिभावकों की आय के सम्बन्ध में निम्नलिखित साक्ष्य अनुमन्य होंगे:-
(i) अभ्यर्थी के माता-पिता या पति या संरक्षक, जैसा भी लागू हो, की समस्त स्रोतों से प्राप्त वार्षिक आय के सम्बन्ध में उपजिलाधिकारी/तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण-पत्र, जो राजस्व परिषद की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध हो।
(ii) अभ्यर्थी के माता-पिता या पति या संरक्षक, जैसा भी लागू हो, द्वारा लिये जाने वाले मकान किराये भत्ते को "आय" में शामिल नहीं किया जायेगा, यदि इसे आयकर के प्रयोजन के लिए छूट की अनुमति दी गयी हो।
(iii) आय प्रमाण-पत्र केवल एक बार अर्थात् कक्षा 9 में दाखिले के समय ही लिया जायेगा अर्थात् कक्षा 10 में पुनः आय-प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं होगी, परन्तु यदि कक्षा 10 में किसी अन्य विद्यालय में पूर्य विद्यालय से ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेने के उपरांत नया प्रवेश लिया जाता है, तो पुनः आय प्रमाण-पत्र देना होगा।
- 9- मास्टर डाटाबेस व शिक्षण संस्थाओं का कोर्स मास्टर में पंजीकरण-
(i) प्रदेश की समस्त शासकीय, शासकीय सहायता प्राप्त एवं अन्य मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों को स्वयं विद्यालय से सम्बन्धित समस्त आवश्यक विवरण यथा-विद्यालय का नाम, माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त करने की तिथि और वैधता सीमा, वर्गवार सक्षम स्तर से स्वीकृत सीटों की संख्या तथा विद्यालय का UDISE Code आदि निर्धारित प्रारूप पर आनलाइन भरकर "मास्टर डाटाबेस" में प्रत्येक वर्ष जारी समय सारिणी में निर्धारित अवधि में सम्मिलित होना होगा। मास्टर डाटाबेस में निर्धारित तिथि तक शामिल होने वाले विद्यालय में अध्ययनरत छात्र/छात्रा ही छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन करने के पात्र होंगे। मास्टर डाटाबेस में आनलाइन शुद्ध डाटा भरने का पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित शिक्षण संस्थान का होगा।
(ii) उक्त मास्टर डाटाबेस में प्रत्येक वर्ष केवल ऐसे शिक्षण संस्थान शामिल हो सकेंगे जिनकी मान्यता एवं सम्बद्धता, 31 मार्च तक सक्षम स्तर से प्राप्त हो चुकी हो। 31 मार्च के पश्चात मान्यता प्राप्त करने वाले शिक्षण संस्थानों को आगामी वित्तीय वर्ष में मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित होना होगा तथा उनके छात्रों को आगामी वित्तीय वर्ष के शैक्षिक सत्र से ही छात्रवृत्ति अनुमन्य होगी।
(iii) मास्टर डाटाबेस में प्रदेश में स्थित शिक्षण संस्थानों एवं उसमें वर्गवार स्वीकृत सीटों की संख्या आदि का विवरण सम्बन्धित शिक्षण संस्थानों द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन0आई0सी0) स्तर से उपलब्ध कराये गये साफ्टवेयर पर स्वयं आनलाइन निर्धारित तिथि तक भरा जायेगा। मास्टर डाटाबेस में आनलाइन शुद्ध डाटा भरने का पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित शिक्षण संस्थान का होगा।
(iv) मास्टर डाटाबेस में उल्लिखित जनपद के अन्दर स्थित विद्यालयों, उनमें वर्गवार स्वीकृत सीटों की संख्या आदि विवरण का सत्यापन जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा किया जायेगा तथा तदुपरांत अपने डिजीटल सिग्नेचर से मास्टर बेस में विद्यालय के डाटा को लोक किया जायेगा।
- 10- छात्र को छात्रवृत्ति के भुगतान हेतु शिक्षण संस्थाओं की वरीयता क्रम का निर्धारण-
(i) छात्रवृत्ति हेतु अर्ह छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति की धनराशि का भुगतान एकमुश्त किया जायेगा।
(ii) सीमित वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए विद्यालयों में अध्ययनरत कम्पोनेन्ट-1 व 2 से आच्छादित छात्रों को नवीनीकरण एवं तदोपरांत नये छात्रों को छात्रवृत्ति की धनराशि विन्मानित वरीयता क्रम में बजट की

उपलब्धता की सीमा तक पी0एफ0एम0एस0 के तहत सिंगल नोडल एकाउन्ट से आधार पेमेन्ट ब्रिज के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा 40 प्रतिशत राज्यांश की धनराशि तथा भारत सरकार द्वारा 60 प्रतिशत केन्द्रांश की धनराशि सीधे छात्र के आधार सीडेड बचत बैंक खाते में अन्तरित करके की जायेगी।

(क) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के विभागों/ निकायों द्वारा संचालित राजकीय शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/छात्रायें।

(ख) शासकीय सहायता प्राप्त निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/छात्रायें।

(ग) निजी क्षेत्र के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/छात्रायें।

(iii) उपरोक्त वरीयता क्रम के अन्दर पात्र छात्र/छात्राओं की आन्तरिक वरीयता निम्नलिखित क्रम में तैयार की जायेगी:-

1- छात्रों के द्वारा विगत वर्ष वार्षिक परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर अवरोही क्रम में राज्य को एक इकाई मानते हुए वरीयता सूची तैयार की जायेगी।

2- समान प्राप्तांक प्रतिशत होने पर छात्र/छात्राओं की आयु को वरीयता दी जायेगी जिसमें सबसे अधिक आयु के छात्र/छात्राओं को सबसे पहले दिया जायेगा। तत्पश्चात छात्र/छात्रा की आयु के घटते हुए क्रम (अवरोही क्रम) में वितरण किया जायेगा।

3- इसके पश्चात भी यदि कई अभ्यर्थी की प्राप्तांक प्रतिशत एवं आयु एक समान होती है तो छात्र/छात्रा के नाम के अल्फाबेटिक क्रम में (A to Z) छात्रवृत्ति की धनराशि का वितरण किया जायेगा।

4- छात्र/छात्राओं की प्राप्तांक प्रतिशत, आयु एवं अल्फाबेटिक क्रम एक समान होने की दशा में प्रथम आगत प्रथम निर्गत के आधार पर छात्रवृत्ति की धनराशि का वितरण कियां जायेगा। प्रथम आगत का निर्धारण छात्र/छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन फार्म भरने की तिथि व समय से लिया जायेगा।

(iv) (क) कम्पोनेन्ट-1 के अन्तर्गत सर्वप्रथम कक्षा-9 में वितरित की गयी छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों का कक्षा 10 में निर्धारित शर्तों एवं प्रक्रिया के अनुसार छात्रवृत्ति नवीनीकृत की जायेगी। नवीनीकरण के पश्चात अवशेष धनराशि ही कक्षा 9 के नये अभ्यर्थियों को उपरोक्त वरीयता क्रम में वितरित की जायेगी।

(ख) कम्पोनेन्ट-2 के अन्तर्गत कक्षा-9 में नवीन आवेदन पत्र व उसके उपरांत कक्षा-10 तक नवीनीकरण का आवेदन किया जायेगा।

(v) प्रत्येक शैक्षणिक सत्र की देनदारियां उसी वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर समाप्त मानी जायेंगी एवं अग्रेणीत नहीं होंगी।

(vi) भारत सरकार/राज्य सरकार की किसी अन्य योजना से छात्रवृत्ति पाने वाले छात्र/छात्राओं को इस योजना के तहत लाभ नहीं मिलेगा।

11- छात्रवृत्ति स्वीकृति एवं वितरण की प्रक्रिया-

(i) इस योजना में अहं छात्रों को राज्य सरकार द्वारा बजट सीमा के अन्तर्गत छात्रवृत्ति की धनराशि नियमानुसार छात्र/छात्राओं के आधार सीडेड एवं मैप्ड बचत बैंक खाते में राज्य मुख्यालय स्थित बैंक/कोषागार से सिंगल नोडल एकाउन्ट (SNA) के तहत PFMS (Public Financial Management System) से निर्धारित प्रक्रियानुसार किया जायेगा। छात्रवृत्ति की धनराशि आधार पेमेन्ट ब्रिज प्रणाली के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा 40 प्रतिशत राज्यांश की धनराशि तथा भारत सरकार द्वारा 60 प्रतिशत केन्द्रांश की धनराशि सीधे छात्र के आधार सीडेड बचत बैंक खाते में अन्तरित करके की जायेगी।

(ii) कम्पोनेन्ट-1 या 2 से सम्बन्धित छात्रवृत्ति योजना में छात्रवृत्ति हेतु नये पात्र छात्र/छात्राओं एवं नवीनीकरण के छात्रों को आनलाइन आवेदन करना होगा। विगत वर्ष में आनलाइन आवेदन करने वाले छात्र/छात्राओं को नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र में सम्पूर्ण विवरण भरने के स्थान पर छात्रवृत्ति हेतु केवल प्रवेश तिथि व कक्षा-9

का परीक्षाफल ही निर्धारित प्रारूप पर आनलाइन अंकित कर फाइल प्रिन्ट लेना होगा। छात्र/छात्राओं को समस्त प्रविष्टियों आनलाइन सही-सही भरकर उसका प्रिन्टआउट लेकर समस्त आवश्यक अभिलेख तथा घोषणा पत्र के साथ शिक्षण संस्थान में निर्धारित अन्तिम तिथि के अन्दर अनिवार्य रूप से जमा करना होगा जिसकी पायती शिक्षण संस्थान द्वारा अभ्यर्थी को प्रदान की जायेगी। आवेदन में सही-सही सूचनाएं भरने का उत्तरदायित्व छात्र/संस्था का होगा।

(iii) अभ्यर्थी के आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रमाण पत्रों का मिलान शिक्षण संस्थान स्तर पर गठित समिति द्वारा किया जायेगा, जिसके लिये शिक्षण संस्थान पूरी तरह से उत्तरदायी होगी। आवेदन-पत्र के साथ संलग्न अभिलेखों का मिलान किये जाने के उपरान्त सही एवं अर्ह पाये गये आवेदन-पत्रों की संस्तुति संस्था स्तर पर गठित निम्न समिति द्वारा की जायेगी।

1-संस्था के प्रधानाचार्य- अध्यक्ष

2-संस्था के वरिष्ठतम् प्राध्यापक- सदस्य

3-संस्था के वरिष्ठतम् अनु०जाति के प्राध्यापक- सदस्य

अथवा

संस्था के वरिष्ठतम् अन्य पिछड़ा वर्ग के प्राध्यापक (अनु०जाति का कोई भी प्राध्यापक उपलब्ध न होने की दशा में)

अथवा

उस संस्था का जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा नामित सामान्य श्रेणी का कोई प्राध्यापक (अनु० जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का कोई भी प्राध्यापक न होने की दशा में)

(iv) उपरोक्त समिति द्वारा संस्तुत छात्रों का विवरण आनलाइन सत्यापित करने का उत्तरदायित्व संबंधित संस्था का ही होगा। छात्र द्वारा जमा समस्त संलग्नकों सहित आनलाइन फीडेड आवेदन पत्र के प्रिन्टआउट को संस्थान द्वारा सत्यापन प्रमाण-पत्र सहित जिला समाज कल्याण अधिकारी को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध करायी जायेगी। जिन छात्र/छात्राओं का डाटा ब्रुटिपूर्ण, गलत या अपूर्ण पाया जाता है, ऐसे छात्र/छात्राओं की संस्था द्वारा समुचित कारण दर्शाते हुए छात्रवृत्ति हेतु संस्तुति नहीं की जायेगी एवं अपने स्तर से 'रिजेक्ट' कर दिया जायेगा।

(v) शिक्षा विभाग के सम्बन्धित अधिकारी द्वारा शिक्षण संस्था की मान्यता, वैधता एवं वर्गवार अनुमन्य सीटों के सापेक्ष संस्था स्तर से अग्रसरित आवेदकों की संख्या आदि का परीक्षण कर आनलाइन सत्यापन एवं डिजीटल हस्ताक्षर से लोक किया जायेगा।

(vi) तदुपरांत निदेशक, समाज कल्याण द्वारा निर्धारित तिथि तक आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्रों एवं आय प्रमाण-पत्र में अंकित धनराशि तथा आय प्रमाण-पत्र धारक के नाम आदि का मिलान बोर्ड आफ रेवन्यू ३०प्र० की वेबसाइट पर उपलब्ध डाटा से राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, राज्य इकाई, लखनऊ के सहयोग से कराया जायेगा। इसी प्रकार आवेदक के जाति प्रमाण-पत्र में अंकित जाति एवं निवास प्रमाण-पत्र में अंकित निवास तथा उनके धारक के नाम का भी मिलान राजस्व परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध डाटा से किया जायेगा। छात्र/छात्रा के बोर्ड के पंजीयन क्रमांक आदि का मिलान माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध डाटा से किया जाएगा। समस्त जनपदों के छात्रों के डाटा में से 'डुप्लीकेट डाटा' की छटनी कराकर तथा अन्य आवश्यक बिन्दुओं पर परीक्षण कराकर शुद्ध एवं सन्देहास्पद डाटा सम्बन्धित जनपदों की छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति को निर्णयार्थ उपलब्ध कराया जायेगा।

(vii) जनपद स्तर पर कम्पोनेन्ट-१ व २ से आच्छादित छात्रों के छात्रवृत्ति की स्वीकृति हेतु निम्न समिति गठित की जाती है:-

- 1-जिलाधिकारी -अध्यक्ष
- 2-मुख्य विकास अधिकारी/अपर जिलाधिकारी - उपाध्यक्ष
- 3-मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी -सदस्य
- 4-जिला सूचना विज्ञान अधिकारी-तकनीकी सदस्य
- 5-जिला विद्यालय निरीक्षक -सदस्य
- 6-जिला समाज कल्याण अधिकारी -सदस्य सचिव

यह समिति जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति कही जायेगी, जो इस नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत जनपद स्तर पर छात्रवृत्ति की स्वीकृति प्रदान करेगी।

(viii) प्रत्येक छात्र के संबंध में आवेदन पत्र की प्रति संबंधित शिक्षण संस्था के कार्यालय में 05 वर्ष तक सुरक्षित रखी जायेगी।

(ix) जिला समाज कल्याण अधिकारियों द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक से सत्यापित एवं अग्रसारित शिक्षण संस्थानों वाले छात्रों के डाटा की तथा निदेशक, समाज कल्याण, ३०प्र० लखनऊ से परीक्षणोपरान्त प्राप्त छात्रों के विवरण की सूची हार्डकापी में जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के समक्ष प्रस्तुत कर स्वीकृति प्राप्त की जायेगी। इसके लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जायेगी-

1- जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा शिक्षण संस्थानों के छात्रवृत्ति से संबंधित डाटा को अपने डिजिटल सिग्नेचर से आनलाइन संस्तुत एवं अग्रसारित करेंगे। जिला विद्यालय निरीक्षक की संस्तुति के उपरान्त निदेशक, समाज कल्याण ३०प्र० द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, राज्य इकाई, लखनऊ के सहयोग से निर्धारित तिथि तक पी०एफ०एम०एस० साफ्टवेयर के माध्यम से आधार सीडिंग स्टेटस/रिस्पांस प्राप्त किया जायेगा साथ ही साथ सम्बन्धित शिक्षा परिषदों एवं बोर्ड आफ रेवन्यू आदि की वेबसाइट पर उपलब्ध डाटा से मिलान एवं डुप्लीकेट डाटा की छटनी व परीक्षण कराया जायेगा। तदोपरान्त परीक्षण में संदेहास्पद पाये गये तथा पी०एफ०एम०एस० साफ्टवेयर से रिजेक्ट किये गये डाटा को छात्र के बैंक नाम के साथ जिला समाज कल्याण अधिकारी के लॉगिन पर प्रदर्शित कराया जायेगा तथा साथ ही पी०एफ०एम०एस० से स्वीकृत डाटा को भी छात्र के बैंक नाम के साथ जिला समाज कल्याण अधिकारी के लॉगिन पर उपलब्ध कराया जायेगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी/जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति उपरोक्त स्वीकृत डाटा में से 05 प्रतिशत डाटा की रेण्डम चेकिंग (राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, राज्य इकाई, लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराये गये साफ्टवेयर से) विशेष टीम के माध्यम से कराकर जांच आख्या के अनुसार कार्यवाही पूर्ण की जायेगी। संदेहास्पद डाटा में से शुद्ध पाये गये डाटा को भी जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के समक्ष प्रस्तुत कर स्वीकृत कराकर आनलाइन सत्यापित एवं डिजिटल सिग्नेचर से लॉक किया जायेगा। पी०एफ०एम०एस० से स्वीकृत डाटा में अन्य दूसरे कारणों से अपात्र या निरस्त न होने वाले छात्रों की सूची जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के समक्ष प्रस्तुत कर स्वीकृति प्राप्त कर जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा अपने डिजिटल सिग्नेचर से सत्यापित एवं लॉक किया जायेगा।

2- जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति से अनुमोदन तथा निर्धारित प्रोफार्मा पर जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के उल्लिखित सदस्यों के हस्ताक्षर प्राप्त कर उक्त प्रोफार्मा को छात्रवृत्ति पोर्टल पर अपलोड किये जाने तथा उक्त के आधार पर जिला समाज कल्याण अधिकारियों द्वारा आनलाइन संस्तुत एवं लॉक किये गये डाटा के अनुसार निदेशालय द्वारा एन०आई०सी० (स्टेट यूनिट) लखनऊ द्वारा विकसित आनलाइन साफ्टवेयर से भांग जनरेट करायी जायेगी।

3- इस नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत पात्र छात्र/छात्रा को छात्रवृत्ति की धनराशि बजट की उपलब्धता के अनुसार छात्र के आधार सीडेड/मैप्प बचत बैंक खाते में सिंगल नोडल एकाउन्ट के तहत PFMS (Public Financial Management System) प्रणाली के तहत आधार पेमेन्ट ब्रिज प्रणाली के माध्यम से राज्य

सरकार द्वारा 40 प्रतिशत राज्यांश की धनराशि तथा भारत सरकार द्वारा 60 प्रतिशत केन्द्रांश की धनराशि सीधे छात्र के आधार सीडेड बचत बैंक खाते में निर्धारित प्रक्रियानुसार अन्तरित की जायेगी, जिसका उत्तरदायित्व निदेशालय के वित्त नियन्त्रक एवं छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी योजना का होगा।

4- निदेशालय के वित्त नियन्त्रक एवं योजना हेतु नामित नोडल अधिकारी को पासवर्ड एन0आई0सी0 द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। जिसका उपयोग करके बैंकफिशरी फाइल जनरेट की जायेगी। उक्त बैंकफिशरी फाइल को PFMS (Public Financial Management System) साफ्टवेयर पर उपरोक्त अधिकारियों द्वारा अपने PFMS कोड नम्बर द्वारा अपलोड कर सत्यापन कराया जायेगा। सत्यापनोपरान्त एकल नोडल बैंक खाते में धनराशि PFMS प्रणाली के माध्यम से निर्धारित प्रक्रियानुसार अंतरित की जायेगी। निदेशालय के नोडल अधिकारी (योजना)/वित्त नियन्त्रक/आहरण वितरण अधिकारी द्वारा ट्रांजेक्शन फाइल ई0पी0ए0 के माध्यम से आनलाइन बैंक को भेजकर धनराशि अंतरण की कार्यवाही सीधे छात्र/छात्राओं के आधार सीडेड/मैप्ड बचत बैंक खातों में करायी जायेगी।

5- जिला समाज कल्याण अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से आनलाइन संस्तुत एवं लॉक डाटा में किसी स्तर से बदलाव नहीं किया जायेगा। उक्तानुसार लॉक डाटा के आधार पर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (स्टेट यूनिट) लखनऊ द्वारा विकसित साफ्टवेयर से इस नियमावली में वर्णित रीति से डाटा को प्रोसेस कराकर केवल मांग जनरेट की जायेगी। आनलाइन लॉक किये गये डाटा की शुद्धता की पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी की होगी क्योंकि इसी लॉक डाटा के आधार पर ही नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत अभ्यर्थियों के बैंक खाते में धनराशि का अन्तरण किया जायेगा।

6- जिला समाज कल्याण अधिकारी के पास नवीनीकरण हेतु अहं छात्र के विगत वर्ष के आवेदन-पत्र में अथवा उसके साथ संलग्न प्रमाण-पत्रों में संशोधन का कोई प्रार्थना-पत्र आवेदन की अंतिम तिथि के पूर्व प्राप्त होता है, तो उसका अपने स्तर पर परीक्षण कर य जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति की संस्तुति सहित संबंधित छात्रों की त्रुटियों को ठीक कराने हेतु 10 दिनों के अंदर निदेशक, समाज कल्याण से अनुरोध कर सकेंगे। छात्र त्रुटियों को संदेहास्पद डाटा सही करने की सम्यावधि में स्वयं ठीक कर सकेंगे।

7- जिला समाज कल्याण अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से संस्तुत एवं लॉक किये गये डाटा के आधार पर यदि किसी अपात्र अभ्यर्थी के बैंक खाते में छात्रवृत्ति की धनराशि का अन्तरण होता है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी तथा विद्यालय की होगी।

(x) अभ्यर्थी को अनुमन्य छात्रवृत्ति की धनराशि छात्र के खाते में सीधे राज्य मुख्यालय स्थित कोषागार/बैंक में खुले एकल नोडल बैंक खाता (Single Nodal Account) द्वारा PFMS (Public Financial Management System) प्रणाली के माध्यम से आधार पैमेन्ट ब्रिज सिस्टम के तहत राज्य सरकार द्वारा 40 प्रतिशत राज्यांश की धनराशि तथा भारत सरकार द्वारा 60 प्रतिशत केन्द्रांश की धनराशि सीधे छात्र के आधार सीडेड बचत बैंक खाते में वित्त नियन्त्रक, आहरण वितरण अधिकारी तथा नोडल अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार अन्तरित की जायेगी। छात्र/छात्राओं के आधार सीडेड/मैप्ड बचत बैंक खातों में धनराशि अन्तरण में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो उसका निराकरण निदेशक, समाज कल्याण द्वारा किया जायेगा।

(xi) एन0आई0सी0 (राज्य इकाई) द्वारा वित्त नियन्त्रक एवं नोडल अधिकारी के उपयोग हेतु छात्रवृत्ति साफ्टवेयर में आवश्यकतानुसार ऐसी व्यवस्था की जायेगी जिससे दोनों अधिकारियों को संयुक्त रूप से बैंकफिशरी फाइल ट्रांजेक्शन फाइल एवं कोषागार के सर्वर पर (छात्रवृत्ति/कोषागार/ पीएफएमएस सर्वर पर) डाटा को ट्रान्सफर करने का विकल्प उपलब्ध होगा।

(xii) उपरोक्त प्रयोजन हेतु जंवाहर भवन, लखनऊ स्थित कोषागार को नोडल ट्रेजरी तथा भारतीय स्टेट बैंक जंवाहर भवन, लखनऊ को नोडल बैंक नामित किया जाता है।

(xiii) वित्त नियन्त्रक एवं नोडल अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से डिजिटल सिग्नेचर का प्रयोग कर बैंकफिशरी एवं

ट्रांजेक्शन फाइल जनरेट की जायेगी। उक्तानुसार जनरेटेड बेनीफिशरी फाइल को सर्वर पर अपलोड कराने, कोषागार में बिल तैयार कर प्रस्तुत करने, टोकन प्राप्त करने एवं टोकन छात्रवृति की वेबसाइट पर फ़ीड कराने, भारतीय स्टेट बैंक जवाहर भवन, लखनऊ में खुले एकल नोडल बैंक खाता (Single Nodal Account) में अवितरित वापस प्राप्त धनराशि का लेखा जोखा एवं तत्सम्बन्धी समस्त आवश्यक अभिलेखों के संख रखाव का उत्तरदायित्व वित्त नियन्त्रक/आहरण वितरण अधिकारी का होगा।

(xiv) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र राज्य इकाई द्वारा धनराशि अन्तरण से सम्बन्धित विवरण को वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जायेगा, जिसके आधार पर सम्बन्धित जनपद वितरण सम्बन्धी विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट अपने लॉगिन आईडी¹⁰ एवं पासवर्ड के माध्यम से जनरेट कर सकेंगे।

12- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, राज्य इकाई, लखनऊ के स्तर पर स्कूटनी के बिन्दु-

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (राज्य इकाई) लखनऊ के माध्यम से निदेशक समाज कल्याण स्तर से जनपदों से प्राप्त छात्र/छात्राओं के डाटा का परीक्षण (स्कूटनी) समय-समय पर निर्धारित बिन्दुओं पर कराया जायेगा, जिसमें आय प्रमाण पत्र/जाति प्रमाण पत्र/निवास प्रमाण पत्र आदि का सत्यापन राजस्व परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध डाटा से कराया जायेगा। छात्र/छात्राओं के विवरण में से राज्य स्तर पर डुप्लीकेट, सन्देहास्पद एवं शुद्ध डाटा को अलग-अलग कर जनपदों को उपलब्ध कराया जायेगा।

1-छात्र/छात्राओं के आय प्रमाण पत्र/जाति प्रमाण पत्र/निवास प्रमाण पत्र जारी करने का सत्यापन एवं उसमें अंकित विवरण यथा-आय की धनराशि, प्रमाण-पत्र धारक का नाम, जाति, निवास आदि राजस्व परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध डाटा से कराया जायेगा।

2-छात्र/छात्राओं के विवरण में से राज्य स्तर पर डुप्लीकेट, सन्देहास्पद एवं शुद्ध डाटा को अलग-अलग कर जनपदों को उपलब्ध कराया जायेगा।

3-छात्र/छात्राओं के बोर्ड पंजीयन के क्रमांक का मिलान संबंधित शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध डाटा अथवा बोर्ड द्वारा आधिकारिक रूप से एन0आई0सी0 को उपलब्ध करायी गयी डाटा से कराया जायेगा।

13- भुगतान व्यवस्था-

(i) कम्पोनेन्ट-1 व 2 से आच्छादित छात्र/छात्राओं को रजिस्ट्रेशन एवं आवेदन पत्र छात्रवृति की वेबसाइट <https://scholarship.up.gov.in> पर शासन द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक आनलाइन भरना होगा। अंतिम तिथि के पश्चात् वेबसाइट लाक कर दी जायेगी जिसमें प्रविष्ट सम्भव नहीं होगी। दोनों कम्पोनेन्ट के अन्तर्गत छात्रों/संस्था को पूर्य कक्षा का अंकपत्र स्कैन कर आवेदन पत्र के साथ अपलोड करना होगा।

(ii) निदेशालय के वित्त नियन्त्रक द्वारा राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र लखनऊ के सहयोग से निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये गये बजट की सीमा तक नियमावली में वर्णित वरीयता क्रम के अनुसार छात्रवृति की धनराशि की मांग सृजित (जनरेट) करायी जायेगी। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, राज्य इकाई, लखनऊ द्वारा विकसित साफ्टवेयर से सृजित बेनीफिशरी एवं ट्रांजेक्शन फाइल में वित्त नियन्त्रक या नोडल अधिकारी स्तर से कोई बदलाव नहीं किया जायेगा। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में शासन द्वारा निर्धारित तिथि पर वेबसाइट को निदेशालय स्तर से लॉक कर दी जायेगी।

(iii) PFMS (Public Financial Management System) प्रणाली के माध्यम से पात्र छात्र/छात्राओं के आधार सीडेड/मैप्ल बचत बैंक खातों में निर्धारित प्रक्रियानुसार अन्तरण हेतु प्रेषित धनराशि का अन्तरण न होने की दशा में छात्रवृति हेतु भारतीय स्टेट बैंक जवाहर भवन लखनऊ में खुले एकल बैंक खाता (SNA) में बैंकों से फेल्ड ट्रांजेक्शन/अवितरित वापस प्राप्त धनराशि को जमा किया जाएगा। ट्रांजेक्शन फेल्ड एवं अवितरित वापस धनराशि को विभाग द्वारा शासन की अनुमति के उपरांत पुनः उन्हीं छात्र/छात्राओं के आधार सीडेड/मैप्ल बैंक खातों में अन्तरण की कार्यवाही की जाएगी। पुनः ट्रांजेक्शन फेल्ड होने पर अवितरित वापस प्राप्त धनराशि को

- शासन-द्वारा-निर्धारित तिथि तक राज्य सरकार के रिसीट हेड में जमा किया जायेगा। बैंक से फेल्ड ट्रांजेक्शन/अवितरित वापस प्राप्त धनराशि को राज्य सरकार के रिसीट हेड में जमा करने का पूर्ण उत्तरदायित्व वित्त नियंत्रक, आहरण वितरण अधिकारी एवं नोडल अधिकारी का होगा। PFMS (Public Financial Management System)/बैंकों का यह उत्तरदायित्व होगा, कि वे खातों में अन्तरित न होने वाली धनराशि व सम्बन्धित लाभार्थियों एवं उनके खातों का पूर्ण विवरण अन्तरित न होने की तिथि से विलम्बतम् 01 माह के अन्दर वित्त नियंत्रक/आहरण वितरण अधिकारी/नोडल अधिकारी समाज कल्याण निदेशालय 03प्र०, लखनऊ को उपलब्ध करा देंगे। वित्त नियंत्रक द्वारा उकानुसार प्राप्त समस्त धनराशि एवं लाभार्थियों का विवरण लेजर में अंकित कर कार्यालय में सुरक्षित रखा जायेगा। छात्रवृत्ति की धनराशि के अन्तरण का विवरण जिला समाज कल्याण अधिकारियों के लांगिन पर जनपद्वार उपलब्ध होगा।

14- छात्रवृत्ति की अवधि व नवीनीकरण-

- (i) कम्पोनेन्ट-1 व 2 के अन्तर्गत छात्रों को कक्षा 9 में दी गयी छात्रवृत्ति कक्षा 10 में भी देय होगी, बशर्ते कि छात्र का आचरण अच्छा रहे। यह छात्रवृत्ति कक्षा 10 में नवीनीकृत होगी, परन्तु शर्त यह है कि छात्र कक्षा 9 से उत्तीर्ण होकर कक्षा 10 में अध्ययनरत हो।
- (ii) यदि छात्र अस्वस्थता अथवा किसी अन्य अप्रत्याशित घटना के कारण परीक्षा में बैठने में असमर्थ रहता है तो चिकित्सा प्रमाण-पत्र तथा/ अथवा संस्था के प्रमुख की संतुष्टि के लिए पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत करने पर तथा उसके द्वारा (संस्था के प्रमुख) यह प्रमाणित करने पर कि यदि छात्र परीक्षा में बैठता तो वह उत्तीर्ण हो जाता, छात्रवृत्ति अगले शैक्षणिक वर्ष के लिए नवीनीकृत की जायेगी।
- (iii) छात्रवृत्ति अभ्यर्थी की संतोषजनक प्रगति एवं आचरण पर निर्भर है। यदि किसी समय संस्थान प्रमुख द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई अभ्यर्थी स्वयं अपने आचरण अथवा छूक के कारण संतोषजनक प्रगति करने में असफल रहा है अथवा उसे दुर्व्यवहार जैसे- हड्डाल करने या उसमें भाग लेने, सम्बन्धित प्राधिकारियों की अनुमति के बगैर उपस्थिति में अनियमितता आदि का दोषी पाया गया है तो छात्रवृत्ति स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी या तो छात्रवृत्ति रद्द कर सकता है अथवा रोक सकता है या ऐसी अवधि, जो वह उचित समझे, तक के लिए आगे का भुगतान रोक सकता है।

15- अनियमितताएं पाये जाने पर कार्यवाही

पूर्वदर्शम् छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्रों, शिक्षण संस्थानों, अधिकारियों/कर्मचारियों एवं अन्य संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध निम्नलिखित अनियमितताएं पाये जाने पर संबंधित छात्रों/शिक्षण संस्थानों के संचालकों/प्रधानाचार्यों/शिक्षण संस्थानों के नोडल अधिकारियों आदि के विरुद्ध नियमानुसार सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जायेगी एवं गबन की गयी धनराशि की वसूली जिलाधिकारी के माध्यम से करायी जायेगी तथा ऐसे शिक्षण संस्थानों को "काली सूची" में दर्ज कराने व शिक्षण संस्थानों की मान्यता एवं सम्बद्धता समाप्त किये जाने की संस्तुति जिलाधिकारियों द्वारा तत्काल शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

- 1- मास्टर डाटा बेस में शिक्षण संस्थान द्वारा गलत सूचना भरकर सम्मिलित होने पर।
- 2- शिक्षण संस्थान/विद्यालय में छात्र/छात्रा के अध्ययनरत न पाये जाने पर।
- 3- शिक्षण संस्थान द्वारा छात्र/छात्रा के किसी अन्य शिक्षण संस्थान/विद्यालय में अध्ययनरत होते हुये भी अपनी संस्था से छात्र की छात्रवृत्ति हेतु आवेदन सत्यापित एवं अग्रसारित करने पर।
- 4- शिक्षण संस्थान/विद्यालय द्वारा नवीनीकरण हेतु अहं छात्रों में से जिनका आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, उनका कारण सहित आनलाइन सत्यापन न करने की दशा में।
- 5- छात्र/छात्रा द्वारा स्वयं, माता-पिता अथवा अभिभावक की वास्तविक आय-छिपाकर-फर्जी आय-के आधार पर

छात्रवृत्ति_हेतु_आवेदन_करने_पर।

6- छात्र/छात्रा द्वारा झूठा घोषणा पत्र प्रस्तुत कर छात्रवृत्ति प्राप्त करने पर।

7- छात्रवृत्ति की धनराशि प्राप्त करने हेतु अभिलेखों में कूटरचना/हेराफेरी करके छात्र/ शिक्षण संस्थान द्वारा छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने एवं शिक्षण संस्थान द्वारा फर्जी आवेदन सत्यापित व अग्रसारित करने पर।

8- जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय/शिक्षा विभाग या अन्य किसी व्यक्ति/विभाग द्वारा कूटरचना/हेराफेरी कर छात्रों की बड़ी हुई संख्या दर्शा कर छात्रवृत्ति की धनराशि ऐसे छात्रों/ व्यक्तियों के बैंक खातों में अन्तरित कराने अथवा अन्तरित कराने का प्रयास करने पर।

9-जिला मजिस्ट्रेट/निदेशालय/शासन के द्वारा जांच में गंभीर अनियमिततायें पाये जाने पर।

16- छात्र/छात्राओं के उत्तरदायित्व-

सामान्य जानकारी हासिल करना-

(i) कम्पोनेन्ट-1 व 2 के अन्तर्गत कक्षा 9 के छात्रों को नया आवेदन पत्र एवं कक्षा 10 के छात्रों को नवीनीकरण का आवेदन पत्र भरना होगा। कक्षा 10 में नये प्रवेश लेने वाले छात्रों को नया आवेदन पत्र भरना होगा।

(ii) छात्र/छात्रा के मोबाइल नम्बर पर एस0एम0एस0 भेजने सम्बन्धी विवरण को निदेशक, समाज कल्याण द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जायेगा।

17- शैक्षिक संस्थानों के उत्तरदायित्व-

(i) शिक्षण संस्था को छात्रवृत्ति हेतु सभी विभागों के लिये एक नोडल अधिकारी नामित करना होगा।

(ii) शिक्षण संस्था को नोडल अधिकारी से सम्बन्धित एवं शिक्षण संस्थान का सम्पूर्ण विवरण वेबसाइट <https://scholarship.up.gov.in> पर अपडेट करना होगा।

(iii) शिक्षण संस्था को वेबसाइट पर मास्टर डाटा में मान्यता सम्बन्धी विवरण को अपडेट करना होगा।

(iv) 1- शिक्षण संस्था को जिला समाज कल्याण अधिकारी से लागिन आईडी0 एवं पासवर्ड प्राप्त करना होगा।

2- शिक्षण संस्था में नोडल अधिकारी/ प्रधानाचार्य के बदलाव होने की स्थिति में जिला समाज कल्याण अधिकारी के माध्यम से डिजिटल सिग्नेचर रिसेट/ सत्यापित कराया जाना।

(v) पात्र छात्र/छात्रा के द्वारा आवेदन पत्र का प्रिन्ट आउट समस्त आवश्यक संलग्नकों के साथ जमा किया गया है। संस्थान केवल उक्त वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रेषित आवेदन पत्र के प्रिन्ट आउट की फोटोकापी आवश्यक संलग्नकों के साथ स्वीकार करेगा। संस्थान अन्य किसी प्रपत्र पर आवेदन स्वीकार नहीं करेगा। संस्थान छात्र/छात्रा के ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टियों का मिलान अनिवार्य रूप से कर लेंगे।

(vi) अभ्यर्थी के द्वारा आवेदन पत्र आनलाइन प्रेषित करने के बाद समय-सारिणी में निर्धारित समयावधि के अन्दर संस्थान में आनलाइन आवेदन पत्र का प्रिन्ट आउट जमा किया जायेगा।

(vii) आनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए शासन द्वारा निर्धारित अन्तिम तिथि के अन्दर ही अभ्यर्थी को अपना आवेदन पत्र संस्थान में जमा करना होगा। तत्पश्चात निर्धारित समयावधि के अन्दर ही प्रत्येक दशा में शिक्षण संस्थान को अभ्यर्थियों का डाटा सत्यापित करना होगा।

(viii) अभ्यर्थियों के ऑनलाइन भरे गये फार्म की प्रविष्टियों का मिलान करने के उपरान्त सही पाये गये आवेदन पत्रों का ऑनलाइन सत्यापन कर डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से शिक्षण संस्था के प्राचार्य/प्रधानाचार्य अथवा नोडल अधिकारी द्वारा आवेदन पत्रों को अग्रसारित करेंगे। जिन छात्र/छात्राओं का डाटा त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण/गलत होगा, उनका डाटा संस्थान द्वारा प्रेषित नहीं किया जायेगा, उसको अपने स्तर से Reject कर देंगे। शिक्षण संस्थान द्वारा पात्र छात्र/ छात्राओं का डाटा आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करने के बाद आनलाइन सत्यापित विवरण की हाईकापी, छात्रों द्वारा जमा आनलाइन फार्म आवेदन पत्र के प्रिन्ट आउट समस्त संलग्नकों सहित, सत्यापन प्रमाण पत्र संस्था के प्रमुख द्वारा अपनी संस्कृति सहित जिला समाज कल्याण अधिकारी को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध

-कराना-होगा।

- (ix) सभी छात्रों को योजना के प्राविधानों एवं शासन द्वारा फार्म भरने हेतु नियत की गयी अंतिम तिथि की जानकारी संस्थान द्वारा दी जायेगी। सभी कक्षाओं में उपलब्ध संचार माध्यमों यथा- Public Address System, Faculty Members द्वारा एवं विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये हैंडविल के माध्यम से अवगत करेंगे। योजना की सम्पूर्ण जानकारी, सभी आदेश- निर्देश वेबसाइट <https://scholarship.up.gov.in> पर उपलब्ध हैं। इसकी भी जानकारी सभी छात्रों को देंगे। छात्र/छात्रा को आनलाइन आवेदन करने की सुविधा आवश्यकता पड़ने पर संबंधित शैक्षिक संस्थान द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।
- (x) नवीनीकरण हेतु अंह छात्रों, जिनका आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, के आवेदन न करने के कारणों को अनिवार्य रूप से छात्रवृत्ति पोर्टल पर ऑनलाइन सत्यापन शिक्षण संस्था के नोडल अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से किया जायेगा।

18- जिला समाज कल्याण अधिकारियों का दायित्व-

- (i) शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रेषित सूची तथा अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र की हार्डकापी को समस्त संलग्नकों सहित प्राप्त करना। यह सुनिश्चित करना कि सभी शिक्षण संस्थानों का डाटा निर्धारित अवधि के अन्दर उनको प्राप्त हो गया है। शिक्षाधिकारी द्वारा सभी शिक्षण संस्थानों का विवरण सत्यापित तथा डिजिटली लाक कर दिया गया है। अभ्यर्थी के आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र तथा निवास प्रमाण पत्र का मिलान राजस्व परिषद की वेबसाइट से रेण्डम आधार पर स्वीकृति से पूर्व कराना। अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र की हार्डकापी आवश्यकता पड़ने पर संलग्नकों सहित छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के समक्ष प्रस्तुत करना। सक्षम एजेन्सी से डिजीटल सिग्नेचर (Digital Signature) प्राप्त कर अभ्यर्थियों के डाटा को आनलाइन सत्यापित एवं लाक करना।
- (ii) शिक्षाधिकारी द्वारा सभी शिक्षण संस्थानों का विवरण सत्यापित तथा डिजिटली लाक कर दिया गया है।
- (iii) अभ्यर्थी के आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र तथा निवास प्रमाण पत्र का मिलान राजस्व परिषद की वेबसाइट से रेण्डम आधार पर स्वीकृति से पूर्व कराना।
- (iv) अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र की हार्डकापी आवश्यकता पड़ने पर संलग्नकों सहित छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के समक्ष प्रस्तुत करना।
- (v) सक्षम एजेन्सी से डिजीटल सिग्नेचर (Digital Signature) प्राप्त कर अभ्यर्थियों के डाटा को आनलाइन सत्यापित एवं लाक करना।
- (vi) आनलाइन डाटा फीडिंग की मानीटरिंग हेतु आयुक्त/जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में शिक्षाधिकारी तथा शिक्षण संस्थानों के साथ मासिक बैठक कराते रहना। यदि किसी शैक्षणिक संस्थान द्वारा निर्धारित तिथि तक डाटा का अग्रसारण नहीं प्राप्त हो रहा है अथवा उसके द्वारा छात्रों के आवेदन पत्रों की हार्ड कापी नहीं उपलब्ध करायी जा रही है तो उक संस्थान के प्राचार्य/ प्रधानाचार्यों की बैठक में बुलाकर सभी आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।
- (vii) छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति की बैठक आवश्यकतानुसार आहूत कराना एवं कार्यवृत्त तैयार कर जारी कराना तथा छात्रवृत्ति पोर्टल पर अपलोड कराना तथा निर्देशक, समाज कल्याण को प्रेषित करना। निर्धारित समयावधि में यदि किसी शिक्षण संस्था द्वारा कार्यवाही पूर्ण नहीं की जाती है तो उसके विरुद्ध जिलाधिकारी के माध्यम से कठोर कार्यवाही कराने का उत्तरदायित्व जिला समाज कल्याण अधिकारी का ही होगा। जनपद स्तर पर छात्रवृत्ति के अनुश्रवण व पर्यवेक्षण हेतु गठित समिति की बैठक आवश्यकतानुसार आहूत करायी जायेगी।
- (viii) बैंक खाते में धनराशि के अन्तरण का Reconciliation कराना। यह कार्य उसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर लिया जाय।
- (ix) जनपद स्तर पर छात्रवृत्ति के अनुश्रवण व पर्यवेक्षण हेतु गठित समिति की बैठक आवश्यकतानुसार आहूत

करना।

(x) उक्त समिति के बैठक का कार्यवृत्त भेजने का उत्तरदायित्व जिला समाज कल्याण अधिकारी का होगा।

19- जनपदीय शिक्षा अधिकारियों का उत्तरदायित्व:-

(i) आनलाइन डाटा अग्रसारण की मानीटरिंग हेतु जनपद में आयोजित बैठकों में शिक्षण संस्थाओं के प्राचार्य/प्रधानाचार्य के साथ उपस्थित रहकर कार्यवाही समयान्तर्गत सुनिश्चित कराना। शासन द्वारा निर्धारित समयावधि में यदि किसी शिक्षण संस्था द्वारा कार्यवाही पूर्ण नहीं की जाती है, तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति करना।

(ii) शिक्षा अधिकारी द्वारा मास्टर डाटा बेस में शिक्षण संस्थानों की मान्यता, वैधता तिथि, वर्गवार स्वीकृत सीटों की संख्या एवं उसके सापेक्ष संस्था स्तर से अग्रसारित छात्र/छात्राओं की संख्या आदि का सत्यापन कर डिजिटल सिग्नेचर से लाक किया जाना। विद्यालय से सभी वर्गों के अग्रसारित आवेदन पत्रों की कुल संख्या का मिलान सम्बन्धित कक्षाओं में स्वीकृत सीटों की संख्या से करना तथा सीट से अधिक अग्रसारित आवेदनों को ब्लाक करना।

(iii) शिक्षण संस्था द्वारा स्कॉलरशिप पोर्टल पर सत्यापित किये गये छात्रों का माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा छात्रों के ऑनलाइन पंजीकरण डाटा से शत-प्रतिशत मिलान न होने की दशा में उक्त शिक्षण संस्थाओं/विद्यालयों का भौतिक निरीक्षण करना तथा मान्यता निरस्त किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी कर नियमानुसार कार्यवाही करना।

(iv) शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापन उपरान्त शिक्षण संस्था के विवरण की हार्ड कापी निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत जिला समाज कल्याण अधिकारी को प्रेषित किया जायेगा।

20- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (राज्य इकाई) का उत्तरदायित्व:-

शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप एवं प्रक्रिया के अनुसार आनलाइन साफ्टवेयर तैयार कराना। शिक्षण संस्थाओं के उपयोगार्थ समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारियों को लागिन आईडी० एवं पासवर्ड उपलब्ध कराने का ऑप्शन प्रदान करना। जिला समाज कल्याण अधिकारियों एवं जनपदीय शिक्षा अधिकारियों को लागिन आईडी०, पासवर्ड एन०आई०सी० के माध्यम से उपलब्ध करवाना। आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त होने के 15 दिनों के अंदर नवीनीकरण हेतु अहं छात्रों के सापेक्ष मिसिंग छात्रों की जानकारी छात्रवृत्ति पोर्टल पर ऑनलाइन प्रकाशित करना। राज्य स्तर पर स्कूटनी में निदेशक, समाज कल्याण विभाग को आवश्यक सहयोग प्रदान करना। आनलाइन आवेदन भरने से लेकर धनराशि अन्तरण तक में आने वाली समस्त तकनीकी समस्याओं का निराकरण कराया जायेगा।

21- जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के उत्तरदायित्व:-

(i) जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर आवश्यक जांचोपरान्त अनुमोदन प्रदान करना। छात्रवृत्ति की स्वीकृति/अनुमोदन करने से पूर्व अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र में अंकित विवरण का रेण्डम आधार पर वेबसाइट पर प्रदर्शित डाटा से मिलान करा लेना।

(ii) 1- जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति से अनुमोदन के उपरान्त पात्र छात्र/छात्राओं के डाटा को आनलाइन जिला समाज कल्याण अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लाक किये जाने के उपरान्त राज्य एन०आई०सी० द्वारा निर्धारित तिथि तक मांग सृजित की जायेगी।

2- राज्य स्तर से प्रत्येक छात्र की छात्रवृत्ति की 40 प्रतिशत राज्यांश की धनराशि भुगतान होने के उपरान्त 60 प्रतिशत केन्द्रांश की धनराशि भुगतान हेतु भारत सरकार को डाटा शेयर किया जायेगा।

(iii) किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर उसकी गंभीरता से समयबद्ध जांच कराना तथा जांचोपरान्त दोषी व्यक्तियों/संस्थाओं के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करना।

22- जनपद स्तर पर अनुश्रवण-

(i) छात्रवृति योजना के अनुश्रवण व पर्यवेक्षण किये जाने हेतु जनपद स्तर पर निम्नवत् समिति गठित की जाती है:-

1-जिलाधिकारी-

अध्यक्ष

2- जनपदीय छात्रवृति स्वीकृति

समिति के उपाध्यक्ष -

सदस्य

3- जनपद में स्थित राजकीय

विद्यालयों के प्रतिनिधि -

सदस्य

4-जिला विद्यालय निरीक्षक-

सदस्य

5-जिला सूचना विज्ञान अधिकारी(NIC)-

सदस्य

6-जिला समाज कल्याण अधिकारी-

सदस्य सचिव

(ii) उक्त समिति छात्रवृति के मास्टर डाटा में संस्थाओं का स्वयंवेक से सत्यापन करायेगी तथा कम्पोनेन्ट-1 व 2 के अन्तर्गत आच्छादित कक्षाओं की परीक्षा में शामिल परीक्षार्थियों की संख्या एवं परीक्षाफल आदि का सत्यापन करेगी। अध्यक्ष की अनुमति से समिति की बैठक तीन माह के निर्धारित अंतराल पर की जायेगी तथा कृत कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट निदेशक, समाज कल्याण को उपलब्ध करायी जायेगी।

(iii) जिन अभ्यर्थियों के आवेदन-पत्र, नियमों के अन्तर्गत न होने के कारण अस्वीकृत होते हैं, ऐसे अस्वीकृत किये गये आवेदन-पत्रों के सम्बन्ध में छात्रवृति स्वीकृति समिति द्वारा अस्वीकृति के कारणों की जानकारी एन0आई0सी0 के माध्यम से आनलाइन प्रदर्शित की जायेगी तथा छात्र के मोबाइल नम्बर पर एस0एम0एस0 द्वारा सूचित किया जायेगा। सूचना प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर सम्बन्धित छात्र, जिलाधिकारी को अपील कर सकेगा। जिलाधिकारी उस अपील पर सकारण लिखित आदेश पारित करेगा, जिलाधिकारी द्वारा पारित आदेश अन्तिम होगा।

(iv) छात्र/छात्राओं के बैंक खातों में छात्रवृति की धनराशि के अन्तरण उपरान्त प्रत्येक वित्तीय वर्ष में जिलाधिकारी द्वारा कम से कम 05 प्रतिशत छात्र/छात्राओं में धनराशि वितरण का भौतिक सत्यापन/जांच सुनिश्चित कराया जायेगा। छात्र/छात्राओं के रेण्डमली चयन हेतु राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, राज्य इकाई द्वारा छात्रवृति प्रबन्धन प्रणाली साफ्टवेयर में आवश्यक विकल्प उपलब्ध कराया जायेगा, जिसके माध्यम से जांच हेतु जिलाधिकारी छात्र/छात्राओं, शिक्षण संस्थानों की सूची रेण्डम विधि से जनरेट करेंगे तथा उक्त सूची में अंकित शिक्षण संस्थानों के छात्र/छात्राओं का भौतिक सत्यापन करायेंगे और अनियमितता पाये जाने पर तत्काल प्रभावी कार्यवाही नियमावली के प्राविधानों के अनुसार सुनिश्चित करेंगे।

23- संशोधन का अधिकार

इस नियमावली के प्राविधानों में यथावश्यक संशोधन करने एवं किसी भी कठिनाई के निवारण करने की शक्ति मा0 मुख्यमंत्री जी में निहित है।

24- न्यायालय क्षेत्राधिकार

किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्राधिकार मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ होगा।

कृपया तदुसार कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

21/1/2023
डा० हरिअम
प्रमुख सचिव।

21/1/2023

संख्या-एवं-टिनांक-तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, ३०प्र० शासन।
- 2- निजी सचिव, मा० राज्य मंत्री (स्व०प्र०) समाज कल्याण विभाग, ३०प्र० शासन।
- 3- निजी सचिव, मा० राज्य मंत्री, समाज कल्याण विभाग, ३०प्र० शासन।
- 4- प्रमुख सचिव, वित्त/नियोजन/न्याय/उच्च शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/व्यावसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा/कृषि शिक्षा/वैसिक शिक्षा विभाग, ३०प्र० शासन।
- 5- महालेखाकार, ३०प्र० इलाहाबाद।
- 6- राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, ३०प्र० लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि इसकी प्रतियां समस्त जिलाधिकारी एवं मण्डलायुक्त को ई-मेल के माध्यम से भेजे तथा समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करें।
- 7- निदेशक, समाज कल्याण विभाग, लखनऊ ३०प्र०।
- 8- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 9- समस्त मण्डलीय संयुक्त/उप निदेशक, समाज कल्याण विभाग, ३०प्र०।
- 10- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, ३०प्र०।
- 11- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राज कुमार झा)

अनु सचिव।

2549882/2023/-1

2394/670218-32923

उत्तर प्रदेश शासन

समाज कल्याण अनुभाग-३

संख्या-75/2023/ 2632/26-3-2023-C.N.- 1636556

लखनऊ: दिनांक २७ सितम्बर, 2023

कार्यालय ज्ञाप

प्रदेश में पूर्वदशम कक्षाओं में सामान्य वर्ग छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति की सुविधा प्रदान करने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-50/2016/आर-911/26-3-2016-4(30)/2015 दिनांक 16.03.2016 द्वारा उत्तर प्रदेश सामान्य वर्ग पूर्वदशम छात्रवृत्ति नियमावली-2016 जारी की गयी थी। प्रश्नगत नियमावली में अन्य कठिपप्य संशोधनों को सम्प्रिलित करते हुए नियमावली संशोधित की गयी है। निदेशक, समाज कल्याण के पत्र संख्या-2379/स0क0/शिक्षा-अ/3/386-2/2023-24 दिनांक 09.08.2023 के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निम्नानुसार उत्तर प्रदेश सामान्य वर्ग पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना नियमावली (प्रथम संशोधन)- 2023 निर्गत की जाती है:-

उत्तर प्रदेश सामान्य वर्ग पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना (प्रथम संशोधन) नियमावली-2023

क्र.सं.	शीर्षक	नियम
1-	नाम	यह नियमावली उत्तर प्रदेश सामान्य वर्ग पूर्वदशम छात्रवृत्ति नियमावली (प्रथम संशोधन)-2023 कहलायेगी।
संख्या 6524 /- ०३०५२४(ए०जी०) / 202	उद्देश्य	इस योजना का मुख्य उद्देश्य कक्षा-9 व 10 की कक्षाओं में वैध U-DISE (Unified District Information System For Education) Code रखने वाले विभिन्न मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में शिक्षा ग्रहण कर रहे सामान्य वर्ग के गरीब माता-पिता/अभिभावकों के आश्रित छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति की सुविधा प्रदान करना है।
8/10/2023 ✓ ✓ ०३०५२६	प्रसार/विस्तार	इस नियमावली से सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में पढ़ने वाले वे छात्र/छात्राएं आच्छादित होंगे, जो उत्तर प्रदेश के स्थायी/मूल (डा० देवेश चतुर्वेदी निवासी हों।
०३/१०/२०२३	अपर दुर्घट्य राजिव, प्रारम्भ होने की तिथि	कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुपर्याप्ति नियमावली के प्राविधान माह अप्रैल 2023 से प्रारम्भ होने वाले शिक्षण सत्र से लागू होंगे।
कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुपर्याप्ति नियमावली के प्राविधान माह अप्रैल 2023 से प्रारम्भ होने वाले शिक्षण सत्र से लागू होंगे।	नियमावली प्रारम्भिक है। इसका अधिकारी प्रारम्भिक है।	प्रारम्भिक है।
उत्तर प्रदेश शासन (i)	केन्द्र सरकार	"केन्द्र सरकार" का तात्पर्य भारत सरकार से है।
✓/S(CAN) ०३०५२६ 04/10/2023	(ii) राज्य सरकार	"राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है।
०३०५२६ ०३०५२६	(iii) निदेशालय	"निदेशालय" का तात्पर्य समाज कल्याण निदेशालय उत्तर प्रदेश से है।
०३०५२६ ०३०५२६	(iv) निदेशक	"निदेशक" का तात्पर्य निदेशक समाज कल्याण निदेशालय से है।
०३०५२६ ०३०५२६	(v) अभ्यर्थी	"अभ्यर्थी" का तात्पर्य किसी ऐसे विद्यार्थी से है जो उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो तथा केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा वैध U-DISE Code रखने वाले मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में कक्षा-9 या 10 में संस्थागत विद्यार्थी के रूप में शिक्षा ग्रहण कर रहा हो।
०३०५२६ (राजकुमार दिवाकर)(vi) शिक्षण संस्था	शिक्षण संस्था	शिक्षण संस्था

(राजकुमार दिवाकर) (vi) शिक्षण संस्था

(राजकुमार विशेष संघिय प्रधान निजी संघिय "शिक्षण संस्था" का तात्पर्य विधि द्वारा स्थापित अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा वैध U-DISE Code रखने वाले मान्यता विशेष संघिय, कृषि, कृषि उत्तर प्रदेश शासन। प्राप्त संस्थान से है।

(vii) सामान्य वर्ग

“सामान्य वर्ग” का तात्पर्य उन जाति-जाति-समूहों से है, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्गों के अंतर्गत न आते हों। अल्पसंख्यक श्रेणी के अंतर्गत आने वाले सामान्य वर्ग के अधर्थी अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं से आच्छादित होंगे।

(viii) शैक्षणिक सत्र

शैक्षणिक सत्र का तात्पर्य प्रत्येक वर्ष 01 अप्रैल से प्रारम्भ होकर अगले वर्ष 31 मार्च तक शिक्षण सत्र से है।

(ix) छात्रवृत्ति मूल्य

सम्पूर्ण पाठ्यक्रम अवधि में छात्रवृत्ति की दर ₹0 3000/- वार्षिक की धनराशि छात्रों को प्रदान की जानी है।

(x) अभिलेखों का एकत्रीकरण एवं संरक्षीकरण

किसी भी जनपद में संचालित राजकीय संस्थानों, शासकीय सहायता प्राप्त संस्थानों तथा निजी क्षेत्र के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के अभिलेखों का एकत्रीकरण एवं संरक्षीकरण जनपद स्तर पर जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा व मण्डल स्तर पर उप निदेशक, समाज कल्याण द्वारा किया जायेगा।

6-

अहंता

छात्रवृत्ति हेतु सामान्य वर्ग के अधर्थी निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन पात्र होंगे:-

(i) केवल वे ही अधर्थी इसके पात्र होंगे, जो उत्तर प्रदेश राज्य से सम्बन्धित हों, अर्थात् उत्तर प्रदेश राज्य के स्थाई निवासी हों एवं जो उत्तर प्रदेश राज्य क्षेत्र के सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट सामान्य वर्ग से सम्बन्धित हों और जो किसी राजकीय विद्यालय, राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालय एवं माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से मान्यता प्राप्त विद्यालय/शिक्षण संस्थान में संस्थागत छात्र के रूप में अध्ययनरत हों।

(ii) ऐसे अधर्थी, जिनके माता-पिता अथवा अभिभावकों की समस्त स्रोतों से वार्षिक आप दो लाख पचास हजार रूपये से अधिक न हो।

(iii) एक ही माता-पिता अथवा संरक्षक के सभी बच्चे योजना का लाभ प्राप्त करने के हकदार होंगे।

(iv) इस योजना के अधीन छात्रवृत्ति पाने वाला कोई भी छात्र अन्य छात्रवृत्ति या वजीफा नहीं लेगा। यदि कोई अन्य छात्रवृत्ति या वजीफा प्रदान किया गया हो तो छात्र दोनों में से किसी एक के लिए जो भी उसके लिए अधिक लाभप्रद हो, अपना विकल्प दे सकता है और दिये गये विकल्प के बारे में सूचना संस्था प्रमुख के माध्यम से जिला समाज कल्याण अधिकारी को देनी चाहिए। छात्र/छात्रा को उस तारीख से, जिससे वह दूसरी छात्रवृत्ति या वजीफा स्वीकार करता/करती है, इस योजना के अधीन छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जायेगा तथापि छात्र राज्य सरकार से या किसी अन्य स्रोत से पुस्तकें, उपकरण खरीदने या आवास तथा भोजन व्यवस्था पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए इस योजना के अधीन भुगतान की गयी छात्रवृत्ति की रकम के अतिरिक्त निःशुल्क भोजन या अनुदान या तदर्थ आर्थिक सहायता स्वीकार कर सकता है।

(v) जब तक माता-पिता में से कोई एक जीवित हैं, तब तक माता-पिता/अभिभावक जैसी भी स्थिति हो, की सभी स्रोतों से प्राप्त आय को ही लिया जायेगा, न कि अन्य सदस्यों की आय को, चाहे वह कमाने वाले ही क्यों न हों। आय घोषणा प्रपत्र में इसी आधार पर आय की घोषणा करना अपेक्षित है। केवल उस मामले में जब माता-पिता दोनों की मृत्यु हो जाती है तो उस संरक्षक की आय को लेना होगा, जो विद्यार्थी की पढ़ाई में सहायता कर रहा है। ऐसे छात्र जिनके माता-पिता की आय दुर्भाग्यवश किसी एक की मृत्यु के कारण प्रभावित होती है और इस प्रकार इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित आय-सीमा में आ जाती है तो ऐसी दुःखद घटना होने वाले महीने से वह छात्रवृत्ति का पात्र बन जायेगा, बशर्ते वह छात्रवृत्ति की अन्य शर्तें पूरी करता हो, ऐसे छात्रों से छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन पर अनुकम्पा के आधार पर, आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को समाप्त होने के पश्चात भी विचार किया जा सकता है।

(vi) ऐसे छात्र/छात्रा एं जिनके माता-पिता जीवित नहीं हैं, जिन्हें किसी संस्था या संभ्रान्त व्यक्ति द्वारा अपनी संरक्षता में शिक्षा प्रदान करने हेतु एडाए कर लिया गया है, वे योजनान्तर्गत पात्र होंगे तथा उनके संदर्भ में संस्था, प्रबन्धन या संभ्रान्त व्यक्ति की आय उनकी पात्रता निर्धारण के लिये आधार नहीं समझी जायेगी।

2
२०२३

आयु सीमा

(vii).01 जुलाई को अध्यर्थी की आयु 12 वर्ष से कम तथा 20 वर्ष से अधिक होने पर अध्यर्थी छात्रवृत्ति हेतु अपार होगा।

- 7- मूल निवास का अनुमन्य साक्ष्य
तहसील स्तर से जारी आय प्रमाण पत्र में अंकित निवास विवरण के आधार पर छात्र को छात्रवृत्ति अनुमन्य की जाये।
- 8- माता-पिता/अभिभावकों की आय के सम्बन्ध में अनुमन्य साक्ष्य-
माता-पिता अथवा अभिभावकों की आय के सम्बन्ध में निम्नलिखित साक्ष्य अनुमन्य होंगे:-
(i) अध्यर्थी के माता-पिता या पति या संरक्षक, जैसा भी लागू हो, की समस्त स्रोतों से प्राप्त वार्षिक आय के सम्बन्ध में उपजिलाधिकारी/तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण-पत्र, जो राजस्व परिषद की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध हो।
(ii) अध्यर्थी के माता-पिता या पति या संरक्षक, जैसा भी लागू हो, द्वारा लिये जाने वाले मकान किराये भत्ते को "आय" में शामिल नहीं किया जायेगा, यदि इसे आयकर के प्रयोजन के लिए छूट की अनुमति दी गयी हो।
(iii) आय प्रमाण-पत्र केवल एक बार अर्थात् कक्षा-9 में दाखिले के समय ही लिया जायेगा अर्थात् कक्षा-10 में पुनः आय प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं होगी, परन्तु यदि कक्षा-10 में किसी अन्य विद्यालय में पूर्व विद्यालय से ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेने के उपरांत नया प्रवेश लिया जाता है तो पुनः आय प्रमाण-पत्र देना होगा।
- 9- मास्टर डाटाबेस व शिक्षण संस्थाओं का कोर्स मास्टर में पंजीकरण:-
(i) प्रदेश की समस्त शासकीय, शासकीय सहायता प्राप्त एवं अन्य मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों को स्वयं विद्यालय से सम्बन्धित समस्त आवश्यक विवरण यथा-विद्यालय का नाम, माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त करने की तिथि और वैधता सीमा, वर्गवार सक्षम स्तर से स्वीकृत सीटों की संख्या तथा विद्यालय का U-DISE Code आदि निर्धारित प्रारूप पर आनलाइन भरकर "मास्टर डाटाबेस" में प्रत्येक वर्ष जारी समय सारिणी में निर्धारित अवधि में समिलित होना होगा। मास्टर डाटाबेस में निर्धारित तिथि तक शामिल होने वाले विद्यालय में अध्ययनरत छात्र/छात्रा ही छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन करने के पात्र होंगे। मास्टर डाटाबेस में आनलाइन शुद्ध डाटा भरने का पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित शिक्षण संस्थान का होगा।
(ii) उक्त मास्टर डाटाबेस में प्रत्येक वर्ष केवल ऐसे शिक्षण संस्थान शामिल हो सकेंगे जिनकी मान्यता एवं सम्बद्धता 31 मार्च तक सक्षम स्तर से प्राप्त हो चुकी हो। 31 मार्च के पश्चात मान्यता प्राप्त करने वाले शिक्षण संस्थानों को आगामी वित्तीय वर्ष में मास्टर डाटा बेस में समिलित होना होगा तथा उनके छात्रों को आगामी वित्तीय वर्ष के शैक्षिक सत्र से ही छात्रवृत्ति अनुमन्य होगी।
(iii) मास्टर डाटाबेस में प्रदेश में स्थित शिक्षण संस्थानों एवं उसमें वर्गवार स्वीकृत सीटों की संख्या आदि का विवरण सम्बन्धित शिक्षण संस्थानों द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन०आई०सी०) स्तर से उपलब्ध कराये गये साफ्टवेयर पर स्वयं आनलाइन निर्धारित तिथि तक भरा जायेगा। मास्टर डाटाबेस में आनलाइन शुद्ध डाटा भरने का पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित शिक्षण संस्थान का होगा।
(iv) मास्टर डाटाबेस में उल्लिखित जनपद के अन्दर स्थित शिक्षण संस्थानों, उनमें वर्गवार स्वीकृत सीटों की संख्या आदि विवरण का सत्यापन जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा किया जायेगा।
- 10- छात्र को छात्रवृत्ति के भुगतान हेतु शिक्षण संस्थाओं की वरीयता क्रम का निर्धारण-
(i) छात्रवृत्ति हेतु अर्ह छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति की धनराशि का भुगतान एकमुश्त किया जायेगा।
(ii) सीमित वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों को नवीनीकरण एवं तदोपरान्त नये छात्रों को छात्रवृत्ति की धनराशि निम्नांकित वरीयता क्रम में बजट की उपलब्धता की सीमा तक आधार पेमेन्ट ब्रिज प्रणाली के माध्यम से छात्र के आधार सीडेड बचत बैंक खाते में सीधे अन्तरित करके की जायेगी। छात्र को बैंक शाखां के माध्यम से बैंक खाते को आधार नम्बर से सीडिंग व मैपिंग कराना अनिवार्य होगा।-
(क) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के विभागों/ निकायों द्वारा संचालित राजकीय शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/छात्रायें।

(ख) शासकीय सहायता प्राप्त निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/छात्राएँ।

(ग) निजी क्षेत्र के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/छात्राएँ।

(iii) उपरोक्त वरीयता क्रम के अंदर पात्र छात्र/छात्राओं की आन्तरिक वरीयता निम्नलिखित क्रम में तैयार की जायेगी:-

1- छात्रों द्वारा विगत वर्ष की वार्षिक परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर अवरोही क्रम में राज्य को एक इकाई मानते हुए वरीयता सूची तैयार की जायेगी।

2- समान प्राप्तांक प्रतिशत होने पर छात्र/छात्राओं की आयु को वरीयता दी जायेगी, जिसमें सबसे अधिक आयु के छात्र/छात्राओं को सबसे पहले दिया जायेगा। तत्पश्चात छात्र/छात्रा की आयु के घटते हुये क्रम (अवरोही क्रम) में वितरण किया जायेगा।

3- इसके पश्चात भी यदि कई अभ्यर्थी की प्राप्तांक प्रतिशत एवं आयु एक समान होती है तो छात्र/छात्रा के नाम के अल्फाबेटिक क्रम में (A to Z) छात्रवृत्ति की धनराशि का वितरण किया जायेगा।

4- छात्र/छात्राओं की प्राप्तांक प्रतिशत, आयु एवं अल्फाबेटिक क्रम एक समान होने की दशा में प्रथम आगत प्रथम निर्गत के आधार पर छात्रवृत्ति की धनराशि का वितरण किया जायेगा। प्रथम आगत का निर्धारण छात्र/छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन फार्म भरने की तिथि व समय से लिया जायेगा।

(iv) सर्वप्रथम कक्षा-9 में वितरित की गयी छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों का कक्षा-10 में निर्धारित शर्तों एवं प्रक्रिया के अनुसार छात्रवृत्ति नवीनीकृत की जायेगी। नवीनीकरण के पश्चात अवशेष धनराशि ही कक्षा-9 के नये अभ्यर्थियों को उपरोक्त वरीयता क्रम में वितरित की जायेगी।

(v) प्रत्येक शैक्षणिक सत्र की देनदारियां उसी वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर समाप्त मानी जायेगी एवं अग्रेणीत नहीं होंगी।

(vi) भारत सरकार/राज्य सरकार की किसी अन्य योजना से छात्रवृत्ति पाने वाले छात्र/छात्राओं को इस योजना के तहत लाभ नहीं मिलेगा।

11- छात्रवृत्ति स्वीकृति एवं वितरण प्रक्रिया-

(i) इस योजना में अर्ह छात्रों को सम्बन्धित शिक्षण संस्थान द्वारा सशुल्क प्रवेश दिया जायेगा। छात्रों द्वारा प्रवेश के समय संस्था की नियमानुसार शुल्क का भुगतान स्वयं करना होगा। इस योजना में निःशुल्क प्रवेश की व्यवस्था नहीं रहेगी। राज्य सरकार द्वारा बजट की सीमा के अंतर्गत छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति नियमानुसार छात्र के आधार नम्बर से सीडेड एवं एन०पी०सी०आर्ड० से मैप्ड बचत बैंक खाते में राज्य मुख्यालय स्थित कोषागार से PFMS (Public Financial Management System) के माध्यम से निर्धारित प्रक्रियानुसार भुगतान की जायेगी।

(ii) सामान्य वर्ग पूर्वदशम छात्रवृत्ति हेतु नये पात्र छात्र/छात्राओं को निर्धारित प्रारूप पर एवं नवीनीकरण के छात्रों को इन्टरनेट के माध्यम से आनलाइन आवेदन करना होगा। विगत वर्ष में आनलाइन आवेदन करने वाले छात्र/छात्राओं को केवल नवीनीकरण हेतु आवेदन करना होगा जिन्हें पुनः सम्पूर्ण विवरण भरने के स्थान पर छात्रवृत्ति हेतु कुछ नवीन/संशोधित सूचनाएं ही निर्धारित प्रारूप पर आनलाइन उपलब्ध करानी होगी। छात्र/छात्राओं को समस्त प्रविष्टियां आनलाइन सही-सही भरकर उसका प्रिंटआउट लेकर समस्त आवश्यक अभिलेख संलग्न कर घोषणा पत्र के साथ शिक्षण संस्थान द्वारा अभ्यर्थी को प्रदान की जायेगी। आवेदन में सही-सही सूचनाएं भरने का उत्तरदायित्व छात्र का होगा।

(iii) अभ्यर्थी के आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रमाण-पत्रों का मिलान शिक्षण संस्थान स्तर पर गठित समिति द्वारा किया जायेगा, जिसके लिये शिक्षण संस्थान पूरी तरह से उत्तरदायी होगी। आवेदन पत्र के साथ संलग्न अभिलेखों का मिलान किये जाने के उपरांत सही एवं अर्ह पाये गये आवेदन-पत्रों की संस्तुति संस्था स्तर पर गठित निम्न समिति द्वारा की जायेगी:-

1-संस्था के प्रधानाचार्य- अध्यक्ष

2-संस्था के वरिष्ठतम प्राध्यापक- सदस्य

3-संस्था के वरिष्ठतम अनु०जाति के प्राध्यापक- सदस्य

अथवा

संस्था के वरिष्ठतम अन्य पिछड़ा वर्ग के प्राध्यापक (अनु०जाति का कोई भी प्राध्यापक उपलब्ध न होने की दशा में)

अथवा

उस संस्था का जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा नामित सामान्य श्रेणी का प्राध्यापक (अनु०जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का कोई भी प्राध्यापक उपलब्ध न होने की दशा में)।

(iv) उपरोक्त समिति द्वारा संस्तुत छात्रों का विवरण आनलाइन सत्यापित करने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित संस्था का ही होगा। छात्र द्वारा जमा समस्त संलग्नकों सहित आनलाइन फीडेड आवेदन पत्र के प्रिंटआउट को संस्थान द्वारा सत्यापन प्रमाण-पत्र सहित जिला समाज कल्याण अधिकारी को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध करायी जायेगी, जिन छात्र/छात्राओं को डाटा ट्रृटिपूर्ण, गलत या अपूर्ण पाया जाता है, ऐसे छात्र/छात्राओं की संस्था द्वारा समुचित कारण दर्शाते हुये छात्रवृत्ति हेतु संस्तुति नहीं की जायेगी एवं अपने स्तर से “रिजेक्ट” कर दिया जायेगा।

(v) शिक्षा विभाग के सम्बन्धित अधिकारी द्वारा शिक्षण संस्था की मान्यता, वैधता एवं वर्गवार अनुमन्य सीटों के सापेक्ष आवेदकों की संख्या आदि का परीक्षण कर आनलाइन सत्यापन एवं डिजीटल हस्ताक्षर से लाक किया जायेगा।

(vi) निदेशक, समाज कल्याण द्वारा निर्धारित तिथि तक आय एवं निवास प्रमाण पत्रों एवं आय प्रमाण पत्र में अंकित धनराशि तथा आय प्रमाण-पत्र धारक के नाम आदि का मिलान बोर्ड आफ रेवेन्यू उ०प्र० की वेबसाइट पर उपलब्ध डाटा से राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, राज्य इकाई, लखनऊ के सहयोग से कराया जायेगा। समस्त जनपदों के छात्रों के डाटा में से “डुप्लीकेट डाटा” की छटनी कराकर तथा अन्य आवश्यक बिन्दुओं पर परीक्षण कराकर शुद्ध एवं संदेहास्पद डाटा सम्बन्धित जनपदों की छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति को निर्णयार्थ उपलब्ध कराया जायेगा।

(vii) जनपद स्तर पर सामान्य वर्ग की पूर्वदशम छात्रवृत्ति की स्वीकृति हेतु निम्न समिति गठित की जाती है:-

1-जिलाधिकारी-	अध्यक्ष
2-मुख्य विकास अधिकारी/अपर जिलाधिकारी-	उपाध्यक्ष
3-मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी-	सदस्य
4-जिला सूचना विज्ञान अधिकारी-	सदस्य
5-जिला विद्यालय निरीक्षक-	सदस्य
6-जिला समाज कल्याण अधिकारी-	सदस्य सचिव

यह समिति जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति कही जायेगी, जो इस नियमावली के प्राविधानों के अंतर्गत जनपद स्तर पर छात्रवृत्ति की स्वीकृति प्रदान करेगी।

(viii) प्रत्येक छात्र के सम्बन्ध में आवेदन पत्र की प्रति सम्बन्धित शिक्षण संस्था के कार्यालय में 05 वर्ष तक सुरक्षित रखी जायेगी।

(ix) जिला समाज कल्याण अधिकारियों द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक से सत्यापित एवं अग्रसारित शिक्षण संस्थानों वाले छात्रों के डाटा की तथा निदेशक, समाज कल्याण, उ०प्र० लखनऊ से परीक्षणोंपरांत प्राप्त छात्रों के विवरण की सूची हार्डकापी में जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के समक्ष प्रस्तुत कर स्वीकृति प्राप्त की जायेगी। इसके लिये निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जायेगी:-

- जिला विद्यालय निरीक्षक शिक्षण संस्थानों के छात्रवृत्ति से सम्बन्धित डाटा को अपने डिजिटल सिमेचर से आनलाइन संस्तुत एवं अग्रसारित करेंगे। जिला विद्यालय निरीक्षक की संस्तुति के उपरांत निदेशक, समाज कल्याण उ०प्र० द्वारा निर्धारित तिथि तक राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, राज्य इकाई लखनऊ के सहयोग से पी०एफ०एम०एस० साफ्टवेयर के माध्यम से बैंकों से “बेनीफिशरी” खाता धारकों के नाम से मिलान एवं वेलिडेशन हेतु अपलोड कराया जायेगा। साथ ही साथ निदेशक, समाज कल्याण, उ०प्र० द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, राज्य इकाई, लखनऊ के सहयोग से सम्बन्धित शिक्षा परिषदों एवं बोर्ड आफ रेवेन्यू आदि की वेबसाइट पर उपलब्ध डाटा से मिलान एवं डुप्लीकेट डाटा की छटनी व परीक्षण कराया जायेगा। तदोपरांत परीक्षण में संदेहास्पद पाये गये तथा पी०एफ०एम०एस० साफ्टवेयर से रिजेक्ट किये गये डाटा को बेनीफिशरीज के बैंक नाम के साथ जिला समाज कल्याण अधिकारी के लागिन पर प्रदर्शित कराया जायेगा तथा साथ ही पी०एफ०एम०एस० से स्वीकृत डाटा को भी बेनीफिशरीज के बैंक नाम के साथ जिला समाज कल्याण अधिकारी के लॉगिन पर उपलब्ध कराया जायेगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी/जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति उपरोक्त स्वीकृत डाटा में से 05 प्रतिशत डाटा की रेण्डम चेकिंग विशेष टीम के माध्यम से कराकर जांच आख्या के अनुसार कार्यवाही पूर्ण की जायेगी। संदेहास्पद डाटा में से शुद्ध पाये गये डाटा को भी जिला समाज कल्याण अधिकारी

द्वारा जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के समक्ष प्रस्तुत कर स्वीकृत कराकर आनलाइन सत्यापित एवं डिजिटल सिमेचर से लाक किया जायेगा। पी०एफ०एम०एस० से स्वीकृत डाटा में से बेनीफिशरीज एवं बैंक खाते में अंकित नाम मैच करने वाले छात्रों तथा अन्य दूसरे कारणों से अपात्र या निरस्त न होने वाले छात्रों की सूची जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के समक्ष प्रस्तुत कर स्वीकृति प्राप्त कर जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा अपने डिजिटल सिमेचर से सत्यापित एवं लाक किया जायेगा।

2- जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति से अनुमोदन तथा निर्धारित प्रोफार्मा पर जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के उल्लिखित सदस्यों के हस्ताक्षर प्राप्त कर उक्त प्रोफार्मा को स्कॉलरशिप पोर्टल पर अपलोड किये जाने तथा उक्त के आधार पर जिला समाज कल्याण अधिकारियों द्वारा आनलाइन संस्तुत एवं लाक किये गये डाटा के अनुसार निदेशालय द्वारा एन०आई०सी० (स्टेट यूनिट) लखनऊ द्वारा विकसित साफ्टवेयर से मांग जनरेट करायी जायेगी।

3- इस नियमावली के प्राविधानों के अंतर्गत पात्र छात्र/छात्रा को छात्रवृत्ति की धनराशि बजट की उपलब्धता के अनुसार छात्र/छात्रा के आधार नम्बर से सीडेड एवं मैप्ड बचत बैंक खाते में सीधे राज्य मुख्यालय स्थित कोषागार से PFMS (Public Financial Management System) प्रणाली के माध्यम से निर्धारित प्रक्रियानुसार अंतरित की जायेगी, जिसका उत्तरदायित्व निदेशालय के वित्त नियंत्रक एवं नोडल अधिकारी योजना का होगा।

4- निदेशालय के वित्त नियंत्रक एवं योजना हेतु नामित नोडल अधिकारी को पासवर्ड एन०आई०सी० द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा, जिसका उपयोग करके बेनीफिशरी फाइल जनरेट की जायेगी। वैध बेनीफिशरी के अनुसार बिल तैयार कर आहरण वितरण अधिकारी मुख्यालय से टोकन प्राप्त किया जायेगा। उक्त बेनीफिशरी फाइल को PFMS (Public Financial Management System) साफ्टवेयर पर उपरोक्त अधिकारियों द्वारा अपने PFMS कोड नम्बर द्वारा अपलोड कर सत्यापन कराया जायेगा। इस ट्रेजरी टोकन नम्बर को छात्रवृत्ति की वेबसाइट पर यथास्थान फाईल करके ट्रांजेक्शन फाईल जनरेट की जायेगी जो PFMS सर्वर पर स्थानान्तरित हो जायेगी। PFMS सर्वर से ट्रांजेक्शन फाईल के स्वीकृत होने के उपरांत वित्त नियंत्रक एवं नोडल अधिकारी द्वारा अपने लागिन आई०डी० व पासवर्ड के माध्यम से ट्रांजेक्शन फाईल में ट्रेजरी टोकन के सापेक्ष अंकित बेनीफिशरी छात्रों की संख्या व धनराशि का सत्यापन कर अनुमोदित करेंगे, जिसके पश्चात सम्बन्धित ट्रांजेक्शन फाईल ट्रेजरी की लागिन पर प्रदर्शित होने लगेगी। निदेशालय के नोडल अधिकारी (योजना)/ वित्त नियंत्रक द्वारा ट्रांजेक्शन फाईल आनलाइन अनुमोदित कराने के उपरांत, मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन, लखनऊ द्वारा पी०एफ०एम०एस० सर्वर पर उपलब्ध उक्त अनुमोदित ट्रांजेक्शन फाईल को आनलाइन अनुमोदित किया जायेगा। कोषागार से ट्रांजेक्शन फाईल के अनुमोदित करने के पश्चात छात्रवृत्ति की धनराशि का अंतरण सीधे छात्र/छात्राओं के आधार नम्बर से सीडेड एवं मैप्ड बचत बैंक खातों में हो जायेगा।

5- जिला समाज कल्याण अधिकारी के डिजीटल सिमेचर से आनलाइन संस्तुत एवं लाक डाटा में किसी स्तर से बदलाव नहीं किया जायेगा। उक्तानुसार लाक डाटा के आधार पर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (स्टेट यूनिट) लखनऊ द्वारा विकसित साफ्टवेयर से इस नियमावली में वर्णित रीति से डाटा को प्रोसेस कराकर केवल मांग जनरेट की जायेगी। आनलाइन लाक किये गये डाटा की शुद्धता की पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी की होगी क्योंकि इसी लाक डाटा के आधार पर ही नियमावली के प्राविधानों के अंतर्गत आधार बेस भुगतान प्रक्रिया के तहत धनराशि का अंतरण किया जायेगा।

6- जिला समाज कल्याण अधिकारी के पास नवीनीकरण हेतु अहं छात्र के विगत वर्ष के आवेदन-पत्र में अथवा उसके साथ सलग्र प्रमाण-पत्रों में संशोधन का कोई प्रार्थना-पत्र आवेदन की अंतिम तिथि तक प्राप्त होता है तो उसका अपने स्तर पर परीक्षण कर व जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति की संस्तुति सहित सम्बन्धित छात्रों की त्रुटियों को ठीक कराने हेतु 10 दिनों के अंदर निदेशक समाज कल्याण से अनुरोध कर सकेंगे। निर्धारित तिथि तक जनपदों से प्राप्त सूचना के आधार पर निदेशालय द्वारा उक्त त्रुटियों को ठीक कराने का प्रयास किया जायेगा।

7- जिला समाज कल्याण अधिकारी के डिजीटल सिमेचर से संस्तुत एवं लाक किये गये डाटा के आधार पर यदि किसी अपात्र अभ्यर्थी को छात्रवृत्ति की धनराशि का अंतरण होता है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी व संस्था की होगी।

(x) अभ्यर्थी को अनुमन्य छात्रवृत्ति की धनराशि उसके आधार नम्बर से सीडेड एवं मैप्ड बचत बैंक खाते में सीधे राज्य मुख्यालय स्थित कोषागार से ई-पेमेण्ट (e-payment) के तहत PFMS (PFMS Public Financial Management System) प्रणाली के माध्यम से निर्धारित प्रक्रियानुसार वित्त नियंत्रक, नोडल अधिकारी द्वारा

सीधे अंतरित की जायेगी। छात्रवृत्ति की धनराशि का भुगतान प्रतिवर्ष एकमुश्त किया जायेगा। आधार बेस भुगतान प्रक्रिया के अन्तर्गत बचत बैंक खातों में धनराशि अंतरण में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो उसका निराकरण निदेशक, समाज कल्याण द्वारा किया जायेगा।

(xi) छात्र/छात्राओं के आधार नम्बर से सीडेड एवं मैप्ड बचत बैंक खाते में राज्य मुख्यालय स्थित कोषागार से ई-प्रेमेण्ट के तहत PFMS (PFMS Public Financial Management System) प्रणाली के माध्यम से धनराशि स्थानान्तरण हेतु निदेशालय स्तर पर एक नोडल अधिकारी नामित होगा। निदेशालय के वित्त नियंत्रक एवं नोडल अधिकारी PFMS (PFMS Public Financial Management System) प्रणाली के माध्यम से जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृत समिति से स्वीकृत छात्र/छात्राओं के आधार नम्बर से सीडेड एवं मैप्ड बचत बैंक खातों में छात्रवृत्ति की धनराशि अंतरित करने के लिये उत्तरदायी होंगे।

(xii) एन०आई०सी० (राज्य इकाई) द्वारा वित्त नियंत्रक एवं नोडल अधिकारी के उपयोग हेतु छात्रवृत्ति साफ्टवेयर में आवश्यकतानुसार ऐसी व्यवस्था की जायेगी जिससे दोनों अधिकारियों को संयुक्त रूप से बेनीफिशरी फाइल, ट्रांजेक्शन फाइल एवं कोषागार के सर्वर पर (छात्रवृत्ति/कोषागार/ पी०एफ०एम० एस० सर्वर पर) डाटा को ट्रान्सफर करने का विकल्प होगा।

(xiii) उपरोक्त प्रयोजन हेतु जावाहर भवन, लखनऊ स्थित कोषागार को नोडल ट्रेजरी नामित किया जाता है।

(xiv) वित्त नियंत्रक एवं नोडल अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से डिजिटल सिमेचर का प्रयोग कर बेनीफिशरी एवं ट्रांजेक्शन फाइल जनरेट की जायेगी। उक्तानुसार जनरेटेड बेनीफिशरी फाइल को सर्वर पर अपलोड कराने, कोषागार में बिल तैयार कर प्रस्तुत करने, टोकन प्राप्त करने एवं टोकन छात्रवृत्ति की वेबसाइट पर फीड कराने, बैंकों से अवितरित वापस प्राप्त धनराशि का लेखा जोखा एवं तस्मब्धी समस्त आवश्यक अभिलेखों के रखरखाव का उत्तरदायित्व वित्त नियंत्रक एवं आहरण वितरण अधिकारी, मुख्यालय का होगा।

(xv) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र राज्य इकाई द्वारा धनराशि अंतरण से सम्बन्धित विवरण को वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जायेगा, जिसके आधार पर सम्बन्धित जनपद वितरण सम्बन्धी विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट अपने लागिन आई०डी० एवं पासवर्ड के माध्यम से जनरेट कर सकेंगे।

12-

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, राज्य इकाई, लखनऊ के स्तर पर स्कूटनी के बिन्दुः

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (राज्य इकाई) लखनऊ के माध्यम से निदेशक समाज कल्याण स्तर से जनपदों से प्राप्त छात्र/छात्राओं के डाटा का परीक्षण (स्कूटनी) समय-समय पर निर्धारित बिन्दुओं पर कराया जायेगा, जिसमें आय प्रमाण पत्र/जाति प्रमाण पत्र/निवास प्रमाण पत्र आदि का सत्यापन राजस्व परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध डाटा से कराया जायेगा। छात्र/छात्राओं के विवरण में से राज्य स्तर पर डुप्लीकेट, सन्देहास्पद एवं शुद्ध डाटा को अलग-अलग कर जनपदों को उपलब्ध कराया जायेगा।

13-

भुगतान व्यवस्था

(i) सामान्य वर्ग पूर्वदशाम छात्रवृत्ति हेतु छात्र/ छात्राओं को आवेदन पत्र इंटरनेट के माध्यम से शासन द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक ही आनलाइन आवेदन भरना होगा। अंतिम तिथि के पश्चात वेबसाइट लाक कर दी जायेगी जिसमें प्रविष्ट सम्बन्ध नहीं होगी।

(ii) निदेशालय के वित्त नियंत्रक द्वारा राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र, राज्य इकाई, लखनऊ के सहयोग से छात्रवृत्ति की धनराशि की मांग सृजित (जनरेट) कराकर तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, राज्य इकाई, लखनऊ द्वारा साफ्टवेयर के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी बेनीफिशरी एवं ट्रांजेक्शन फाइल द्वारा ही निर्धारित तिथि के अन्दर छात्र/छात्रा के आधार नम्बर से सीडेड एवं मैप्ड बचत बैंक खाते में सीधे राज्य मुख्यालय स्थित कोषागार से PFMS (Public Financial Management System) प्रणाली के माध्यम से निर्धारित प्रक्रियानुसार धनराशि अंतरित की जायेगी। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, राज्य इकाई, लखनऊ द्वारा विकसित साफ्टवेयर से सृजित बेनीफिशरी एवं ट्रांजेक्शन फाइल में वित्त नियंत्रक या नोडल अधिकारी स्तर से कोई बदलाव नहीं किया जायेगा। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में शासन द्वारा निर्धारित तिथि पर बेवसाइट को निदेशालय स्तर से लॉक कर दी जाएगी।

(iii) उक्तानुसार आनलाइन सृजित मांग के सापेक्षा निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये गये बजट की सीमा तक नियमावली

में वर्णित वरीयता क्रम के अनुसार कोषागार की ई-पेमेण्ट (e-payment) प्रक्रिया के तहत PFMS (Public Financial Management System) प्रणाली के माध्यम से वित्त नियंत्रक एवं नोडल अधिकारी द्वारा पात्र छात्र/छात्राओं के बचत बैंक खातों में निर्धारित तिथि तक धनराशि अन्तरित कर दी जायेगी। कोषागार से ई-पेमेण्ट (e-payment) के तहत PFMS (Public Financial Management System) प्रणाली के माध्यम से पात्र छात्र/छात्राओं के बचत बैंक खातों में निर्धारित प्रक्रियानुसार अन्तरण हेतु प्रेषित धनराशि का अन्तरण न होने की दशा में बैंकों से फेल्ड ट्रांजेक्शन/अवितरित वापस प्राप्त धनराशि को उसी वित्तीय वर्ष शासन द्वारा निर्धारित तिथि तक राज्य सरकार के रिसीट हेड में जमा किया जायेगा। बैंक से फेल्ड ट्रांजेक्शन/अवितरित वापस प्राप्त धनराशि को राज्य सरकार के रिसीट हेड में उसी वित्तीय वर्ष में जमा कराने का पूर्ण उत्तरदायित्व वित्त नियंत्रक एवं नोडल अधिकारी का होगा। PFMS (Public Financial Management System) बैंकों का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे लाभार्थियों के खातों में अन्तरित न होने वाली धनराशि व सम्बन्धित लाभार्थियों एवं उनके खातों का पूर्ण विवरण अन्तरित न होने की तिथि से विलम्बतम 01 माह के अन्दर वित्त नियंत्रक/नोडल अधिकारी समाज कल्याण निदेशालय उ०प्र०, लखनऊ को उपलब्ध करा देंगे। वित्त नियंत्रक द्वारा उक्तानुसार प्राप्त समस्त धनराशि एवं लाभार्थियों का विवरण लेजर में अंकित कर कार्यालय में सुरक्षित रखा जायेगा। छात्रवृत्ति की धनराशि के अन्तरण का विवरण जिला समाज कल्याण अधिकारियों के लागिन पर जनपदवार उपलब्ध होगा।

14- छात्रवृत्ति की अवधि व नवीनीकरण-

- (i) छात्र/छात्रा को कक्षा 9 में दी गयी छात्रवृत्ति कक्षा 10 में भी देय होगी, बशर्ते कि छात्र का आचरण अच्छा रहे। यह छात्रवृत्ति कक्षा 10 में नवीनीकृत होगी, परन्तु शर्त यह है कि छात्र कक्षा 9 से उत्तीर्ण होकर कक्षा 10 में अध्ययनरत हो। छात्रवृत्ति अधिकतम 10 माह के लिए देय होगी।
- (ii) यदि छात्र अस्वस्थता अथवा किसी अन्य अप्रत्याषित घटना के कारण परीक्षा में बैठने में असमर्थ रहता है तो चिकित्सा प्रमाण-पत्र तथा/ अथवा संस्था के प्रमुख की संतुष्टि के लिए पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत करने पर तथा उसके द्वारा संस्था के प्रमुख) यह प्रमाणित करने पर कि यदि छात्र परीक्षा में बैठता तो वह उत्तीर्ण हो जाता, छात्रवृत्ति अगले शैक्षणिक वर्ष के लिए नवीनीकृत की जायेगी।
- (iii) छात्रवृत्ति अध्यर्थी की संतोषजनक प्रगति एवं आचरण पर निर्भर है। यदि किसी समय संस्थान प्रमुख द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई अध्यर्थी स्वयं अपने आचरण अथवा चूक के कारण संतोषजनक प्रगति करने में असफल रहा है अथवा उसे दुर्व्यवहार जैसे- हड़ताल करने या उसमें भाग लेने सम्बन्धित प्राधिकरियों की अनुमति के बगैर उपस्थिति में अनियमितता आदि को दोषी पाया गया है तो छात्रवृत्ति स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी या तो छात्रवृत्ति रद्द कर सकता है अथवा रोक सकता है या ऐसी अवधि जो वह उचित समझे, तक के लिए आगे का भुगतान रोक सकता है।

15- अनियमितताएं पाये जाने पर FIR दर्ज कराना शिक्षण संस्थानों को काली सूची में डालना तथा मान्यता निरस्त कराना।

पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्रों, शिक्षण संस्थानों, अधिकारियों/कर्मचारियों एवं अन्य संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध निम्नलिखित अनियमिततायें पाये जाने पर संबंधित छात्रों/ शिक्षण संस्थानों के संचालकों/प्रधानाचार्यों/ शिक्षण संस्थानों के नोडल अधिकारियों आदि के विरुद्ध नियमानुसार सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जायेगी एवं गबन की गयी धनराशि की वसूली जिलाधिकारी के माध्यम से करायी जायेगी तथा ऐसे शिक्षण संस्थानों को "काली सूची" में दर्ज कराने व शिक्षण संस्थानों की मान्यता एवं सम्बद्धता समाप्त किये जाने की संस्तुति जिलाधिकारियों द्वारा तत्काल शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

- 1- मास्टर डाटा बेस में शिक्षण संस्थान द्वारा गलत सूचना भरकर सम्मिलित होने पर।
- 2- शिक्षण संस्थान/विद्यालय में छात्र/छात्रा के अध्ययनरत न पाये जाने पर।
- 3- शिक्षण संस्थान द्वारा छात्र/छात्रा के किसी अन्य शिक्षण संस्थान/विद्यालय में अध्ययनरत होते हुये भी अपनी संस्था से छात्र की छात्रवृत्ति हेतु आवेदन सत्यापित एवं अग्रसारित करने पर।
- 4- शिक्षण संस्थान/विद्यालय द्वारा नवीनीकरण हेतु अर्ह छात्रों में से जिनका आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, उनका कारण सहित ऑनलाइन सत्यापन न करने की दशा में।
- 5- छात्र/छात्रा द्वारा स्वयं माता-पिता अथवा अभिभावक की वास्तविक आय छिपाकर फर्जी आय के आधार पर छात्रवृत्ति

हेतु आवेदन करने पर।

6- छात्र/छात्रा द्वारा झूठा घोषणा पत्र प्रस्तुत कर छात्रवृत्ति प्राप्त करने पर।

7- छात्रवृत्ति की धनराशि प्राप्त करने हेतु अभिलेखों में कूटरचना/हेराफेरी करके छात्र/ शिक्षण संस्थान द्वारा छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने एवं शिक्षण संस्थान द्वारा फर्जी आवेदन सत्यापित व अग्रसारित करने पर।

8- जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय/ शिक्षा विभाग या अन्य किसी व्यक्ति/विभाग द्वारा कूटरचना/हेराफेरी कर छात्रों की बढ़ी हुई संख्या दर्शा कर छात्रवृत्ति की धनराशि ऐसे छात्रों/ व्यक्तियों के बैंक खातों में अन्तरित कराने अथवा अन्तरित कराने का प्रयास करने पर।

9- जिला भजिस्ट्रेट/निदेशालय/शासन के द्वारा जांच में गंभीर अनियमितायें पाये जाने पर।

16- छात्र/छात्राओं के उत्तरदायित्व-

(i) सामान्य जानकारी हासिल करना-

कक्षा 9 के छात्रों को नया आवेदन पत्र एवं कक्षा 10 के छात्रों को नवीनीकरण का आवेदन पत्र भरना होगा। कक्षा 10 में नये प्रवेश लेने वाले छात्रों को नया अवेदन पत्र भरना होगा।

(ii) ऑनलाइन आवेदन हेतु रजिस्ट्रेशन करना-

1- प्रथम चरण में छात्र/छात्रा को निर्धारित वेबसाइट <https://scholarship.up.gov.in> के माध्यम से आनलाइन रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है।

2- रजिस्ट्रेशन में मांगी गयी सम्पूर्ण प्रविष्टियां वेबसाइट पर निर्धारित प्रारूप में सही-सही भरें, अन्यथा आवेदन निरस्त हो जायेगा।

(iii) ऑनलाइन आवेदन करना-

1-छात्रवृत्ति की वेबसाइट पर सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन करने के उपरांत आनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है। छात्र द्वारा आवेदन पत्र में अपना आधार नम्बर तथा वन टाइम पासवर्ड (ओ०टी०पी०) भरा जायेगा। तदोपरांत आधार नम्बर, छात्र का नाम व जन्म तिथि का आनलाइन आधेन्टिकेशन UIDAI (Unique Identification Authority of India) से किया जायेगा।

2- जिसके लिये निर्धारित वेबसाइट <https://scholarship.up.gov.in> पर जाकर आनलाइन आवेदन पर क्लिक करें, क्लिक करने के उपरांत स्क्रीन पर निर्धारित कॉलम में अपना रजिस्ट्रेशन संख्या, जन्म तिथि एवं पासवर्ड भरें।

(iv) आवेदन पत्र का प्रिन्ट आउट प्राप्त करना-

छात्र की आवेदन पत्र के साथ समस्त अन्य वांछित डाक्यूमेंट जैसे- आय प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र की स्वप्रमाणित प्रतिलिपियां संलग्न करते हुये अपने अध्ययनरत शिक्षण संस्था में सम्बन्धित अधिकारी के पास जमा करके उसकी रसीद प्राप्त कर लें। आवेदन पत्र ऑनलाइन Submit करने के 03 दिन के अन्दर (छात्र द्वारा संस्था में आवेदन जमा करने की अन्तिम तिथि तक) संस्थान में आवेदन पत्र की हार्डकापी जमा करना आवश्यक है।

(v) छात्र/छात्रा के मोबाइल नम्बर पर SMS प्रदान करना-

छात्र/छात्रा के मोबाइल नम्बर पर एस०एम०एस० भेजने सम्बन्धी विवरण को निदेशक, समाज कल्याण द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जायेगा।

17- शैक्षिक संस्थानों के उत्तरदायित्व-

(i) शिक्षण संस्था को छात्रवृत्ति हेतु सभी विभागों के लिए एक नोडल अधिकारी नामित करना होगा।

(ii) शिक्षण संस्था को नोडल अधिकारी से सम्बन्धित एवं शिक्षण संस्थान में संचालित पाठ्यक्रमों का सम्पूर्ण विवरण वेबसाइट <https://scholarship.up.gov.in> पर अपडेट करना होगा।

(iii) शिक्षण संस्था को वेबसाइट पर मास्टर डाटा में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों से सम्बन्धित विवरण को अपडेट करना होगा।

(iv) शिक्षण संस्था को जिला समाज कल्याण अधिकारी से लागिन आई०डी० एवं पासवर्ड प्राप्त करना होगा।

(v) अभ्यर्थी के द्वारा आवेदन पत्र आनलाइन प्रेषित करने के बाद 03 दिन के अन्दर संस्थान में आनलाइन आवेदन पत्र का प्रिन्ट आउट जमा किया जायेगा।

(vi) आनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए शासन द्वारा निर्धारित समयावधि में ही अभ्यर्थी को अपना आवेदन पत्र संस्थान

में जमा करना होगा। तत्पश्चात् निर्धारित समयावधि के अन्दर ही प्रत्येक दशा में शिक्षण संस्थान को अभ्यर्थियों का डाटा सत्यापित करना होगा।

(vii) अभ्यर्थियों के ऑनलाइन भरे गये फार्म की प्रविष्टियों का मिलान करने के उपरान्त सही पाये गये आवेदन पत्रों का ऑनलाइन सत्यापन कर Submit का बटन क्लिक करेंगे तथा सत्यापित आवेदन पत्रों को अग्रसारित (Forward) कर देंगे।

(viii) जिन छात्र/छात्राओं का डाटा त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण/ गलत होगा, उनका डाटा संस्थान द्वारा प्रेषित नहीं किया जायेगा, उसको अपने स्तर से Reject कर देंगे। शासन द्वारा निर्धारित तिथि तक शिक्षण संस्थान के लॉगइन पर उपलब्ध सम्पूर्ण डाटा पर निर्णय लेकर अग्रसारित या रिजेक्ट कर दिया जायेगा। किसी भी दशा में डाटा लम्बित नहीं रखा जायेगा।

(ix) सभी छात्रों को योजना के प्राविधानों एवं शासन द्वारा फार्म भरने हेतु नियत की गयी अन्तिम तिथि की जानकारी संस्थान द्वारा दी जायेगी। सभी कक्षाओं में उपलब्ध संचार माध्यमों यथा- Public address System, Faculty members द्वारा एवं विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये हैंडबिल के माध्यम से अवगत करेंगे।

(x) छात्र/छात्रा को ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा आवश्यकता पड़ने पर संबंधित शैक्षिक संस्थान द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

(xi) नोडल अधिकारी या शिक्षण संस्था के प्राचार्य/प्रधानाचार्य द्वारा छात्र के विवरण को स्वयं आनलाइन डिजिटल सिग्नेचर से सत्यापित कर अग्रसारित किया जायेगा।

(xii) जिन अभ्यर्थियों के विवरण का मिलान संस्था के अभिलेखों/अभ्यर्थी द्वारा जमा किए गये अभिलेखों से नहीं होता है अथवा त्रुटिपूर्ण पाया जाता है, उनकी संस्तुति नहीं की जायेगी अपितु रिजेक्ट कर दिया जायेगा।

(xiii) नवीनीकरण हेतु अहं छात्रों, जिनका आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, के आवेदन न करने के कारणों को अनिवार्य रूप से स्कॉलरशिप पोर्टल पर ऑनलाईन सत्यापन शिक्षण संस्था के नोडल अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

(xiv) शिक्षण संस्थान द्वारा पात्र छात्र/छात्राओं का डाटा आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करने के बाद आनलाइन सत्यापित विवरण की हार्डकापी, छात्रों द्वारा जमा आनलाइन फीडेड आवेदन पत्र को विद्यालय द्वारा अपनी संस्तुति सहित जिला समाज कल्याण अधिकारी को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना होगा।

18- जिला समाज कल्याण अधिकारियों के उत्तरदायित्व-

(i) शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रेषित सूची तथा अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र की हार्डकापी को समस्त संलग्नकों सहित प्राप्त करना।

(ii) यह सुनिश्चित करना कि सभी शिक्षण संस्थानों का डाटा निर्धारित अवधि के अन्दर उनको प्राप्त हो गया है।

(iii) शिक्षाधिकारी द्वारा सभी शिक्षण संस्थानों का विवरण सत्यापित तथा डिजीटली लाक कर दिया गया है।

(iv) अभ्यर्थी के आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र तथा निवास प्रमाण पत्र का मिलान राजस्व परिषद की वेबसाइट से रेण्डम आधार पर स्वीकृति से पूर्व कराना।

(v) अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र की हार्डकापी आवश्यकता पड़ने पर संलग्नकों सहित छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के समक्ष प्रस्तुत करना।

(vi) सक्षम एजेंसी से डिजीटल सिग्नेचर (Digital Signature) प्राप्त कर अभ्यर्थियों के डाटा को आनलाइन सत्यापित एवं लाक करना।

(vii) आनलाइन डाटा फीडिंग की मानीटरिंग हेतु आयुक्त/जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में शिक्षाधिकारी तथा शिक्षण संस्थाओं के साथ मासिक बैठक कराते रहना। यदि किसी शैक्षिक संस्थान द्वारा निर्धारित तिथि तक डाटा का अग्रसारण नहीं प्राप्त हो रहा है अथवा उसके द्वारा छात्रों के आवेदन पत्रों की हार्ड कापी नहीं उपलब्ध करायी जा रही है तो उक्त संस्थान के प्राचार्य/प्रधानाचार्यों की बैठक में बुलाकर सभी आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।

(viii) छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति की बैठक आवश्यकतानुसार आहूत कराना एवं कार्यवृत्त तैयार कर जारी कराना तथा स्कालरशिप पोर्टल पर अपलोड कराना। निर्धारित समयावधि में यदि किसी शिक्षण संस्था द्वारा कार्यवाही पूर्ण नहीं की जाती हैं तो उसके विरुद्ध जिलाधिकारी के माध्यम से कठोर कार्यवाही कराने का उत्तरदायित्व जिला समाज कल्याण अधिकारी का ही होगा।

(ix) बैंक खाते में धनराशि का अंतरण का reconciliation कराना। यह कार्य उसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर लिया जाय।

(x) जनपद स्तर पर छात्रवृत्ति के अनुश्रवण व पर्यवेक्षण हेतु गठित समिति की बैठक आवश्यकतानुसार आहूत कराना।

(xi) जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा समिति के बैठक की कार्यवृत्त को बैठक होने के एक सप्ताह के अन्दर निदेशक समाज कल्याण को उपलब्ध कराया जायेगा।

19- जनपदीय शिक्षा अधिकारियों के उत्तरदायित्व-

(i) आनलाइन डाटा अग्रसारण की मानीटरिंग हेतु जनपद में आयोजित बैठकों में शिक्षण संस्थाओं के प्राचार्य/प्रधानाचार्य के साथ उपस्थित रहकर कार्यवाही सम्यात्तर्गत सुनिश्चित कराना। शासन द्वारा निर्धारित समयावधि में यदि किसी शिक्षण संस्था द्वारा कार्यवाही पूर्ण नहीं की जाती है, तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति कराना।

(ii) शिक्षा अधिकारी द्वारा मास्टर डाटा बेस में शिक्षण संस्थानों की मान्यता, वैधता तिथि, वर्गावार स्वीकृत सीटों की संख्या एवं उसके सापेक्ष संस्था स्तर से अग्रसारित छात्र/ छात्राओं की संख्या आदि का सत्यापन कर डिजिटल सिम्प्रेचर से लाक किया जाना। विद्यालय से सभी वर्गों के अग्रसारित आवेदन पत्रों की कुल संख्या का मिलान सम्भव्यता कक्षाओं में स्वीकृत सीटों की संख्या से करना तथा सीट से अधिक अग्रसारित आवेदनों को ब्लाक करना।

(iii) शिक्षण संस्था द्वारा स्कालरशिप पोर्टल पर सत्यापित किये गये छात्रों का मांधमिक शिक्षा परिषद द्वारा छात्रों के आनलाइन पंजीकरण डाटा से शत-प्रतिशत मिलान न होने की दशा में उक्त शिक्षण संस्थाओं/विद्यालयों का भौतिक निरीक्षण करना तथा मान्यता निरस्त किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी कर नियमानुसार कार्यवाही करना।

(iv) शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापन उपरान्त शिक्षण संस्था के विवरण की हार्ड कापी निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत जिला समाज कल्याण अधिकारी को प्रेषित किया जायेगा।

20- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (राज्य इकाई) का उत्तरदायित्व-

शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप एवं प्रक्रिया के अनुसार आनलाइन साफ्टवेयर तैयार कराना। शिक्षण संस्थाओं के उपयोगार्थ समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारियों को लागिन आई०डी० एवं पासवर्ड उपलब्ध कराने का ऑप्शन प्रदान करना। जिला समाज कल्याण अधिकारियों एवं जनपदीय शिक्षा अधिकारियों को लागिन आई०डी०, पासवर्ड एन०आई०सी० के माध्यम से उपलब्ध करवाना। आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त होने के 15 दिनों के अंदर नवीनीकरण हेतु अर्ह छात्रों के सापेक्ष मिसिंग छात्रों की जानकारी स्कॉलरशिप पोर्टल पर ऑनलाइन प्रकाशित करना। राज्य स्तर पर स्कूटनी में निदेशक, समाज कल्याण विभाग को आवश्यक सहयोग प्रदान करना। आनलाइन आवेदन भरने से लेकर धनराशि अन्तरण तक में आने वाली समस्त तकनीकी समस्याओं का निराकरण कराया जायेगा।

21- जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के उत्तरदायित्व-

(i) जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर आवश्यक जांचोपरान्त अनुमोदन प्रदान करना। छात्रवृत्ति की स्वीकृति/अनुमोदन करने से पूर्व अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र में अंकित विवरण का रेण्डम आधार पर वेबसाइट पर प्रदर्शित डाटा से मिलान करा लेना।

(ii) जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति से अनुमोदन के उपरान्त पात्र छात्र/छात्राओं के डाटा को आनलाइन जिला समाज कल्याण अधिकारी के डिजीटल सिम्प्रेचर से लाक कराना जिस पर राज्य एन०आई०सी० द्वारा निर्धारित तिथि तक माँग सृजित की जायेगी।

(iii) किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर उनकी गंभीरता से सम्यबद्ध जाँच कराना तथा जाँचोपरान्त दोषी व्यक्तियों/संस्थाओं के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करना।

22- जनपद स्तर पर अनुश्रवण-

(i) छात्रवृत्ति योजना के अनुश्रवण व पर्यवेक्षण किये जाने हेतु जनपद स्तर पर समिति गठित की जाती है:-

- | | |
|--|------------|
| (1) जिलाधिकारी - | अध्यक्ष |
| (2) जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के उपाध्यक्ष - | सदस्य |
| (3) जनपद में स्थित राजकीय विद्यालयों के प्रतिनिधि - | सदस्य |
| (4) जिला विद्यालय निरीक्षक - | सदस्य |
| (5) जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (NIC) - | सदस्य |
| (6) जिला समाज कल्याण अधिकारी - | सदस्य सचिव |

(ii) उक्त समिति छात्रवृत्ति के मास्टर डाटा में संस्थाओं एवं पाठ्यक्रमों का स्विवेक से सत्यापन करायेगी तथा कक्षा 9 व 10 की परीक्षा में शामिल परीक्षार्थियों की संखा एवं परीक्षाफल आदि का सत्यापन करेगी। अध्यक्ष की अनुमति से समिति की बैठक तीन माह के निर्धारित अन्तराल पर की जायेगी तथा कृत कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट निदेशक, समाज कल्याण को उपलब्ध करायी जायेगी।

(iii) जिन अभ्यर्थियों के आवेदन-पत्र, नियमों के अन्तर्गत न होने के कारण अस्वीकृत होते हैं, ऐसे अस्वीकृत किये गये आवेदन-पत्रों के सम्बन्ध में छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा अस्वीकृति के कारणों की जानकारी एन०आई०सी० के माध्यम से आनलाइन प्रदर्शित की जायेगी तथा छात्र के मोबाइल नम्बर पर एस०एम०एस० द्वारा सूचित किया जायेगा। सूचना प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर सम्बन्धित छात्र, जिलाधिकारी को अपील कर सकेगा। जिलाधिकारी उस अपील पर सकारण लिखित आदेश पारित करेगा। जिलाधिकारी द्वारा पारित आदेश अन्तिम होगा।

(iv) छात्र/छात्राओं के बैंक खातों में छात्रवृत्ति की धनराशि के अंतरण उपरांत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में जिलाधिकारी द्वारा कम से कम 05 प्रतिशत छात्र/छात्राओं में धनराशि वितरण का भौतिक सत्यापन/जाँच सुनिश्चित कराया जायेगा। छात्र/छात्राओं के रेण्डमली चयन हेतु राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र राज्य इकाई द्वारा छात्रवृत्ति प्रबंधन प्रणाली साफ्टवेयर में आवश्यक विकल्प उपलब्ध कराया जायेगा, जिसके माध्यम से जांच हेतु जिलाधिकारी छात्र/छात्राओं, शिक्षण संस्थानों की सूची रेण्डम विधि से जनरेट करेंगे तथा उक्त सूची में अंकित शिक्षण संस्थानों के छात्र/छात्राओं का भौतिक सत्यापन करायेंगे और अनियमितता पाये जाने पर तत्काल प्रभावी कार्यवाही नियमावली के प्राविधानों के अनुसार सुनिश्चित करेंगे।

(v) छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति स्वीकृति से पूर्व जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि संबंधित छात्र उत्तर प्रदेश की किसी दूसरी शिक्षण संस्था में भी पंजीकृत अथवा अध्ययनरत तो नहीं हैं।


23- संशोधन का अधिकार


इस नियमावली के प्राविधानों में यथावश्यक संशोधन करने एवं किसी भी कठिनाई के निवारण करने की शक्ति मा० मुख्यमंत्री जी में निहित होगी।

24- न्यायालय क्षेत्राधिकार

किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्राधिकार मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद/खण्डपीठ लखनऊ होगा।

कृपया तदनुसार कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।


डा० हरिओम
प्रमुख सचिव।



संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित क्रो सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उ०प्र० शासन।
- 2- निजी सचिव, मा० राज्य मंत्री (स्ब०प्र०) समाज कल्याण विभाग, उ०प्र० शासन।
- 3- निजी सचिव, मा० राज्य मंत्री, समाज कल्याण विभाग, उ०प्र० शासन।
- 4- प्रमुख सचिव, वित्त/नियोजन/न्याय/उच्च शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/व्यावसायिक शिक्षा/ चिकित्सा शिक्षा/कृषि शिक्षा/बेसिक शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
- 5- महालेखाकार, उ०प्र० इलाहाबाद।
- 6- राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, उ०प्र० लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि इसकी प्रतियां समस्त जिलाधिकारी एवं मण्डलायुक्त को ई-मेल के माध्यम से भेजे तथा समाज कल्याण विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करें।
- 7- निदेशक, समाज कल्याण विभाग, लखनऊ उ०प्र०।
- 8- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 9- समस्त मण्डलीय संयुक्त/उप निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उ०प्र०।
- 10- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ०प्र०।
- 11- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राज कुमार झा)
अनु सचिव।